दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–5 (भाग–04) सोमवार, 03 जुलाई, 2017 / 12 आषाढ़, 1939 (शक) अंक–54

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री रघुविन्द्र शौकीन
10. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
13. श्री सोमदत्त
14. सुश्री अलका लाम्बा
15. श्री आसिम अहमद खान
16. श्री विशेष रवि
17. श्री हजारी लाल चौहान
18. श्री शिव चरण गोयल

19. श्री गिरीश सोनी
20. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
21. श्री जरनैल सिंह
22. श्री राजेश ऋषि
23. श्री नरेश बाल्यान
24. श्री आदर्श शास्त्री
25. श्री गुलाब सिंह
26. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
27. सुश्री भावना गौड़
28. श्री सुरेन्द्र सिंह
29. श्री विजेन्द्र गर्ग
30. श्री प्रवीण कुमार
31. श्री मदन लाल
32. श्री सोमनाथ भारती
33. श्रीमती प्रमिला टोकस
34. श्री नरेश यादव
35. श्री करतार सिंह तंवर
36. श्री प्रकाश
37. श्री अजय दत्त
38. श्री दिनेश मोहनिया
39. श्री सौरभ भारद्वाज
40. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
41. श्री सही राम
42. श्री नारायण दत्त शर्मा
43. श्री अमानतुल्लाह खान
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री नितिन त्यागी
47. श्री एस.के. बग्गा
48. श्री श्रीदत्त शर्मा
49. चौ. फतेह सिंह
50. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–5 (भाग–04) सोमवार, 03 जुलाई, 2017 / 12 आषाढ़, 1939 (शक) अंक–54

सदन अपराह्न 2.08 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

अध्यक्ष महोदयः सभी को नमस्कार, 280, श्री नरेश यादव जी। एक सेकेण्ड जरा। कल दिनांक 4 जुलाई को माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रधान जी का जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में.... आ गये, आ गये तो दुबारा पढ़ देता हूं। जगदीश जी, आ जाइए जल्दी, आपका इंतजार हो रहा है।

कल दिनांक 04 जुलाई को माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रधान जी का जन्म दिन है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि वे अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करें। हमारे एक माननीय सदस्य संजीव झा जी सिंगल से डबल हो गए हैं, उनका शुभ विवाह हुआ है। मैं उनको भी बहुत–बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं,

इस सदन की ओर से भी, अपनी ओर से भी कि उनका जीवन बहुत खुशहाली से आगे बढ़े।

अब विशेष उल्लेख नियम 280, श्री नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में एक फुटओवर ब्रिज बनना था, जो पिछले तीन–चार साल से पेंडिंग है और हमारी सरकार के आने से पहले भी वहां पर इसका इनऐगुरेशन हुआ था लेकिन आज तक वह फुटओवर ब्रिज नहीं बना। यह कुतुब मेट्रो स्टेशन के पास में है, अणुव्रत मार्ग और आए दिन वहां पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैंने इसका काफी फॉलो–अप किया। मंत्री जी से भी इसके बारे में मैंने बातचीत की और रिज मैनेजमैण्ट बोर्ड से इसको क्लियर भी करवाया। मैं वहां चीफ सेक्रेट्री साहब से भी मिला। उसके बाद में सीईसी, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, उसके पास गया लेकिन यह काम अभी तक अटका हुआ है और आए दिन एक्सीडेंट होकर वहां पर मौतें और मतलब लोगों को चोट वहां पर लग रही हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करूंगा, मंत्री जी से, कि इसमें मंत्री जी या सरकार के लेवल पर इसको परसू किया जाए क्योंकि ढ़ाई साले से लगभग मैं इसको परसू कर रहा हूं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हर कमेटी में मैं गया हूं, सीईसी कमेटी में भी मैं गया हूं लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसी प्रोग्रेस हुई नहीं है और अभी भी यह नहीं पता कि यह कब बनेगा और वहां के लोग, जब भी मैं जाता हूं तो उनकी सबसे पहली डिमांड यही होती है कि यह फुटओवर ब्रिज वहां बनाया जाए जिससे कि वहां पर बच्चों को, लेडीज को सड़क पार करके मेट्रो पकड़ने में आसानी हो जाए। यह आपके माध्यम से है।

इसके अलावा अध्यक्ष जी, एक दूसरा फुटओवर ब्रिज और मेरे क्षेत्र में बनना है; मोतीलाल नेहरू कैम्प, बेगसराय फलाईओवर के पास में। वहां पर भी पीछे एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और उसके बाद में मैंने पीडब्ल्यूडी से सम्पर्क किया, इंस्पेक्शन हो चुका है तो वहां के लिए भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फुटओवर ब्रिज बनवाया जाए। वहां के लोगों की भी डिमांड पानी या बिजली या दूसरी डेवलपमेंट वर्क्स से पहले फुटओवर ब्रिज की डिमांड है। वहां भी लोग यही कहते हैं कि आप हमें पानी मत दीजिए, लेकिन यह फुटओवर ब्रिज दे दीजिए क्योंकि उनको अपने उस जेजे क्लस्टर्स से रोड को क्रॉस करके, अपने बच्चों को सुबह–सुबह स्कूल की बसें पकड़वानी पड़ती है। तो यह मानिये कि बच्चों के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों फुटओवर ब्रिज जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट किया जाए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे नियम 280 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर–पूर्व दिल्ली के घोण्डा विधान सभा–66 के अंतर्गत आने वाले जीटी रोड, गोकलपुरी से वजीराबाद व खजूरी चौक से शास्त्री पार्क की ओर दिलाना चाहता हूं। इस रोड पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग अपने कार्य स्थलों पर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं। डीटीसी की बसें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक साधन हैं। इन बसों में आवाजाही के लिए पूरी दिल्ली में बस क्यू शेल्टर होते है जिससे कि लोग गर्मी, बरसात व सर्दी के मौसम में बचाव हेतु बसों का इंतजार कर सकें किंतु मेरी विधान सभा क्षेत्र में सारे के सारे बने बस क्यू

शेल्टरों की स्थिति जर्जर अवस्था में है तथा कई जगहों पर चिन्हित करने के पश्चात् भी बस क्यू शेल्टर नहीं बनाए गए हैं जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों व माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया गया है लेकिन इस पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। गत दो वर्षों से एक पूर्व निगम पार्षद द्वारा गामड़ी पुश्ता पाँच पर स्वयं अपना नाम अंकित करके निगम पार्षद ने टिन शेड डलवा कर के उसको बनाया हुआ है और उसमें पार्टी के लिए अपशब्द भी लिखे गए हैं कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पा रही है इसलिए मैं अपनी तरफ से कर रही हूं तो इस तरफ पूरा ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी यह बस क्यू शैल्टर बनाये जाये, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

श्री राजेश गुप्ताः सर, बस स्टॉप का काफी बार मुद्दा उठ चुका है, बहुत बुरी हालत है। बारिश के दिनों में लोग बिल्कुल खुले में खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर अगर कोई जवाब आ जाए पिछली बार भी नहीं आया था। कहीं नहीं है, सर प्लीज। सर, इस पर कोई जवाब आ जाए कुछ, तो अच्छा होगा।

श्री राजेश ऋषिः सर, मेरे यहां 16 बस स्टॉप हैं जिनके दोनों तरफ दुकानें हैं, लोगों ने तोड़कर दो–दो, तीन–तीन मंजिल दुकानें बना ली हैं लेकिन बीच का बस स्टॉप गायब हो गया है। मैं चाहता हूं इसके ऊपर कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदयः लिखकर दे दें जिन–जिन का है, मैं बुला लेता हूं। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं श्रीदत्त शर्मा जी का मैंने पिछली बार भी 280 में आया था, बड़े सुंदर ढंग से टाइप करके इन्होंने भेजा था,

अभी इसी सेशन में और आज भी बड़े सुंदर ढंग से आया है। इसको आगे भेजने में सुविधा रहती है, अच्छा लगता है। यह जरा थोड़ा माननीय सदस्य ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागीः थैंक यू अध्यक्ष महोदय कि आपने 280 में बोलने का मेरे को मौका दिया। यह इशु है जो मैं पिछले कई बार उठा चुका हूं और लक्ष्मी नगर विधान सभा में है, मुझे ऐसा लगता है कि सर आपकी विधान सभा में भी होगा, मनीष जी की विधान सभा में भी होगा। सर, कुत्तों का मैनेस हमारे क्षेत्र में होता जा रहा है, कुत्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। न तो उसके लिए कुछ हो रहा है, कुत्ते रोज लोगों को काटते हैं। उसके लिए कुछ नहीं है। दो टीके लगते हैं, एक किसी हॉस्पिटल में लगता है, एक किसी और हॉस्पिटल में लगता है उनकी कई बार अवेलेबिलटी भी नहीं होती है। कुत्तों के ऊपर जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, वो एमसीडी वाले कर सकते हैं। अन्फार्च्युनेटली ईडीएमसी वालों ने पिछले कई साल से जो एनजीओ कुत्तों को ले जाकर, उनको स्टरलाइज्ड करके वापिस छोड़ती है, उसकी पेमेंट नहीं करी है क्योंकि मैंने एक दो बार कॉल किया तो उन्होंने कहा जी हम ईडीएमसी का काम नहीं करेंगे। ईडीएमसी में फॉल करता है, हम नहीं करेंगे। तो जो भी वजह है सर, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ईडीएमसी ही क्यूं रिस्पोंसिबल हो, दिल्ली गवर्नमेंट भी इसके लिए रिस्पोंसिबल हो सकती है। हम लोगों को भी, अगर दिल्ली गवर्नमेंट भी इसकी ऑनरशिप लेकर हेल्प कर सके, हम लोग हमेशा यह बोलें कि जो है ईडीएमसी ने यह नहीं किया, तो वो तो करते ही नहीं हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो हमें तो आगे बढ़कर करना चाहिए। सर, गवर्नमेंट को इसमें कुछ इनिशिएटिव भी लेना चाहिए और सिर्फ उन्हीं के चंगुल से इसे बाहर निकाल कर, हो सके तो सर, एमएलए लैड इसमें इस्तेमाल हो जाए कि

एनजीओ को हम लोग पेमेंट कर सकें और कुत्तों से जो मैनेस हो रहा था, एक–एक गली में दस–दस कुत्ते होते हैं। अभी कुछ दिन पहले बताया भी था, शिवचरण जी को कुत्ते ने काट लिया। अब कुत्ते बेचारे को तो पता नहीं होता कि यह एमएलए हैं। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। जोक्स अपार्ट, पर सर, यह बहुत सीरियस है और डेली कम से कम एक कॉल डॉग बाइट की जरूर आती है and it is extremely serious, especially in East Delhi and I think we should take exteremly seriously. मैंने ईडीएमसी का बताया, पर नहीं हो पा रहा। उनकी जो भी वजह है नहीं करने की, पर at least we can take inititative and MLA LAD can be included in that and we can do it accordingly. अच्छा, सर, एक छोटी सी, प्लीज, प्लीज।

अध्यक्ष महोदयः हो गया।

श्री नितिन त्यागीः सर, फ्राइडे को नियम 280 का हमने जमा किया था, पर मेरे यहां पर एक हादसा हुआ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है।

अध्यक्ष महोदयः अभी इसके बाद।

श्री नितिन त्यागीः प्लीज, उठाने का मौका दे दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदयः हां, इसके बाद मैं देखता हूं आगे। दो मिनट प्लीज। महेन्द्र गोयल जी, अनुपस्थित। अनिल कुमार बाजपेयी जी, अनुपस्थित। आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्रीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, नियम 280 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से स्पीकर साहब, सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं, मेरी विधान सभा द्वारका और साथ में लगी हुई

पालम विधान सभा की ओर, वहां पर लगभग सवा किलोमीटर का एक डाबड़ी पालम रोड करके एक मैन सड़क है जिसके साथ–साथ फ्लड डिपार्टमेंट का नाला चलता है। पिछले पांच–सात वर्षों में इस नाले के ऊपर अवैध रूप से इसको ढका गया और नाले के उस पार जो मकान थे, उन्होंने इसको ढक कर उसको कमर्शियल एरिया करार करने की कोशिश करी। यह फ्लड डिपार्टमेंट के तहत नाला आता है। इस सवा किलोमीटर के स्ट्रेच पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह नाले के ऊपर अवैध ढकने की वजह से वहां पर कम से कम 100 से 150 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी की वैल्यू बढ़ाई गई है अवैध रूप से, जो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का माध्यम हो गया है। मैं पिछले दो वर्षों में कई बार चर्चा कर चुका हूँ। इसके बारे में पिछले दो साल में उस क्षेत्र में तीन डीसीज का तबादला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का चार बार तबादला हुआ। उन चारों से चर्चा करी। फ्लड डिपार्टमेंट से बार बार चर्चा करी। माननीय मंत्री जी से चर्चा करी और इसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूं तो फ्लड डिपार्टमेंट ने यही जवाब दिया कि डीसी साहब को इसकी डिमोलिशन के लिए लिखा गया है और डीसी साहब ने बोला कि हमने एसटीएफ में जो स्पेशल टास्कफोर्स बनता है डिमोलिशन का, उसमें इसको रखा। मगर कभी पुलिस फोर्स नहीं मिली या कभी और कोई सुविधा नहीं मिली और बार बार वो डेट टलती रही। इसका नतीजा यह हुआ कि उनमें से अवैध कब्जा करने वालों में से एक बिल्डिंग वाला कोर्ट में गया और कोर्ट से उसको रिलीफ नहीं मिली। कोर्ट ने अपने ये जजमेंट दी कि वहां पर एसडीएम का रिपोर्ट कोर्ट के सामने लगाई जाए और उसके बाद कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगी। एसडीएम की रिपोर्ट भी उस बिल्डिंग के खिलाफ गई और ये डीएम के संज्ञान में है, फ्ल्ड डिपार्टमेंट के संज्ञान में है और आज लगभग दो साल के बाद भी वो सवा किलोमीटर

का जो रोड है, उसके ऊपर के नाले को अवैध कब्जा इसके ऊपर किया गया है। इसमें जो सौ से डेढ़ सौ करोड़ का भ्रष्टाचार जिसमें मेरा मानना है कि फ्ल्ड डिपार्टमेंट सुनवाई नहीं कर रहा। चार बार डीएम बदले गए वो सुनवाई नहीं कर रहे। एसडीएम सुनवाई नहीं कर रहे और यहां तक कि कोर्ट ने भी उन अवैध कब्जे वालों का सहयोग नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया। उसके बाद भी इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूं क्योंकि ये बहुत प्रमुख रास्ता है, द्वारका की तरफ निकलने का और इस पर दोनों तरफ घनी आबादी है द्वारका में भी पालम में भी और इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कि इस समय बरसात के मौसम में अवैध रूप से इस नाले को ढ़का गया है। उससे बहुत ज्यादा महामारी फैल सकती है, बहुत बीमारी फैल सकती है। क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा है कि उस नाले को अब साफ किया जा सके तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि मंत्री जी और सरकार इस पर ध्यान दे कि क्यों दो साल से इस नाले के ऊपर अवैध कब्जे के ऊपर न कोई डीएम न फ्ल्ड डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करी, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने 280 में मुझे मेरी क्षेत्रीय समस्या को उठाने का अवसर दिया है।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान मेरी चांदनी चौक विधानसभा की कानून व्यवस्था की ओर ले जाना चाहती हूं। ये अखबार है, 'शटर तोड़कर दुकान से 8 लाख रुपये की नकदी चोरी की', ये एक उदाहरण है। इसी हफ्ते का और दूसरा है, '10 दुकानों का एक साथ ताला तोड़कर', और ये पहली घटना नहीं है कि एक साथ 10 दुकानों का ताला तोड़ा और उनका सारा

पैसा जो है, वो लूटकर 10 लाख रुपये तक का ले गए! इससे पहले भी दुकानों के ताले लगातार टूट रहे हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ये बात सामने आती है कि थाना किसका पड़ता है, ये इस झगड़े में उलझ जाते हैं और इस बार भी अध्यक्ष जी, इसलिए इस चोरी का पता लगाना मुश्किल हो रहा है पिछली चोरियों की तरह। क्योंकि दिल्ली पुलिस यह ही तय नहीं कर पा रही है कि थाना किसका पड़ेगा, एफआईआर किस थाने में होगी, जांच कौन सा थाना करेगा! आपका कोतवाली थाना, जामा मस्जिद थाना, दरियागंज और जो थाना हौजकाजी है, इसमें ये जंग काफी दिनों से चल रही है।

अध्यक्ष जी, मेरे यहां पर इलाका पड़ता है चोकराय जी। चोकराय जी में पुलिस की चौकी बनी हुई है लेकिन आज तक एक साल हो गए उस चौकी का ताला खोलकर कभी पुलिस वाले को वहां पर नियुक्त नहीं किया गया। लगातार ये चोरियों की वारदात के बाद भी मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली पुलिस क्यों गंभीरता नहीं दिखा रही है! क्यों चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं क्योंकि चोरी किया हुआ धन नहीं पकड़ा जा रहा। ये चोकराय जी की पुलिस चौकी, मेरा आपसे निवेदन है जो एक साल से बंद पड़ी हुई है, इसे तुरंत खुलवाया जाए और यहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग हो क्योंकि इसी जगह पर लगातार एक के बाद के वारदात हो रही है और वहां पर दुकानदारों में बहुत दहशत है।

अध्यक्ष जी, इसका सिर्फ एक ही हल हो सकता है जिस हल का एक अकेला दरवाजा खुद पूर्व एलजी साहब ने बंद कर दिया। अध्यक्ष जी, आज से पहले होता तो ये था कि हम विधायक थाना कमेटियों के अध्यक्ष होते थे तो लगातार हम एसएचओ के संपर्क में रहते थे। जितनी भी कानून व्यवस्थाएं हैं, चोरियां हैं, चेन स्नेचिंग है या जो भी इस तरह की कानून

से जुड़ी समस्याएं हैं, लोग हमारे पास लेकर आते थे तो कम से कम महीने दो महीने में थाना एसएचओ के आफिस में विधायक की अध्यक्षता में मीटिंगें होती थी और उसमें हम लोग नजर रखते थे लेकिन अध्यक्ष जी, जब से पूर्व एलजी ने थाना स्तर की कमेटियों को भंग कर दिया और उसके बाद हमें ये जानकारी दी गई कि अब विधायक स्तर पर थाना स्तर पर कमेटियां नहीं हैं, अब जिला स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं। अध्यक्ष जी, मेरा, मैं कहूं विधानसभा का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि हमारे यहां सांसद आदरणीय डॉ. हर्षवर्द्धन साहब वहां से चांदनी चौक से सांसद ही नहीं, केन्द्र के मंत्री भी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल की थाना लेवल कमेटी के चेयरमैन भी हैं लेकिन दुख की बात है कि तीन साल से वो सांसद और केन्द्रीय मंत्री भी हैं लेकिन तीन साल में उन्होंने आज तक एक भी सिंगल मीटिंग जो है डीसीपी के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल थाना कमेटी की नहीं बुलाई है।

मैं आपसे निवेदन करती हूं कि या तो ये जरूरी किया जाए कि सांसद की अगर अध्यक्षता में मीटिंग होनी है तो सांसद कम से कम एक साल में एक मीटिंग तो करे ताकि साल भर का जो डाटा चोरियों का अपराध का हमारा है, वो सामने आ पाए और पुलिस की कोई जवाबदेही बन पाए। उम्मीद करती हूं कि चोकराय के जो लोग हैं, उन्हें न्याय मिलेगा और वहां के दुकानदार जो रोजाना दहशत में हैं और पुलिस थानों की बाउंड्री के बीच में उलझी हुई है, उम्मीद करती हूं कि सांसद जागेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट स्तर की कमेटियों को कॉल करें नहीं तो विधायक स्तर पर जो मीटिंगें होती थी अध्यक्ष जी, उसको इस सदन में पारित करके जो है मुझे उम्मीद है कि उसे वापिस से गठन किया जाए ताकि हम लोगों को राहत दिला पाएं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री सत्येन्द्र जैन जी उत्तर देना चाह रहे हैं।

श्री सतेन्द्र जैन (गृह मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो थाना लेवल कमेटी की बात की गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बनाई गई हैं पिछले तीन साल में, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में तीन मीटिंगे भी हुई होंगी। नहीं, कहीं पर एक दो हुई हैं और हां, जो हुई हैं, उसमें एमपी साहब खुद नहीं आए और एक विधानसभा को मुश्किल से 5 मिनट मिले थे जो मीटिंग हुई थी। अब उसमें एक विधानसभा में दस थाने हैं, पाँच थाने हैं या 4 थाने हैं, एक थाने के हिस्से में एक मिनट आ गया तो वो तो खानापूर्ति के अलावा कुछ है नहीं। थाना लेवल कमेटी का कांसेप्ट ठीक था जो पहले जो चल रहा था। मैंने पिछले एलजी साहब के पास प्रपोजल भेजा था कि भई तीन महीने में मीटिंग कराने की बजाए हर महीने मीटिंग करा ली जाए थाना लेवल कमेटी की ताकि एमएलए अपने क्षेत्र की जितनी भी इस तरह की वारदातें या समस्याएं हैं, उनसे रूबरू हो सके, कर सके। मैं सभी सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि ये प्रपोजल मैं फिर से, नए एलजी साहब आ गए हैं, उनके सम्मुख रखूंगा कि भई थाना लेवल कमेटीज को दोबारा से बनाया जाए और उसकी मंथली मीटिंग कराई जाए in the chairmanship of local MLA’s, thank you.

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, श्री बग्गा जी।

श्री एस के बग्गाः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम – 280 में बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान डीटीसी, ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरी कृष्णा नगर विधानसभा में शिवपुरी मेन रोड, शास्त्री नगर, खुरेजी, चन्दर नगर पर बस स्टाप टूटे हुए हैं या हैं ही नहीं। इससे महिलाओं और बुजुर्गों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है व

चन्दर नगर, शास्त्री नगर व गीता कालोनी से बसों की सर्विस भी नहीं है, इससे उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने इसके बारे में पत्र भी लिखे हैं लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अतः आपसे प्रार्थना है कि बस स्टाप बनवाने की कृपा करें तथा उपरोक्त लिखित इलाके में बस चलवाने की कृपा करें। मेरे क्षेत्र में बस रूट नंबर 39 जो झील से चलती है, उसकी सर्विस इतनी ज्यादा मात्रा में है कि जिसकी वजह से बसें खाली चल रही हैं। इससे सरकार को नुकसान हो रहा है, अतः इस रूट को रिसेट करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मेरे क्षेत्र के डीटीसी से रिटायर्ड लोग आते हैं और वे शिकायत करते हैं कि हमें 2014 से डीए नहीं मिला तथा हमें कैशलेस स्कीम की सुविधा भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि डीटीसी के रिटायर्ड लोगों को डीए दिलवाने का कष्ट करें तथा कैशलेस, मेडिकल स्कीम की सुविधा दिलवाएं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद बग्गा जी। सोमनाथ भारती।

श्री सोमनाथ भारतीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के अंतर्गत ये मुद्दा उठाने का मौका दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा संगीन मुद्दा है ये। मेरे क्षेत्र के अंदर हौजखास विलेज है। वहां पास में एक रोज गार्डन है। रोज गार्डन के अंदर डीडीए की जमीन के ऊपर इन्क्रोच करके एक नेता ने एक होटल खड़ा किया और जो होटल खड़ा किया उसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने डीडीए के पास ये मुद्दा उठाया। डीडीए ने बकायदा ड्यू प्रोसेस फौलो करके डिमोलिशन आर्डर पास किया, सील आर्डर पास किया। उसके बाद डीडीए के अधिकारियों ने उस

नेता के साथ मिलके, उसको मौका देकर हाइकोर्ट से स्टे दिलवा दिया। उसके बाद सील्ड प्रापर्टी के अंदर वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। मैं इस मुद्दे को डीडीए वाइस चेयरमैन के पास लेकर गया और उन्होंने अधिकारियों को कहकर उसका मुआयना करवाया और इस बात को सत्य पाया कि हां, सील्ड प्रापर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके बाद एक आर्केटेक्ट को इन्वाल्व करके वहां पर कंस्ट्रक्शन किया गया और पिछले दिनों, चार दिन पहले उस आर्केटेक्ट को उन्होंने बाहर निकाल दिया, यह कह कर कि ये प्रापर्टी तो सील्ड थी, यहां पर कंटेम्प्ट हो जाएगा। सारा काम उससे करवा लिया और बाहर कर दिया। वो महिला जब गई पुलिस के पास , नो लेस देन डीसीपी साउथ, उन्होंने ये कहा कि ऐसा है जी, आपने जिस प्रोपर्टी में कंट्रक्सन किया है, जिसका निर्माण किया है, वो तो सील्ड प्रोपर्टी थी, वो तो कंटेम्प्ट आफ कोर्ट हो जायेगा। इसलिए आप उस मुद्दे को न उठाओ। तो उस नेता को पुलिस ने सहायता किया कि भई, उसका पैसा वे न पे करें। ऐसा नेक्सेस डीडीए का, पुलिस का और नेता का यह बड़ा अदभुत देखने में आया अध्यक्ष महोदय, और असली बात यह है अगर ये नेता आम आदमी पार्टी का हुआ होता तो अब तक वो जेल में होता! लेकिन वो साथी किस पार्टी का नेता होगा बीजेपी का!

अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं कई बार माननीय एल.जी. महोदय के पास लेके गया, लेकिन आज तक नाक के नीचे डीडीए की प्रोपर्टी सील्ड की हुई, डीसीपी साउथ उसमें कह रहे हैं कि जी, आप छोड़ दो ये कोई बात नहीं, ये तो सील्ड प्रोपर्टी है, इस पर तो कंटेम्प्ट आफ कोर्ट हो जायेगा और वो बच्ची जो चंडीगढ़ की आर्किटेक्ट वो अपना दर–दर ठोकरें खा रही हैं। ये कैसा न्याय है! इसी दिल्ली के अंदर अगर कोई आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई छोटी–मोटी कंप्लेंट भी कर दें वो, तो पुलिस भी पूरी हरकत में आ जायेगी। लेकिन इतना बड़ा कांड हुआ, एक होटल बना,

होटल डिमोलिशन भी नहीं हुआ और सीन्ड प्रोपर्टी के अंदर वो कह रहे हैं कि ये कांड हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से संज्ञान चाहता हूं कि आप संज्ञान में लेकर आयें, पुलिस कमिश्नर को लिखें और बतायें कि इसका क्या माजरा है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, भारती जी। पवन कुमार शर्मा जी।

श्री पवन कुमार शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा आदर्श नगर में एक गांधी विहार कालोनी है, इसके एक हिस्से एफ– ब्लॉक में, जिसका स्थानान्तरण जो है दिल्ली सरकार को नहीं हुआ है। डीडीए के पास है ये, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। पानी की जिम्मेदारी जल बोर्ड की है, लेकिन लाईनों का नक्शा भी जल बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं है। सारी लाईनें टूटी पड़ी हैं, सीवर लाईन भी जल बोर्ड तभी डालेगा।

अध्यक्ष महोदयः जो आपने लिख कर दिया हुआ है, जो मेरे पास लगा है, वो मेटर दूसरा है। आप पढ़ रहे हैं, वो दूसरा है। मुझे लिखके दिया आपने एमएलए लैंड फंड्स के बारे में।

श्री पवन कुमार शर्माः सर, वो मैंने परसों बोल दिया था, यह उल्टा लग गया।

अध्यक्ष महोदयः चलिये वो चैंज करके दीजिएगा बाद में।

श्री पवन कुमार शर्माः ठीक है, ठीक है सर। अध्यक्ष महोदय, जब कॉलोनी का स्थानान्तरण डीडीए से दिल्ली सरकार को हो जायेगा। सफाई

और सड़कों की स्थिति दयनीय है, कोई आम आदमी कोई भी इस चीज को नहीं समझता है कि ये डीडीए के पास है या दिल्ली सरकार के पास है। आम आदमी को केवल काम होने से मतलब है।

ऐसे ही गांधी विहार में पांच ब्लॉक और हैं:– ए,बी,सी,डी,ई, उनका लगभग पांच साल पहले सीवर लाईन डली थी। उन ब्लॉकों में, लेकिन डिस्पोजल के पम्पिंग स्टेशन के लिए जगह उपलब्ध करवाने का काम डीडीए का है। लगभग 300 मीटर जगह पम्पिंग स्टेशन के लिए चाहिए। मेरे द्वारा काफी पत्र व्यवहार भी किया जा चुका है, लेकिन वो जगह अभी अवेलेबल नहीं करवाई गयी है, जिसकी वजह से घरों का, जितने भी घर हैं, उनका सीवर में कनेक्शन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस कार्य को जल्दी करवाया जाये, धन्यवाद।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेंड, अभी अभी 280 मुझे लेने दीजिए प्लीज। मैं 280 कंप्लीट कर लूं पहले। प्लीज। शिवचरण गोयल जी, इसके बाद भावना गौड़ का है, फिर गुलाब सिंह जी और आखिरी मनोज जी बस। ये 280 है। चलिये, जल्दी करिये।

श्री शिवचरण गोयलः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मोती नगर विधान सभा के मोती नगर में स्कूल है, सर्वोदय स्कूल बाल कन्या, तो इसकी ये 12वीं क्लास तक का स्कूल है और इसकी बाउंड्री वॉल के चारों ओर इंक्रोचमेंट है। यहां पर ब्रेड बेचने वाले, चाय–बीड़ी वाले, तंबाकू, सिगरेट और स्कूल की बाउंड्री वॉल पर शीशा लगाकर और पटरी पर कुर्सी लगाकर नाई की दुकान चलाई जाती है, जिससे स्कूल की लड़कियों को आने जाने में दिक्कत

का सामना करना पड़ता है और जाम भी लगता है और स्कूल की छुट्टी के बाद मनचले लड़के स्कूल के गेट के आस पास आकर छेड़खानी करते हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए कई बार पुलिस को भी फोन किया गया सिक्युरिटी के लिए लेकिन कोई भी आज तक नहीं आ पाया है। इस विषय में स्कूल के प्रिंसिपल से भी कई बार, एमसीडी को, पुलिस को पत्र लिखा गया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों के पैरेंट्स ने कई बार मुझे इस बारे में बताया है, और डीसीपी को भी कई बार लिख कर दिया है। तो काफी ये गंभीर मुद्दा है। हमारी बेटियां वहां पढ़ती हैं। अब यह सिक्यूरिटी का इश्यू है, अब इसी के साथ मोती नगर में एक टांगा स्टेंड है। टांगा स्टेंड के साथ में एक आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल है। वहां पर इतनी इंक्रोचमेंट है कि वहां हॉस्पिटल तक भी जो केवल 50 गज की दूरी पर है, कई बार तो एम्बुलेंस भी उस हॉस्पिटल पे पहुंच नहीं पाती और मरीज भी कई बार बड़ी क्रिटीकल पोजिशन में आ जाते हैं। वो इंक्रोचमेंट को हटाया जाये और वो पूरा काम एमसीडी का है। इसके ऊपर संज्ञान लिया जाये। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयः भावना गौड़ जी।

श्रीमती भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, अब जो 280 में मुद्दा रखने वाली हूं, वो मुद्दा केवल पालम विधान सभा का ही नहीं है। मुझे लगता है कि इस विधान सभा से जुड़े सभी विधायक इस विषय को लेकर के हैरान भी हैं और परेशान भी है।

सबसे पहले मालवीय नगर की खिड़की एक्सटेंशन के अंदर एक परम्परा बहुत तेजी के साथ में फैली, वह है बिल्डर व्यवस्था। इसी विहाफ के ऊपर पूरी दिल्ली के अंदर और हर विधान सभा के अंदर स्वयं मेरी पालम विधान सभा के अंदर भी कुछ ऐसे बिल्डर जो बाहर से आते हैं,

पाँच पाँच सौ गज का प्लाट खरीदा, उसके अंदर लगभग 64 और 114 की संख्या में फ्लैट को बनाया है। दूसरे प्रदेशों से जो लोग आते हैं, स्वाभाविक तौर पे वे उन फ्लैटों को खरीदते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था और साथ में सीवरेज, पानी और बिजली, ये तीनों व्यवस्थाएं जरूरत से ज्यादा प्रभावित होती हैं। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आयी, पूरे पालम विधान सभा के अंदर पानी की व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से उसकी देख–भाल की जा रही है। लेकिन जिस जिस तरीके से ये बिल्डर व्यवस्था पनपती जा रही है, उस तरीके से वो पानी के अंदर भी कहीं न कहीं कमी आयी है और लोड शेडिंग बहुत ज्यादा बिजली की होने लगी है, सीवरेज व्यवस्था बहुत खराब हो गयी है, मानसून में ये पानी जो स्वभाविक तौर पर बरसात का पानी नहीं निकल पाता, लेट्रिन–बाथरूम का पानी नहीं निकल पाता, इस तरीके से लेकर के पालम विधान सभा के अंदर बहुत ही गंदगी का माहौल पैदा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, इन बिल्डरों ने अपने फ्लैट के अंदर बड़े–बड़े टैंक बनाये हैं, बड़ी–बड़ी मोटरें लगा करके वे उसके अंदर सुबह जब कमांड टैंक से पानी छोड़ा जाता है, तब वह अपनी मोटरें लगा करके उस पानी को अपने यहां पर अपने टैंक के अंदर भर लेते हैं और देखिये मजे की बात तो यह है कि दो साल पहले जो फ्लैट 32 लाख रू0 का बिकता था, अब वो फ्लैट 34 और 36 लाख का हो गया और बकायदा बिल्डर यह कहकर बेचता है कि ये फ्लैट क्योंकि मीठे पानी से बना है। अभी साध नगर के जेडीएम पब्लिक स्कूल से आगे 116 फ्लैट एक बिल्डर ने बनाये। मैंने डीजीएम को बुलाकरके कहा कि इनको अभी मीटर नहीं आप अप्लाई करेंगे बिजली का। वो उपभोक्ता कोर्ट में गया और कोर्ट ने आदेश दिया

क्योंकि हम नुक्कड़ पर बैठने वाले, खोखे वाले को भी मीटर प्रोवाईड करते हैं, तो आप मना नहीं करेंगे। डीजीएम ने कहा कि जब 1500 रोज झगड़े लेकर के 114 फ्लैट्स बना सकते हैं, तो एक 50 गज का टुकड़ा हमें दीजिए। हम उस पे एक नया ट्रांसफार्मर बनायेंगे और उससे आपके फ्लैटों को बिजली देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है और यह व्यवस्था अगर यू हीं चलती रहीं तो आने वाले दस साल, पांच साल बाद में दिल्ली इतनी व्यवस्था, चाहे वह पानी का हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे बिजली की हो, वो इसी तरह से चरमराती रहेंगी, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य विषय है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, मनोज कुमार जी।

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत हूं स्वयं भी मेरी विधानसभा में भी ये समस्याएं हैं इसलिये एक बार चर्चा करके करते हैं, इसका हल निकलवाते हैं।

श्री सोमनाथ भारतीः पानी के ऐसा दुरूपयोग को रोकना चाहिए अध्यक्ष महोदय।

.... (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त शर्माः 500 गज में फलैट बनाये जाते हैं दो मंजिला इमारतों में उसको पैसा ले के बनवा दिया जाता है।

.... (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त शर्माः 50 सौ गज के मकानों को एमसीडी रोकती है, पैसा उगाही करने के लिये क्योंकि गरीब आदमी पैसा नहीं दे पाता है जो फलैट बनाता है, वो जेई को ऐई को एमसीडी के अधिकारियों को पैसा देता है।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये प्लीज। विषय आ गया समझ में।

.... (व्यवधान)

भावना जी, अब आप बोल चुकी हैं प्लीज।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई भावना जी, देखिये, आपने अपनी बात पूरी कर ली है, अब ऐसे नहीं प्लीज। ऐसे तो सदन चलाना ही कठिन हो जायेगा। मनोज जी। मनोज जी, बहुत संक्षेप में करिये प्लीज।

श्री मनोज कुमारः अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि 280 में मेरा नंबर नहीं आने के बावजूद आपने मुझे समय दिया। मेरा जो विषय है, वह भी महत्वपूर्ण विषय है। जैसे अभी बिल्डर का हुआ, वैसे अभी दिल्ली में और पानी की व्यवस्था के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरी जो विधानसभा है कोंडली, वो बिल्कुल बार्डर से लगी हुई विधानसभा है। जिसके बाजू में नौएडा, खोड़ा ये दो बस्तियां वहां पर आती हैं हमारे यहां पर क्या है सर कि बहुत सारा एरिया ऐसा है, जहां पर पानी की लाईनें अभी तक नहीं हैं जो अभी डल रहीं हैं, जहां पर मैं स्वयं रहता हूं, वहां पर पानी की लाईन अब डल रही है जब कि मैं इतना बड़ा वहां उस कालोनी में हुआ। अब वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था टैंकर से होती है। जो समय से नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत सारे तो लोगों ने और मैंने भी और मैक्सिमम लोगों ने कालोनी से सब्मर्सिबल सीवर बोर किये हुए हैं। पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये अगर वहां पर कोई व्यक्ति डॉमैस्टिक सब्मर्सिबल बोर करता है तो वहां पुलिस जाकर उसको परेशान करती है, उसकी मशीन सील की जाती है और ऊपर से हमारे एडीएम आफिस से आकर के स्टाफ उसको सील कर जाता है अगर वही बिल्डर

कोई बनाता है तो उसका सब्मर्सिबल अलाउ हो जाता है उसका कोई बोर सील नहीं किया जाता है।

दूसरा, मेरे यहां पर गांव है घडोली गांव उसके बिल्कुल बाजू में खोड़ा लगता है, डिस्टेंस होगा एक किलोमीटर। वहां पर इतना बड़ा खनन हो रहा है, पानी के बड़े बड़े टयूबवैल लगाये गये हैं जिसमें से कई सौ टैंकर प्रतिदिन भरकर के पानी बेचा जा रहा है। इस समस्या को मैंने कई बार एसडीएम को लिखकर के दिया है। मेरे पास रिकार्ड है, मैं अभी आपको भेज दूंगा। पिछली साल 16 जुलाई को मैंने राइटिंग में एसडीएम साहब को कहा कि यहां पर इस तरह से टैंकर चलते हैं और एक टैंकर की चपेट में हमारे पूर्व पार्षद भी आ चुके हैं। उनकी गाड़ी काटकर उनको बाहर निकाला गया था। उसके बावजूद वो खनन चालू है। वो अभी तक बंद नहीं किये गये।

दूसरा, कहीं कहीं पर गंगा वाटर आता है तो उसको बोतलों में बंद करके बेचा जा रहा है। उसकी भी कई बार जलबोर्ड को सूचना दी। उन्होंने आकर के सील कर दिया। उसके कुछ दिन बाद वो फिर चालू हो जाते हैं। ये समझ नहीं आता कि वो किस कारण से चालू किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कि अभी दो महीने पहले मैंने डीएम को जाकर के स्वयं लैटर दिया कि मेरे यहां पर इस तरह से बोरवेल का खनन चल रहा है, और पानी बेचा जा रहा है उस पर अंकुश लगायें। दो महीने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई एसडीएम आफिस से। मेरे वहां पर कुछ लोगों ने अपने पानी के लिये बोर करा, उस बोर के पुलिस ने पैसे लिये उसके बाद किसी ने एसडीएम को कंपलेंट की। एसडीएम के यहां से स्टाफ आया वो सील कर दिया। वो लगातार परिवार मेरे पास आता रहा, एसडीएम आफिस जाता रहा। एसडीएम आफिस में उसे बताया गया कि कानूनगो से मिलो, कानूनगो से मिलता है, उससे पैसे वसूल लिये जाते हैं और उसके बाद

कानूनगो उसको रास्ता बताता है कि सब्मर्सिबल तो सील हो गया, नीचे से तोड़ के पानी ले लो। इस तरह का पूरा ये स्कैम चल रहा है! सर, मैं चाहता हूं इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर डीएसआईडीसी अनाधिकृत कालोनियों में रोड बनाने का काम कर रहे हैं और पिछले नौ महीने पहले कुछ वर्क अवार्ड हुए थे, बड़ी मुश्किल से हुए थे। वे भी दो चार और जिस काम को मार्च तीस को कंपलीट हो जाना चाहिए था, आज बारिश के समय में एक कालोनी दुर्गाविहार जिसमें छह करोड़ रूपये का काम वर्क अवार्ड हुआ था और उसके अंदर आज ये हालत कर दी उन्होंने अर्थ फिलिंग करके कि पूरी गलियों के अंदर आज बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा निराशा पब्लिक के अंदर है। मैं इस विषय में एमडी साहब से, एससी साहब से सबसे मिल चुका हूं, सबको बता चुका हूं। माननीय मंत्री जी को भी आज मैंने चिटठी लिखी और इससे पहले भी सबको मैंने इस विषय में ये बात बताई है और हमारे कई सारे विधायक साथी यहां पर बैठे हैं जिनके क्षेत्र में अनाधिकृत कालोनियां बहुत ज्यादा हैं। उनमें बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आज जरूर इसके बारे में हमें कुछ बतायें।

दूसरा, एक बहुत बड़ी इसमें समस्या खड़ी कर दी है कि तीन ऐजेसी से आरएनसी लेनी पड़ेगी। ये एक ऐसी बाउन्डेशन डाल दी है कांट्रेक्ट के अंदर के तीन ही ऐजेंसी से आप आरएनसी लेंगे। अब जिससे लेनी है तीन

कंपनियों से वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और टाईम से उनको आरएनसी नहीं दे पा रहे हैं। बारिश का समय आ गया है। बुरी हालत है। इसके अंदर ऐजेसी फिक्स कर दी है कि डीएसआईडीसी मटियाला विधानसभा के 101 अनधिकृत कालोनियों के अंदर रोड बनायेगी। डीएसआईडीसी के पास पूरी विधानसभा के अंदर एक एई और एक एक्सिन है। कहां से करेगें! दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जहां पर साढ़े चार लाख वोटर हैं और वहां पर एक एई कैसे काम करेगा!

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इसके अंदर ऐजेंसीज का जो एक किया गया है कि इसमें एमसीडी डीएसआईडीसी काम करेगी, इस कण्डीशन को हटाया जाये। हम जिससे मर्जी काम करायें, चाहे हम इरिगेशन फल्ड डिपार्टमेंट से करायें, पीडब्ल्यूडी से करायें या एमसीडी से करायें। जिस तरह से ग्रामीण विकास बोर्ड के अंदर बिल्कुल क्लीयर है कि हम जिससे चाहें, उससे काम करा सकते हैं लेकिन यहां पर हम बिल्कुल बंध गये हैं कि आपको कोई भी काम डीएसआईडीसी से ही कराना है। कोई काम... पिछले ढ़ाई साल चले गये, ढ़ाई साल बचे हैं। मुश्किल से पांच सात कालोनियों के अंदर हम रोड बनवा पाये हैं। 900 करोड़ रूपये वर्ष 2016–17 में रखे गये हैं लेकिन कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा हैं। एमडी का साफ साफ कहना है कि कोई पैसा उनके पास नहीं है, पहले आप सरकार से पैसा दिलाइये, उसके बाद मैं आपके नये टैण्डर करेंगे। हमारे सारे विधायक साथियों की ये शिकायत है।

मेरा अनुरोध है कि इसके ऊपर जरूर संज्ञान लिया जाये। बहुत बुरी हालत है। ढ़ाई साल और निकल जायेंगे सर, हम काम नहीं कर पायेंगे!

अध्यक्ष महोदयः गुलाब जी, अनओथराईज्ड कालोनिज पर एक कमेटी का गठन हो गया है ना।

श्री गुलाब सिंहः सर, ये कल हुआ है लेकिन अभी फिलहाल मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जरूर अपने विचार रखें।

अध्यक्ष महोदयः एक सैकिण्ड, मैं जो बात कह रहा हूं अनओथराईज्ड कालोनीज पर सदन की कमेटी का गठन हो गया है, संबंधित विधायक अगर कमेटी को अपनी कंपलेंटस पब्लिक के माध्यम से या डायरेक्ट भेजेंगे तो उन पर विचार करवायेंगे जरूर।

.... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंहः उसमें जल्दी से फंड चाहिये, कमेटी कब तक...

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपकी फाईल तो हो गई।

श्री गुलाब सिंहः सर, कमेटी फंड का थोड़े ही करेगी।

अध्यक्ष महोदयः आपकी फाईल तो पास हो गई।

श्री जगदीश प्रधानः सर, कहां हो गई जी!

अध्यक्ष महोदयः मेरी जानकारी में, हो गई है।

श्री जगदीश प्रधानः सर, नहीं हुई। सर, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री गुलाब सिंहः सर, इसके लिये तो मंत्री जी अपना वक्तव्य दें, फंड के लिये।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए, हम मंत्री को दबाव में नहीं, प्लीज।

श्री गुलाब सिंहः सर, बहुत परेशान हैं। सर, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, आप देख नहीं सकते। सर, हम उन गलियों में घुस नहीं सकते!

अध्यक्ष महोदयः फिर भइया, ये कमेटी का गठन बेकार हो जायेगा!

श्री गुलाब सिंहः सर, हमारे साथ बदतमीजी होने तक के आसार हैं। सर, आप नहीं समझ रहे हैं। इतनी हालत खराब है, कोई वहां पर जाकर देखने वाला नहीं है। जनता की हालत खराब है। किसको बोले! फंड न होने का बार बार हवाला दिया जा रहा है। बताइये, क्या करें सर? एब्युसिव लैंग्वेज यूज करते हैं लोग। उन गलियों में कहां जायें हम लोग!

अध्यक्ष महोदय, इस के ऊपर संज्ञान लें। मंत्री जी, प्लीज आप इसके ऊपर अपना जरूर कोई वक्तव्य रखें।

अध्यक्ष महोदयः भई, अनओथराईज्ड कालोनीज मैक्सिमम एमएलएएज के एरिया में पड़ती है और इसकी आवश्यकता को समझते हुए कमेटी का गठन किया गया है और निश्चित रूप से थोड़ा सा समय दे दीजिये।

श्री गुलाब सिंहः सर, फंड नहीं दिलायेगी कमेटी। सर, एक बार!

अध्यक्ष महोदयः उस पर एक्शन हो जायेगा।

श्री गुलाब सिंहः माननीय मंत्री जी से थोड़ा दो शब्द बुलवा देंगे। जैन साहब, थोड़ा सा बोल दीजिये, कुछ हमें थोड़ा रिलीफ मिल जायेगा सर, बड़े परेशान है।

.... (व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविंदः डीएसआईडीसी ही काम करेगी अनओथराईज्ड कालोनी में।

श्री गुलाब सिंहः सर, जैन साहब, उसके उपर कुछ.....

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं निर्देश नहीं दे सकता। बैठिये प्लीज।

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष जी, ये बैन हटाया जाये और दिल्ली में जितने काम करने वाले....

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अभी करते हैं, इस पर करते हैं।

श्री गुलाब सिंहः जैन साहब, कुछ तो कहिये इसके ऊपर। बताइये क्या करें ?

शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने जो मुददा उठाया है, आज सुबह मेरे पास फोन भी आया था इनका। अगर नौ महीने पहले वर्क आर्डर हो गया है और इनका काम नहीं किया गया है ये बहुत सीरियस मैटर है, इसके उपर तुरंत कार्रवाई की जायेगी और जहां तक फंड की बात है, मैं सारे सदस्यों को बतानाा चाहूंगा कि हमने सारे अनओथराइज्ड कालोनीज के अंदर सबका सर्वे कराया था। लगभग 3300 करोड़ रूपये का बजट बन रहा था तो सरकार 3300 करोड़ रूपया अपने बजट में नहीं दे पाई अभी तक। पिछले साल कुछ पैसा दिया गया था। कुछ पैसा इस साल दिया गया है। तो मुझे लगता है, पहले मैंने सोचा था सबके इकटठा करा देंगे, तो उसकी वजह से ये भी हुआ था कि भई जो हमारे एमएलए महोदय थोडा एक्टिव थे, उन्होंने शुरू में जल्दी से जल्दी अपने पास करा लिये। कुछ हो गये काम, कुछ नहीं हुए थे। अब जो है, जितना बजट इस विधानसभा ने पास किया है, जितना भी पैसा है, उस सारे पैसे को ठीक से युटिलाईज किया जायेगा और सबके अंदर डिवाइड करके जल्द से जल्द किया जायेगा और अगर किसी काम को वर्क आर्डर

वगैरह हो चुका है और डिले हो रहा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं जगदीश जी, अब मंत्री जी के उत्तर, देखिए जगदीश जी प्लीज। मंत्री जी के उत्तर देने के बाद, नहीं उनके उत्तर देने के बाद क्या बच गया, बताओ? प्लीज।

श्री जगदीश प्रधानः एक एजेंसी के पास जिसके पास मैन पावर नहीं है, वो काम कैसे करेगी?

अध्यक्ष महोदयः वो ही तो उत्तर दिया है उन्होंने, उसमें करवाते है।

श्री जगदीश प्रधानः वो नहीं दिया सर। फंड की बात कही है, एजेंसी की बात कोई नहीं की है। जहां दिल्ली में डीएसआईडीसी....

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एजेंसी का और बता दीजिए। सभी सदस्यों की ये परेशानी है, डीएसआईडीसी से?

शहरी विकास मंत्रीः नहीं, देखिएगा पहले काफी सोच समझकर ये किया गया था कि अलग–अलग एजेंसीस, अलग–अलग एरियाज में काम कर रही थी। इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी जो हमें बताया गया था कि अगर एक ही एजेंसी, एक ही एरिये में, तीन एजेंसी काम कर रही है तो ऐसा भी एक है दिक्कत आई थी कि भई जैसे एमसीडी के तो आपने कारनामें सुने ही हैं कि अगर उनको काम दे दिया, वो बिल ही बना देते हैं कि काम करा किसी और एजेंसी ने, उन्होंने बिल बना दिए! तो मुझे

लगता है कि सदस्यों का अगर ऐसा सुझाव है तो हम एसेम्बली वाईज कर लेंगे। अगर जिसको एमएलए चाहेंगे तो उसका हम सुझाव रखते है कि एमएलए कि मर्जी है, एक एजेंसी वो चुन ले, फिर दूसरी एजेंसी नहीं करेगी। एक ही जगह पर अगर चार एजेंसी काम कर रही हैं तो पता लगेगा कि बिल बना दिए उन्होंने और पैसे वो सरकार के डबल खा गए तो उसके चांसेज हैं। इसके लिए मैं अभी वादा तो नहीं कर रहा हूं पर इसके लिए डिस्कशन करके सारे एमएलएज के साथ बातचीत करके इसको कर लिया जाएगा।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब नहीं प्लीज। नहीं, ये प्रश्न–उत्तर नहीं है प्लीज।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए प्लीज। अब इस विषय पर नहीं। दो मिनट रूकिये जरा प्लीज, बैठिए पुष्कर जी। महेन्द्र गोयल जी देर से आए हैं, लास्ट है बस ये। 280 में लास्ट है। मैं 280 की बात कर रहा हूं अभी दो मिनट 280

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप कौन से नियम में बात कर रहे है? अनअथोराइज कॉलोनिज का विषय आ गया। अनअथोराइज कॉलोनी के विषय पर दो–तीन सदस्य बोल चुके। माननीय मंत्री भी उत्तर दे चुके हैं, कमेटी बन चुकी। कोई दिक्कत है तो उसमें लिखकर भेजिए एक बार। मैं स्वयं उसको देखूंगा।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए प्लीज, बैठिए अब।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, वैसे तो ये क्वैश्चन आज लगा है अब। यूडी से डुडा में अभी तक फंड नहीं जा रहा था, ये मंत्री साहब ने कह दिया कि यूडी ही दुबारा से फंड देगा। लेकिन मेरा 2013–14 का चार करोड़ रूपए बाकी है जो कि यूडी ने अभी तक नहीं दिया और मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि 2013–14 के एमएलए लैड के जितने भी फंड पेंडिग हैं, वो मिलने चाहिए। सत्येंद्र जैन जी शायद अभी जवाब दे रहे हैं साथ के साथ।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछले सालों का जितना भी फंड था, सारा रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मुझे डिपार्टमेंट सैक्रेटरी साहब ने बताया है।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, उन्होंने 2013–14 का पूछा है।

लोक निर्माण मंत्रीः उसका एक बारी देखिएगा, हां, इसका भी बता देता हूं। मैंने सारा पुराना कैरी–फॉरवर्ड को चैक कराया था। डिपार्टमेंट ने जो मुझे लिस्ट बनाकर दी थी, उसके हिसाब से उनका कहना है, वो सारा का सारा डिस्बर्स कर चुके हैं, पूरा का पूरा एमाउंट।

श्री महेन्द्र गोयलः और मैं कह रहा हूं, मेरा नहीं आया अभी तक।

लोक निर्माण मंत्रीः एक बार सुन तो लीजिए। जिन–जिन सदस्यों का

अगर कोई डिस्क्रेपेन्सी है, वो मेरे संज्ञान में लेकर आएं। मैं उनसे स्पेसिफिक क्वैश्चन पूछूंगा। मुझे डिपार्टमेंट ने चैक करके बताया है कि सबका पूरा का पूरा पैसा दे दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। आपका अगर किसी का भी फर्क है तो मेरे पास आ सकते है।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई दो मिनट रूकिये।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, हो गया। भई राजेश जी, जो सीरियल नंबर से ड्रा में आए हैं, वो मैंने ले लिए। अब उससे ज्यादा मेरे पास नहीं हैं। प्लीज नहीं, मैं अब उसमे एलाऊ नहीं कर रहा हूं।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सैकेंड रूकिये प्लीज। बैठिए, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, दो मिनट बैठिए प्लीज।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई राजेश जी, ऐसे तो सदन नहीं चल पाता। आप लोग अगर इस ढंग से नियमों का उल्लंघन करेंगे तो बात नहीं बनेगी।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, बस मुझे दो मिनट दे दीजिए आप। अध्यक्ष जी, एक बहुत गंभीर विषय पर मुझे...

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे ऑफिस में अभी नितिन त्यागी जी मिले थे। उनका

एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कल उनके क्षेत्र में एक दुर्घटना हो गई है वो मैं समझता हूं सदन में उठाना आवश्यक है।

.... (व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, उससे पहले प्लीज।

अध्यक्ष महोदयः और डिप्टी स्पीकर महोदया भी मुझे मिली थी। उन्होंने भी एक विषय अपना गंभीर दिया है। हां, दो मिनट में।

सुश्री राखी बिड़लाः सर, दो मिनट में ही समअप कर दूंगी।

अध्यक्ष महोदयः दो मिनट बोलिए, बहुत संक्षेप में।

सुश्री राखी बिड़लाः बिल्कुल। अध्यक्ष जी, जो मैं मुद्दा आज यहां रख रही हूं, वो सिर्फ मुझसे रिलेटिड नहीं है। मुंडका विधान सभा, नांगलोई विधान सभा, सुल्तान पुरी, किराड़ी पूरे नॉर्थ–वेस्ट का इश्यू है। ये सात जून का न्यूज पेपर है और इसमें माननीय एलजी साहब के आदेश अनुसार लिखा है 'तीन हफ्ते में सड़कों को करें अतिक्रमण मुक्त।' ये उपराज्यपाल का बयान है और इस बयान की आड़ में जो अभी–अभी एमसीडी की नई गवर्नमेंट चुनकर आई है और दिल्ली पुलिस की अभी आपने तमाम कंपलैण्टस सुनी कि किस तरह से अपराध बढ़ते हैं, वो उस पर एक्शन नहीं लेती लेकिन इस फैसले की आड़ में एमसीडी–दिल्ली पुलिस के लोग मिलकर सड़कों से रेहडी–पटरियां हटवा रहे हैं। कई सालों से जो छोटी–छोटी सब्जी की मंडियां हैं, कपड़े की मंडियां हैं, पटरी बाजार हैं, उनको लगातर हटा रहे हैं और ये सारा का सारा इस तरह से मैन्युपुलेट किया जा रहा है, इस तरह से दर्शाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के माध्यम से एसडीएम के माध्यम से ये काम कराया जा रहा है। ये 6 जून को एलजी साहब ने प्रस्ताव

पास किया था कि जो है, रेहड़ी–पटरी और जितने भी अतिक्रमण हैं, उन्हें हटाएं।

अध्यक्ष जी, हम इस फेवर में नहीं है कि दिल्ली की सड़कों पर अतिक्रमण हो लेकिन उन लाखों मजदूरों के बारे में सोचना पड़ेगा, रेहड़ी–पटरी वालों के बारे में सोचना पड़ेगा, छोटे दुकानदारों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि जिनका रोजी–रोटी, जिनका घर–बार इस रेहड़ी–पटरी से चलता है। किराड़ी विधान सभा हो, मेरी विधान सभा से लगी हुई सुल्तान पुरी विधान सभा हो, मुंडका विधान सभा हो, सब जगह छोटी–छोटी रहेड़ी–पटरी वालों के अचानक से पुलिस आती है। एमसीडी के लोग आते हैं, आधा सामान जमीन पर, आधा सामान ट्रक में और आधा सामान उनकी पर्सनल गाड़ियों में उठाकर ले जाते हैं। रोज हजारों रूपये का नुकसान हो रहा है। कितने सैकड़ों कर्मचारी....

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए प्लीज।

सुश्री राखी बिड़लाः परेशान हो रहे है। अध्यक्ष जी, सिर्फ मेरा आपसे इतना कहना है कि जो ये एलजी साहब के आदेश को आड़ बनाकर दिल्ली पुलिस और एमसीडी के लोग जिस तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, मेरी पूरी विधान सभा में, पूरे नोर्थ वेस्ट में 133 का नोटिस दिया गया है। उस नोटिस के तहत न तो कोई भी रेहड़ी–पटरी वाला रेहड़ी–पटरी लगा पा रहा है, न छोटी–छोटी मार्केटों में जहां सब्जी बिकती है, कपड़े बिकते हैं, वहां पर कोई काम हो पा रहा है।

मेरी आपके माध्यम से विनती है, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं कि इस पर तुरंत एक्शन हो। जब कोई क्राइम करता है, किसी बच्ची के साथ रेप होता है, खुले में अभी 15 दिन पहले मेरी मंगोलपुरी विधान सभा में

एक लड़के को खुलेआम तीन गोली मारी और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई, तब पुलिस वहां नहीं आती है, जब एनक्रोचमेंट हो रही होती है, इल्लीगल बिल्डिंग बन रही होती है, तब एमसीडी वाले नहीं रोकते है लेकिन जब कोई मजदूर वर्ग रेहड़ी लगाकर अपना पेट पालता है तो वो उसकी रेहड़ी हटाने के लिए आते हैं और उसका सामान जब्त करते हैं।

अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है ये एमसीडी भी बीजेपी की है.

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए, अब कन्क्लूड करिए प्लीज।

सुश्री राखी बिड़लाः दिल्ली पुलिस भी बीजेपी की है और ये हमारे सांसद के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। इस पर आप एक्शन लें और एलजी साहब को यहां से एक वक्तव्य आप भेजें कि इस तरह से रेहड़ी–पटरी वालों पर अत्याचार न हो क्योंकि आम आदमी पार्टी रेहड़ी–पटरी वालों के हित में थी। गरीब और मजदूरों के हित में थी और हमेशा रहेगी और इसे आप प्लीज रूकवाइये, बहुत–बहुत धन्यवाद।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब बैठिए। हो गया विषय। देखिए अब ये चर्चा, दिक्कत यहीं है ये चर्चा का विषय बन रहा है।

.... (व्यवधान)

श्री ऋतुराज गोविन्दः कंपलीटली अनअथोराइज कालोनिज से हम लोग एमएलए है....

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए प्लीज, बैठिए। अब बैठिए झा साहब, बैठिए प्लीज। आ गई, बात आ गई ना उसमें। बैठिए प्लीज। नितिन त्यागी जी।

एक सैकेंड अवतार सिंह जी, ये गंभीर मुद्दा है। मुझे ध्यान है आपका मुद्दा भी है, आप मिले थे। अभी मैं बात कर रहा हूं।

श्री नितिन त्यागीः सर, ये आज के न्यूज पेपर में सबने ये हैडलाईन पढ़ी होगी "five hurt as twenty five years old building falls in East Delhi!' ये पढ़ी तो सभी ने हैं, मैं दिखा सिर्फ इसीलिए रहा हूं कि ये "twenty five years old building! सर, कल ये बिल्डिंग गिर जाती है। वहां पर रात को 2.00 बजे और मेजर हादसा तो कोई नहीं हुआ, एक पड़ोस में जो घर है, उसके ऊपर दीवार गिरी तो उनकी छत टूट गई और जहां बैड पे बाईचांस उस वक्त कोई नहीं लेटा हुआ था, पूरी दीवार उस बैड पर गिरी, बच गए और उसके पास में एक जमीन पर सो रहे थे बुजुर्ग उनके सर पर और हाथ में चोट आई। उस बिल्डिंग के अंदर, जो बिल्डिंग गिरी है उसमें भी 3–4 लोग थे। वो वाला पोर्शन नहीं गिरा, साईड वाला पोर्शन गिरा। वो लोग सिर्फ अंदर बंद हो गए और उनको भी चोट नहीं आई पर ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मेरा जो इशू है, वो ये है कि ये 1992 में जब ये बिल्डिंग बन रही थी, तब की कम्पलैण्ट है कि ये अनोथराइज बिल्डिंग बनाई जा रही है। इसके बाद में सर ये 2007 की कम्पलैण्ट है, जिनके घर पर गिरी है, ये उनकी 2007 की कम्पलैण्ट है कि ये बिल्डिंग बहुत बुरी हालत में है, जर्जर हालत में है, टेढ़ी हो गई, ये कभी भी गिर सकती है। इस बिल्डिंग में सील लगी, मिलजुल कर सील खोल दी गई, पर अब ये सर बिल्डिंग गिर गई। कल बिल्डिंग गिरती है। ये लोगों ने रिमाइन्ड कराया कि हम लोगों ने ऐसे–ऐसे कम्पलैण्ट करी थी तो आज 3 तारीख है, आज एमसीडी वाले उनके घर पे भी नोटिस लगा देते हैं, वो दुबारा से कम्लैण्ट न करें और उस कम्पलैण्ट को उजागर न करें। दिल्ली नगर निगम वाले ये नोटिस लगा देते हैं। उसकी पॉलिसी है

सर, कि आपकी भी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है सर 52 साल पुरानी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग का मुझे पता नहीं सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, पुरानी बनी हुई बिल्डिंग है, वो लोग गरीब भी बहुत हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग हैं जैसी ये बिल्डिंग गिरी लक्ष्मी नगर में और आज मुझे जहां तक पता है, आपके शाहदरा में भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग होंगी जो अनोथराइज तरीके से बनी हैं, नक्शे के हिसाब से नहीं बनी, गिरने की हालत में कभी भी हादसा हो सकता है। बड़ा हादसा हो सकता है। मनीष जी नहीं है, यहां पर, मनीष जी के यहां पर ऐसी बिल्डिंग हैं, ओमप्रकाश शर्मा जी नहीं है यहां पर। ओमप्रकाश जी के यहां पर विश्वास नगर में ऐसी बिल्डिंग हैं। तकरीबन ईस्ट दिल्ली में बहुत जगह पर ऐसी बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारे लोगों के, कल बताया जिन्होंने कम्पलैण्ट करी है ऐसी बिल्डिंगस की, पर एमसीडी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। सील बिल्डिंग खुल जाती है। इनिशियली एक्शन लिया जाता है पर फिर कुछ एक महीनों में फिर खुल जाती है। बिना किसी भी काम के वो बिल्डिंग दुबारा कैसे सेफ हो जाती है, ये पता नहीं! ये इस तरीके की बातों को रोकना, ये थोड़ा सा सर, असमंजस में डालता है कि क्या ये मिली भगत से हो रहा है, क्या ये भी एक करप्शन हो रहा है! मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता पर चाहता हूं कि ये मैटर जो है, ये आपकी एमसीडी पेटीशन कमेटी में डाला जाए, इसके ऊपर जांच हो। कितनी बिल्डिंगों के ऊपर कम्पलैण्ट आई है और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, किस स्थिति में हैं, कैसे चैक कराया गया है उनको, कैसे सर्टिफाई किया है कि जो ये बिल्डिंग गिरी है, इसके लिए एनओसी दी है एमसीडी ने कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्डिंग गिरेगी नहीं और ये गिर जाती है।

अध्यक्ष महोदयः एन.ओ.सी. दी है।

श्री नितिन त्यागीः जी सर, बिल्डिंग को सील कर डिसील किया गया है तो ऑफिसिली एनओसी दी गई है। तो क्या पूरी प्रक्रिया इस बिल्डिंग पर रही है और भी बहुत सारी बिल्डिंगों के ऊपर कम्पलैण्ट है। कितनी कम्पलैण्टस हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, मैं ये मानता हूं आज की तारीख में जो स्टॉफ है, वो 2007 में नहीं रहा होगा। मैं इनको ब्लेम नहीं करना चाहता। भई, आप आज आए हो, आपको 2007 का नहीं पता होगा। पर आप निकलवाइए उसे, पता कीजिए। कल को कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई मर जाए, जान–माल का खतरा बनता है तो सर।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बोल चुके हैं इस पर। आपको समय मिल गया था, अपने इलाके का।

श्री नितिन त्यागीः सर मैं इसको फॉरवर्ड करना चाहूंगा, आप इसको प्लीज एमसीडी कमेटी में डालिए।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

श्री प्रवीण कुमारः मैंने एमसीडी कमिश्नर को पर्सनली जा कर, 5 बार मिला हूं। वो बिल्डिंग सील हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद सील खुलवा के अब उसका काम हो रहा है। ये गोरख धन्धा बना रखा है, एमसीडी में बीजेपी है, बीजेपी की शह पर पूरा ये लगातार काम चल रहा है और एमसीडी लगातार....

अध्यक्ष महोदयः आप दोनों पैरलल बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। नहीं प्रवीण जी, आपका विषय आ चुका है मेरे पास, कमेटी को रैफर हुआ है। कमेटी उस पर संज्ञान ले रही है। अनोथराइज कन्स्ट्रक्शन पर सदन में चर्चा भी हो चुकी है।

श्री प्रवीण कुमारः मेरा कहना है इसमें एमसीडी कमिश्नर को तलब किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः आप लिख के दे दीजिएगा कौन सी बिल्डिंग हैं। अवतार सिंह जी मैनू मिले सीगे, एक बहुत उन्ना दा भी सीरियस मामला हैगा, अवतार सिंह जी। तुस्सी हिन्दी विच बोलदे हो पंजाबी विच बोलो। मैं तुहाड़े नाल पंजाबी विच गल करदां हाँ

सरदार अवतार सिंह कालकाः अध्यक्ष जी। साड्डा इक देश दा महान राजा हुआ, महाराजा रंजीतसिंह जी, पीछे उन्ना दी हूणे उना दीं आपां बरसी मनाने जा रहे सी पाकिस्तान ते बड़ी बदकिस्मती दी गल है के लोकां दी ऐनी श्रद्धा हुंदी है के अपना ऐहो जेहा महाराजा हुया, जिन्ने अफगानिस्तान, ईरान तक जाके राज कित्ता, ते उन्ना दे नाल योद्धा हुआ हरिसिंह नलवा जेड़ा के आज वर्ल्ड दे बिच दस योद्धा दा नाम आया हरिसिंह नलवे दा। ऐसे योधेयां दा जदों असी अपणा दिन मनावण जानदे हां, उत्थे पर साड्डी सरकार तां बिना बुलाए नवाज शरीफ जी दे बर्थडे ते पहुंच जान्दी है, पर जित्थे 300 सौ लोकां दा जत्था जा रहा पूरे हिन्दूस्तान तों, पंजाब तौं ज्यादा लोग होंदे ने कुछ दिल्ली तों कुछ बाहरों लोग होंदे ने हिन्दुस्तान तौं ते उन्नाने उत्थे पहुंचना सिग्गा ते आगे लंगर पकाके तैयार रख्या उणानी।

मैं एक हिस्ट्री दस दिना पंजा साहब वो स्थान है, जित्थे अंग्रेजां ने कुछ कैदी लेके जा रहे सीगे ते उत्थे गड्डी रोकके उन्ना सहिदियाँ दे के लंगर छिकाया सिगा ते अज उत्थे ओ लंगर लेके खड़े रहे, 29 जून नू जाणा सी उणा ने पाकिस्तान ते एहे साड्डी सरकार दी नाकामी, साड्डे जेड़े अकाली दल साहब बैठे अपणे साडे सक्कतर साहब बैठे दिल्ली कमेटी दे।

हालांकि मुद्दा एणा नू चुकना चाहीदा सिगा पर बड़ी शर्म की गल हैगी साड्डे वास्ते साड्डे हिन्दुस्तान वास्ते, अप्पां बड़ियाँ बड़ियाँ गल्ला कर रहे, हां, जित्थे देश दा नाम उच्चां हो रेहां है, ओत्थे आज अस्सीं अपना सिक्योरिटी देण नू असमर्थ हो रहे हैं के सिक्योरिटी नहीं है। उत्थे स्टेशन ते गड़डी ते लोग खड़े रहे ने, उत्थे रेल गड्डी नहीं पहुंची, सिक्योरिटी नहीं है। साड्डे मतभेद हो सकदेंने पाकिस्तान दे नाल कशमीर मुद्दे ते। अपना जेड़े लोग जिना दी आस्था है क्योंकि साड्डा जेड़ा जन्म है, वो पाकिस्तान जेड़ा सिक्खी दा जिस तों शुरूआत हुई है पाकिस्तान ननकाना साहब, विखे हैगा, साड्डा दिलों जान दा रिश्ता हैगा उणा दे नाल, पर जद्दों देश दे मतभेद होंदे ने अस्सी ओथे अलग खड़े हुन्दे हॉं, साड्डी आस्था दा ध्यान रखना चाहीदा है के साड्डी सरकार गल्ला तें वढ़िया वढ़िया कर रही है पर जदों कोई गल्ल ओंदी है सिक्योरिटी दी, उत्थों सिक्योरिटी देन तौं मना कर दिता जान्दा है। रेल गड्डी नहीं भेंजी जांदी। एहदे वास्ते अस्सी बड़े, सानू महसूस हुआ कि साड्डी आस्था नूं बड़ा धक्का लग्गया ते इस उत्ते खासकर के साड्डी सरकार नूं ध्यान देना चाहीदा है और साड्डे अकाली दल, भाजपा साहेब बैठे ने एत्थे गठबन्धन है, इन्नादा इनाणू ऐ गल्ल करनी चाहि दी है उत्थे कि अपणा अहो जेहा क्यों इसतरां दा वतिरा कित्ता जा रहा है, पंजाब दे लोका नाल मैं। बस इतना ही कहणा चाहूंदा सी कि इसदे उत्ते अपणा विचार करण अते साड्डे जेहड़े प्राईममिनिस्टर साहब ने अगर पहुंच जांदे ने झट जाके बिना दस्से पाकिस्तान दे विच ते साड्डे लोग इंतजार करदे रहन्दे ने उत्थे और वो भी आस्था वास्ते कि उत्थे ननकाना साहब साड्डा अपणा जेड़ा गुरूनानक साहब दा जन्म स्थान है, उत्थे साड्डा पहुंचना बहुत जरूरी होन्दा है पर ये सान्नू नकारिया गया इस गल्ल तौं बिल्कुल ध्यान नहीं दित्ता गया। सौ मैं बिनती करांगा कि अपणा इसते ध्यान दित्ता जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। भई अब मैं कुछ नहीं ले रहा हूं, प्लीज।

श्री ऋतुराज झाः अध्यक्ष महोदय, कपिल मिश्रा जी ने कहा है कि सभापति डायर, केजरीवाल डायर। आपको डायर कहा जा रहा है, ये हमारे माननीय सदस्य भी हैं।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कपिल जी आप बैठ जाइये, वहां, बैठ जाइए वहां पर, मार्शल्स, मार्शलस, मार्शलस।

श्री कपिल मिश्राः सिमरन के लिए फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं आप? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप धृतराष्ट्र बनके क्यों बैठे हुए हैं, अध्यक्ष महोदय?

अध्यक्ष महोदयः मार्शलस, बाहर ले के जाइए।

श्री कपिल मिश्राः आप धृतराष्ट्र बनके क्यों बैठे हुए हैं, अध्यक्ष महोदय?

अध्यक्ष महोदयः बन्द करिए गुन्डागर्दी इसकी।

श्री कपिल मिश्राः आप उसके बारे में फैसला क्यों नहीं लेते?

अध्यक्ष महोदयः बड़ा अफसोस मुझे हो रहा है कि बाहर मीडिया में जो मर्जी आए बोलें जिस स्तर तक की बकवास कर सकते हैं, करते हैं लेकिन सदन की गरिमा को बना के नहीं रख पा रहे हैं और मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं कोई कदम उठाऊं। ये टवीट मैने पढ़ा भी है, अखबारों में भी आया है। झा साहब ने जो उठाया है, मैं इसको देखूंगा कि क्या कर सकता हूं, सलाह करूंगा।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से....

श्री सोमनाथ भारतीः ये सदन की गरिमा न रखते हुए कुछ भी बोल रहे हैं, आपके खिलाफ!

अध्यक्ष महोदयः प्लीज बैठिए। ये जो कुछ अभी कपिल ने यहां बोला है, वो रिकार्ड में रख लिया जाए। उसको निकलना नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः हां सिरसा जी, क्या कह रहे हो?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः जो अभी सरदार अवतार सिंह कालका जी ने जो विषय उठाया है और क्योंकि मुझसे सम्बन्धित है दिल्ली गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के कारण उठाया है तो मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं। हालांकि हाउस का विषय नहीं था ये, लेकिन आपने कहा तो मैं जरूर जानकारी दे दूं।

अध्यक्ष जी, इसमें हिन्दुस्तान की सरकार को इन्क्लूड करने का विषय नहीं है। विषय ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो श्रद्धालु जा रहे हैं, वहां सुरक्षित हैं। क्योंकि जो आज के हालात बने हुए हैं, एक दूसरे को मारने ताड़ने की बात चल रही है, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के आज के हालातों में। तो उसमें केन्द्र की सरकार ने ये कहा कि अपने आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी लें पाकिस्तान के हालातों में। इन हालातों में पाकिस्तान की सरकार से अपेक्षा करें कि आप लोगों की सुरक्षा करेंगे और ऐसा न हो कि कोई घटना क्रम घटे। इसके लिए आप अपनी चिन्ता करें। तो मैं समझता हूं कि ये आपका विषय बड़ा गम्भीर है और अच्छी बात आपने उठाई और मैने खुद भी सुषमा स्वराज जी से इस विषय पर बात की। पर मैं जिस काम के लिए खड़ा हुआ था, वो ये था कि हमारी बहन ने अभी जो विषय उठाया कि जो इन्क्रोचमेंट की जा रही है और एमसीडी उसको भाजपा का

नाम लेकर... मैं आपको एक मात्र जानकारी देना चाहता हूं कि छः तारीख को जब लैफि्टनेंट गवर्नर ने आर्डर पास किया, मैं भी उस दिन वहीं था क्योंकि हम ये जो आज का विषय लगा, उसको लेकर गए थे। अध्यक्ष जी ये हाई कोर्ट का आर्डर है और ऑनरेबल हाईकोर्ट के ये डायरेक्शन हैं कि दिल्ली के अंदर हर तरह की इन्क्रोचमेंट जो हटाई जाए और खुद मैंने तो कम से कम वैलेंन्टेयरली एलजी साहब को कहा कि मैं लिखित में देना चाहता हूं कि कम से कम अगर हम लोग इस इन्क्रोचमेंट को नहीं हटा पाएंगे तो हमारी आने वाली कई जनरेशनस कौसेगी कि क्योंकि हालात आज ये है कि लोग सडकों पर चल नहीं पा रहे हैं। तो मैं यह समझता हूं कि ये कहना कि एलजी साहब के ऊपर कार्रवाई हो, उनको बुलाया जाए।

अध्यक्ष महोदयः नहीं कार्रवाई कहां कहा उन्होंने?

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः अफसरों को बुलाया जाए जिन्होंने ये कहा। कमिश्नर को तलब किया जाए। मेरी भावना किसी की खिलाफत करनी नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः उनकी अपनी भावनाएं उन्होंने बोली हैं।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं इनकी भावना की कद्र करता हूं। मैने जानकारी ये दी है कि हाई कोर्ट का एक आर्डर है।

सुश्री राखी बिड़लाः अतिक्रमण के फेवर में हम भी नहीं हैं।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं आपके खिलाफ नहीं बोला। मैने मात्र आपको ये दो जानकारी दी है।

अध्यक्ष महोदयः राखी जी, ये बहस नहीं चलेगी। राखी जी, अब बैठिए प्लीज। सिरसा जी आपकी बात आ गई, ठीक है, धन्यवाद।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैंने तो इतनी बात बताई है कि आपने भारतीय जनता पाटी की बात करके आपने पार्टी की करी। मैंने इसलिए आपको जानकारी दी। आप पार्टी की जानकारी न देते, मैं नहीं बोलता। क्योंकि अध्यक्ष जी इन्होंने पार्टी का नाम लेकर कहा।

अध्यक्ष महोदयः आपकी बात आ गई, अब बैठिए प्लीज। राखी जी, अब बैठ जाइए प्लीज।

मेरे पास श्री जगदीश प्रधान जी व मनजिन्दर सिंह सिरसा जी व आदर्श शास्त्री जी द्वारा नियम 54 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई है। इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं में नियम 59 के अन्तर्गत भी कार्य स्थगन प्रस्ताव एवं श्री राजेश गुप्ता तथा श्री राजेश ऋषि माननीय सदस्यों से अल्पकालिक चर्चा की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हेतु माननीय उप–मुख्य मंत्री के अनुरोध पर सत्र की अवधि दो दिन के लिए बढाई गई थी। अतः कार्य सूची में दर्शाए गए विषयों के अतिरिक्त किसी भी विषय पर विचार नहीं किया जा सकेगा। मैं केवल ध्यानाकर्षण नियम 54 के अन्तर्गत आदर्श शास्त्री जी का प्रस्ताव स्वीकार कर रहा हूं। इस लिए बाकी अन्य सूचनाओं को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः आज के बिजनेस में आ ही गया है।

अध्यक्ष महोदयः हां, तो आप इसमें क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन का मौका मिलेगा। क्वेश्चन का, भाषण का नहीं। नियम 54 में क्वेश्चन का मिलेगा। मैं आपको क्वेश्चन का अवसर दूंगा।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः सरकार को बताएंगे सरकार की कमियां। अध्यक्ष जी, 54 में हमारा भी दे दें। एक–एक दोनों में ओपोजिशन में से एक को ले लें। जिसका जायजा लगता है आपको। मैं ये नहीं कह रहा। जो 54 में लगे हुए हैं हमारे....

अध्यक्ष महोदयः नहीं, एक ले लिया बस। एक ही लेने का नियम है, एक मैं ले चुका हूं। आदर्श जी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, अखबारों में भी आया है।

ध्यानाकर्षण (नियम 54)

श्री आदर्श शास्त्रीः बहुत–बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी। रूल 54 कालिंग एटेंशन के माध्यम से आपने मुझे सदन में इस बात को रखने का मौका दिया।

मैं सदन का ध्यान आज के इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज की खबर पर ले जाना चाहता हूं। जहां पर दिल्ली के हमारे एससी, एसटी और माइनोरिटी के बच्चों को जो स्कॉलरशिप से महरूम रखा जा रहा है, उसके बारे में आज के अखबार में लिखा है और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लगभग पांच लाख सतावन हजार बच्चों की जिंदगी और उनके भविष्य को लेकर ये मुद्दा है। आज लगभग दो साल से 2015–2016, 2016–2017 से इन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ये स्कॉलरशिप चार सौ, पांच सौ रूपये माह के हिसाब से कम से कम चार हजार पांच हजार छः हजार रूपये सालाना इन लोगों को मिलती है और बच्चों को इस स्कॉलरशिप के माध्यम से पढाई करने में किताबें लेने वगैरह–वगैरह में सहूलियत प्राप्त होती है। ये उन लोगों को पिछले दो साल से नहीं मिल रही है। इसमें अखबार में लिखा है कि सीएम साहब ने चीफ सैक्रेट्री को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में भी उनसे ये पूछा है कि इसका क्या कारण है पिछले दो वर्षों से डिले का और साथ में ये जानने की कोशिश की है कि ऐसे क्या कारणवश सरकार के अधिकारियों ने सरकार के मंत्री का माननीय उप–मुख्य मंत्री को माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात से गुमराह रखा, इस बात को इनके सामने

नहीं रखा गया। डीडीसी, दिल्ली डायलॉग कमिशन की रिपोर्ट के पेज पर आज अखबार में छपा है। इसमें 12 स्कीम की चर्चा की गई है। सात स्कीम केन्द्र सरकार की और पांच स्कीम दिल्ली सरकार की। इन सारी स्कीम के बारे में ये बताया गया कि लगभग साढे पांच लाख जो बच्चे हैं, उनमें से 77 हजार बच्चों को और 29 हजार बच्चे, लगभग एक लाख दस हजार बच्चे तो ऐसे हैं जिनको इस वर्ष में मार्च के महीने तक पैसा मिलना चाहिए था। वो तो उन एक लाख कुछ बच्चों को तो अभी इस मार्च का पैसा तक नहीं पाया है और साथ में लगभग 16 महीने तक पैंडिग पैसा इन बच्चों का है जिसकी वजह से वे पढाई आगे नहीं कर पा रहे। इसमें जो डीडीसी के सैक्रेट्री है राकेश बाली, उन्होंने ये साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है: "Govt. of India has made it clear that the schemes are budget driven, Therefore, the slots have already been reassigned at the end of the financial year to other states that have completed the verification process."

इसका मतलब ये है कि ये जो budget driven schemes थी, ये पैसा बजट के तहत आना चाहिए था और हो सकता है और राज्यों ने, जिन्होंने ये वैरिफिकेशन पहले कर लिया हो, उनको ये पैसा मिल गया हो। तो मैं यह समझना चाहता हूं कि किस आधार पर ये वैरिफिकेशन स्कीम उन्होंने उन राज्यों ने पूरी करी और क्या ऐसा आधार है जिसमें दिल्ली सरकार वो नहीं कर पाई। क्योंकि ये साफ है कि ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये लिखा है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया गया जो प्रधान मंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के हिसाब से बनाया गया और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का उद्देश्य ये था कि ये पैसा जल्द से जल्द टाईमली इन बच्चों को प्राप्त

हो जाए। तो ये तो पूरे उद्‌देश्य को ही एक तरह से खत्म कर दिया गया। जब ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का उद्‌देश्य ये था कि बच्चों को टाईमली पैसा मिले और यहां पर 16 महीने तक उन बच्चों को पैसा नहीं मिला और उसके लिए सरकार ये जवाब देती है कि समय पर उन्होंने अपना वैरिफिकेशन नहीं किया तो ये तो वही बात हुई कि चित भी हमारी पट भी हमारी। एक तरफ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल नहीं तैयार किया गया, दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने क्या किया कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अगर बनेगा तभी उसमें पैसा जमा किया जाएगा। और तीसरी तरफ यहां पर उन बच्चों को महरूम रखा गया। लगभग साढे पांच लाख ऐसे बच्चे हैं जो आज उस स्कॉलरशिप से महरूम हो सकते हैं। एक लाख तो अभी हैं, मार्च 2017 में और उसके अलावा ये और बच्चे हैं। तो इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी ने मांगा, मैं ये समझना चाहता हूं, सदन के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि ऐसे क्या कारण है कि इस काम को पूरा नहीं किया गया। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अगर बात करूं, मैं दो मिनट आपका ध्यान उसपे ले जाऊं कि 2015–2016 दो साल के अन्दर ऐसे क्या कारण रहे कि एक बड़ा साधारण सा पोर्टल बनाना था टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मैं भी टेक्नोलॉजी के बेकग्राउंड से आता हूं। ऐसा क्या कारण रहा कि दो साल में तीन अलग अलग सरकारी कम्पनी को ये काम दिया गया और काम पूरा नहीं हुआ। पहले तेलंगाना की एक सरकारी कम्पनी को काम दिया गया, उन्होंने काम नहीं किया। उसके छः महीने बाद ये काम जो है एक्सिस बैंक को दिया गया, जब वो वहां पे सचिव का तबादला हुआ, उन्होंने काम नहीं किया। छः महीने बाद एनआईसी को ये काम दिया गया फिर जब सचिव का तबादला हुआ। पिछले दो सालों में तीन बार तो ये सचिव के तबादले होने पे अलग अलग कम्पनियों को ये काम दिया और ये साधारण सा काम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल नहीं बना, जिससे इतने बच्चों का भविष्य

आज अंधकार में है। तो इसकी जवाबदेही किसी को तो रखनी पड़ेगी और सरकारी अधिकारी जो इसके पीछे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखा, सरकार को मंत्रियों को अंधेरे में रखा, इससे ये सवाल उन लोगों से जरूर पूछना पड़ेगा। साथ में अगर मैं इसमें ये देखूं कि 21 दिन की जो डेडलाइन थी 31 मार्च की, उसके बाद भी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समय वो ही होता है क्योंकि उस समय एग्जाम खत्म होते हैं। नई क्लास में बच्चे जाते हैं और उस समय फाइनेशियल ईयर के अन्दर उन लोगों के पास इसका भत्ता आ जाना चाहिए। लगभग 21 दिन उस डेडलाइन पूरे होने के बाद 70 हजार कुछ एप्लीकेंट में केवल 293 एप्लीकेशन वेरिफाइ किए गए। 70 हजार जो सेन्ट्रल्स स्कीम थी, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया लगभग 77 हजार सेन्ट्रल्स स्कीम में लगभग 29 हजार स्टेट स्कीम में 77 हजार सेन्ट्रल्स स्कीम के स्टूडेंट्स में 293 स्टूडेंस का वेरिफिकेशन पूरा हुआ और डेडलाइन का समय था, उस समय हर अफसर को पूरा अपना समय, हर अधिकारी को सरकार के विभाग के निकाल के इसके वेरिफिकेशन के काम में लग जाना चाहिए। ये सरकारी अफसर इस बात का जवाब दें कि 293 कोई लॉजिक नहीं बनता है कि 77 हजार में आप 50 हजार कर पाए, 60 हजार कर पाए, 30 हजार कर पाए। एक बार कोई समझे भी मगर क्या कारण है कि 77 हजार में 293 एप्लीकेशन आप वेरिफाइ कर पाए 21 दिन में, डेडलाइन खत्म होने के बाद। इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। चीफ सैक्रेटरी साहब जो दिल्ली सरकार के जो इस कमेटी को चेयर करते हैं, इस पूरे दौरान में इस रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे दौरान में चीफ सैक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग नहीं रखी। मैं जानना चाहता हूं, सदन को ये बताना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे एससी/एसटी और माइनोरिटी के हमारे बच्चों पे जब 5 लाख 97 हजार बच्चों का आगे का भविष्य उसपे निर्भर करता है, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण

काम में चीफ सैक्रेटरी साहब व्यस्त थे कि वो एक दिन, एक मीटिंग का समय नहीं निकाल पाए इस पूरे 6 महीने, 8 महीने के दौरान! साथ में कोई एक्टीविटी इसमें जो सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है, जैसे मैंने बताया उसमें भी नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया ये नेशनल पोर्टल है। इस नेशनल पोर्टल में डिजिटल इंडिया के तहत कोई काम नहीं हुआ। ये तो आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पब्लिक से मिलते हैं, ये उस माध्यम से मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात आई क्योंकि ऐसे कुछ गरीब बच्चे मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने उनके सामने अपनी दुविधा, अपनी ये समस्या रखी और तब जाके जब मुख्यमंत्री जी को सरकार को इस बारे में जानकारी हुई तो मुख्यमंत्री जी ने फौरन निर्देश दिया, चिट्ठी लिखी और चीफ सैक्रेटरी साहब को बोला कि इसके बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। 5 लाख 57 हजार गरीब बच्चे एससी/एसटी के आज उनकी उनका भविष्य पूरी तरह से खतरे में है। आज हो सकता है ऐसे बहुत बच्चे हों जो स्कूल से बाहर निकाल लिए गए हों क्योंकि वो शायद अपनी फीस नहीं दे पा रहे हों। उनके सबके भविष्य की बात है।

मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा कि ये जो डीडीसी की रिपोर्ट, जिसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस की खबर में चर्चा हुई है, एक तो इस रिपोर्ट को सदन पे रखा जाए, सदन पटल पर रखा जाए जैसे कि सब सदस्यों को हम लोगों के इस रिपोर्ट की पूरी तरह से जानकारी मिल सके। साथ में जितने भी विभाग के कन्संर्ड ऑफिसर हैं, चीफ सैक्रेटरी जिन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई, इसे लेकर के, नीचे तक उन सबसे यहां बुलाके उनसे रिपोर्ट मांगी जाए कि क्या कारण रहा कि बच्चों की जिदंगी के साथ इस तरह का

खिलवाड़ किया गया है। और अन्त में दिल्ली सरकार के हमारे मुख्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और मंत्री सबको इस सारी मीटिंग्स, सारी इस कम्युनिकेशन से गुमराह रखा गया, क्यों नहीं बताया गया, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। सुश्री अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य....

अध्यक्ष महोदयः मेरे पास अभी अलका जी का स्लिप आया हुआ है और सिरसा जी का आया है इसके अलावा तीन सदस्य ओर समय को देखते हुए अपनी स्लिप मुझे भेज दें। नहीं, इस पर नहीं आई, इस पर स्लिप नहीं आई मेरे पास। चलिए अलका जी।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य जरूरतमंद समूह के बच्चों को छात्रवृतियों पर दिल्ली डायलॉग कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर आज चर्चा हो रही है। आज इंडियन एक्सप्रेस में भी और पंजाब केसरी में भी स्कॉलरशिप न बांटने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। क्या ये कार्रवाई होने दी जाएगी, मुझे इसपे बहुत बड़ा शक है क्योंकि कार्रवाइयों के लिए बहुत बार आवाज उठती है लेकिन कार्रवाई होने से कोई उसे रोक लेता है। ये रोकते कौन है? सबसे पहले जो छात्रवृति के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि 5 लाख, 57 हजार बच्चे दो साल से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जनता का संवाद रखते हैं, अगर वो जनता से न मिले होते या जमीन से न जुड़े होते या जिन छात्रों की छात्रवृतियां दो सालों से उन्हें नहीं मिल रही, जिसपे उनका हक है। अगर ये मुख्यमंत्री तक बात न पहुंची

होती तो अध्यक्ष जी मुझे लगता है कि दो साल क्या, आने वाले सालों तक भी इनका हक जो है यूंही मारा जाता रहता। आज उन्हें उम्मीद थी, जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे, इस सदन में कि अधिकारी भी यहां पर रहते चीफ सैक्रेटरी या हमारे सचिव जो एससी/एसटी डिपार्टमेंट के, मुझे मालूम नहीं कि यहां बैठे हैं या नहीं बैठे हुए। आज अच्छा होता कि चीफ सैक्रेटरी या एससी/एसटी विभाग के सचिव यहां होते तो इस बात का जवाब दे पाते कि क्यूं इन बच्चों को पिछले दो सालो से इनका हक नहीं मिला है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आती है अध्यक्ष जी, उससे साफ पता लगता है। अध्यक्ष जी, ये जो रिपोर्ट हैं इससे पता लगता है कि क्यों नहीं, क्योंकि ये बच्चों की जो स्कॉलरशिप है, वो केन्द्र की मोदी सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया का शिकार हो गई। हमने देखा कि बिना तैयारी के जीएसटी लागू किया गया, बिना तैयारी के नोट बंदी लागू की और बिना तैयारी के ही डिजिटल इंडिया, एक महत्वकांक्षी योजना का जो है, ये शिकार हो गई छात्रवृति की। दो साल से बच्चे धक्के खा रहे हैं हमारे पास भी आए, हमें भी समझ नहीं आया, हमें भी लगा कि कोई नहीं, अगले महीने आ जाएगी, फिर अगले महीने और जब जांच करवाई गई मुख्यमंत्री द्वारा तो पता लगा एक दो महीने की नहीं बल्कि दो साल की बात है कि दो साल से ये बच्चों का हक इन्हें नहीं मिल पा रहा है।

अध्यक्ष जी, इसका कसूरवार कौन है? क्यों आज सरकार को, मुख्यमंत्री को जो है अंधेरे में रखा गया। क्यों सरकार को सूचित नहीं किया। अगर छात्र सरकार से न मिलते, मुख्यमंत्री से न मिलते, न ये जांच बिठाई गई होती, न ये सच सामने आ पाता कि किस तरह का खिलवाड़ जो है, वो इन छात्रों से किया जा रहा है। फिर जब ये बात उठती है कि ये जो तबका जो एससी/एसटी है ओबीसी है या पिछड़ा है, माइनोरिटी है, इन्हें

जिस सोच का शिकार होना पड़ता है, उसी सोच से निकालकर इनकी ओर एक मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया, इन छात्रवृतियों के माध्यम से। लेकिन लगता है कि आज भी वो इन इस सोच का शिकार हुए बैठे हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर एससी/एसटी बच्चों को फ्री में मिलेगी कोचिंग, इसका फैसला किया है क्योंकि ये बच्चे जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उसी से ये कोचिंग लेकर अपनी आगे की पढ़ाई या अपने जो एन्ट्रेंस एग्जाम में बैठते थे लेकिन छात्रवृति रूकने से ये अपनी कोचिंग नहीं ले पाए, ये फीस नहीं भर पाए और खुशी है कि सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन बच्चों को फ्री कोचिंग देने कि जो है, वो बात कही है।

अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर है कि इसमें जो खुलासा किया है कि 7 सेन्ट्रली स्पोंसर्स्ड योजनाओं के तहत स्कॉलरशिप आ रही थी और 5 स्टेट यानि की कुल मिलाकर 12 योजनाओं के स्कीम के तहत स्कॉलरशिप आ रही थी लेकिन दुःख की बात है कि 12 की 12 योजनाओं के तहत जो करोड़ों रुपया आया, वो लैप्स होकर बिल्कुल वापिस चला गया। किसी भी बच्चे को उनकी स्कॉलरशिप के एक रुपये का भी जो है, वो फायदा नहीं मिला।

मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आपकी महत्वकांक्षी योजनाएं बिना सोचे समझे, बिना तैयारी किए योजनाओं का शिकार ये बच्चे हो रहे हैं। काइंडली अपनी डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट को तुरंत पूरा करें ताकि ये जरूरतमंद बच्चे उससे वंचित न रहे पाए।

अध्यक्ष जी, इसमें सिर्फ यही है एक सबसे बड़ी बात और मैं आपको इस साल का जो अब तक का डाटा है दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली कंटूनमैण्ट बोर्ड दो साल बच्चों की जानकारी इन तीन विभागों ने जहां पर लगभग बीजेपी का शासन है, नगर निगम की बात करूं,

एनडीएमसी, कंटूनमैण्ट बोर्ड जो है, दो लाख बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, दो लाख बच्चों की जानकारी इन स्कॉलरशिप के फायदा के लिए अभी तक इन लोगों ने इनके विभाग में नहीं दी। मैं बीजेपी के नेताओं से भी यहां पर सदन में निवेदन करूंगी कि नगर निगम को, एनडीएमसी को, एमसीडी को दिल्ली कंटूनमैण्ट बोर्ड को हाथ जोड़कर कहिए कि अपनी जो बच्चों की जानकारी, जो सूचनाएं वो दिल्ली सरकार से शेयर करें और मैं यह भी उम्मीद करती हूं कि दिल्ली सरकार ने जो फैसला किया है कि 5 जुलाई तक चीफ सैक्रेटरी और सैक्रेटरी एससी/एसटी विभाग इसके ऊपर तुरंत केवल जवाब ही न दें, 15 जुलाई तक हर बच्चे का हक 5 लाख 57 हजार के करीब जो बच्चे हैं, उनका हक उनके बैंकों में पहुंच जाना चाहिए और अध्यक्ष जी, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि 15 जुलाई तक जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है अगर रात को 12.00 बजे तक जीएसटी के लिए लॉन्चिग के लिए देश जागकर बैठ सकता है तो मैं उम्मीद करती हूं अधिकारियों को अगर 15 जुलाई को रात को 12.00 बजे तक भी जागकर इन बच्चों का हक इनके बैंको तक पहुंचाना पड़े, तो मुझे लगता है पहुंचाना चाहिए, जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदयः राखी बिड़ला जी। अजय दत्त जी, मैं बुला रहा हूं। पहले पीछे कुछ नहीं है। हाँ, मैंने ले लिया आपका प्लीज।

सुश्री राखी बिड़लाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो एक बेहद दुःख मुझे हो रहा है कि आपके आदेश के बावजूद भी चीफ सेक्रेटरी, जो भी कन्सर्नड डिपार्टमेन्ट है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहां पर मौजूद नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि आपकी बात को सदन की बात को सर्वोपरि रखकर कितना भी अर्जेन्ट काम हो, आफिसर्स को यहां होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः आ चुके हैं। एक सेकेण्ड, सेक्रेटरी बैठें हैं क्या? ठीक, सेक्रेटरी बैठे हैं।

सुश्री राखी बिड़ला: एक बैठे हैं न, बाकी डिपार्टमेन्टस के नहीं हैं। मुद्दे इतने हैं। चीफ सेक्रेटरी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: राखी जी।

सुश्री राखी बिड़ला: मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि इसको एक बार और ध्यान से लें क्योंकि यहां पर आज जो डाइरेक्ट बात हुई है, चीफ सेक्रेटरी का जो मुद्दा उठ रहा है और चीफ सेक्रेटरी साहब यहां पर मौजूद नहीं हैं, पहला जो मेरा विषय था और दूसरा यह कि जो आज का विषय आया है कि 5 लाख 57 हजार बच्चों की जो है, स्कॉलरशिप पिछले दो सालों से रोकी हुई है। ये एक सोची–समझी रणनीति है। ये सोची–समझी रणनीति इसलिए मैं बोल रही हूं अध्यक्ष जी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया अतिक्रमण वाला मामला, उसमें भी दिल्ली सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए, दिल्ली सरकार की लोकप्रियता को...

अध्यक्ष महोदय: राखी जी, मेरी बात सुनिये। एक सेकेण्ड मेरी बात सुनिये। नियम 54 के अन्तर्गत मूल विषय पर ही बात रखें।

सुश्री राखी बिड़ला: अध्यक्ष जी, इस षडयन्त्र के पीछे खुल्लमखुल्ला जो हाथ है, जो बीजेपी की की केन्द्र की जो सरकार है, उसका है। दलितो का हक मारना, दलितो के ऊपर अत्याचार करना, दलितो के बच्चे पढ़ न लें, आगे बढ़ न लें, ये एक संकुचित मानसिकता जो है, उसका प्रमाण हम लोंगों के सामने है जो आज हर न्यूज पेपर की हेडलाईन बना हुआ है।

अध्यक्ष जी, इस पीड़ा को मैं इसलिए ज्यादा महसूस कर सकती हूं क्योंकि मैं इस वर्ग से आती हूं और स्कॉलरशिप का कितना फायदा और कितनी महत्वता होती है, उस परिवार के लिए, उस छात्र के लिए, इसको मैं बखूबी समझ सकती हूं। अमूमन ये स्कॉलरशिप मार्च के अन्त तक मिल

जाती थी ताकि जब नया सेशन शुरू हो और ये गरीब बच्चे अपनी पुस्तक खरीद सकते हैं। अपना बैग, अपनी पढ़ाई के साथ–साथ अपनी यूनिफार्म की व्यवस्था कर सकते हैं और उस परिवार पर भी आर्थिक बोझ न पड़े। इसलिए एक समानता का अधिकार देने के लिए इस योजना का जो है लाभ उठाने के लिए दलित समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, माइनोरिटीज को ये इस योजना का जो है, आयोजन किया गया था लेकिन बहुत ही साजिश के तहत, बहुत ही शातिर अन्दाज में दिल्ली सरकार की छवि को धूमिल करने के साथ–साथ दलितों के अधिकारों का हनन करना और उनके अधिकारों को मारने की कला अगर किसी से सीखनी हैं तो वो बीजेपी से सीखनी है। जिस तरह से देश का आज सत्यानाश नोटबंदी के माध्यम से करा।

अध्यक्ष महोदयः राखी जी, फिर हम इस विषय...

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी क्यों नहीं, आप सुनिये न।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं बिल्कुल एलाउ नहीं करूंगा।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, क्यों नहीं एलाउ करेंगे?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपने को सीमित रखिये।

सुश्री राखी बिड़लाः नहीं चारों ओर, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है।

अध्यक्ष महोदयः हाँ, उस पर फोकस कीजिए।

सुश्री राखी बिड़लाः ये छोटा विषय नहीं है। ये इसी से जुड़ा हुआ विषय है कि किस तरह से जब से बीजेपी की केन्द्र की सरकार चुनकर आयी है, हर कोने में देश के, हर दो मिनट के अन्दर कोई न कोई दलित

किसी न किसी अत्याचार का शिकार होता है और उसी की बात सोची–समझी रणनीति के तहत आज हमारे बच्चों का अधिकार मारा गया। उन्हें वंचित रखा गया। आप सोचिये, किताबें न होने के कारण उनको किस तरह की पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। मां, बाप दोनों मजदूर वर्ग से आते हैं। वे महंगी–महंगी किताबें नहीं खरीद सकते हैं। महंगे–महंगे पढ़ाई के सामान नहीं खरीद सकते हैं। दिल्ली सरकार अपनी ओर से जितना होता है, उतना सपोर्ट कर रही है शिक्षा में। लेकिन उनका जो विशेषाधिकार है, जिस तरह से उसका हनन हुआ है। मेरी आप से भी विनम्र प्रार्थना है कि कन्सर्न्ड ऑफिसर को, चीफ सेक्रेटरी को और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 15 जुलाई तक इन बच्चों का अधिकार इनको बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके लिए मैं आदर्श शास्त्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो है सदन में उठाया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने महत्वूपर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतवर्ष में सेन्सस के अनुसार करीबन 18 प्रतिशत दलित हैं जबकि मुझे लगता है कि सेन्सस और ठीक से करेगा तो पता चलेगा की करीबन 25 से 26 प्रतिशत दलित हैं। बहुत बड़ी संख्या है। दूसरा आज समाज के अन्दर हम बात कर रहें हैं कि एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ाया जाये और हमें बार–बार ये देखने को मिलता है कि गरीब बच्चों को, दलित बच्चों को उनके अधिकार के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। आज सोलह महीने हो गये। दलित समाज के बच्चों को जो उनका

अधिकार कई सालों से कन्टीन्यूवस बेसिस पर मिल रहा था, उसको रोक दिया गया। उसके कारणों को बताया नहीं गया। जो बारह स्कीमों में से सात केन्द्र सरकार से आती थीं, पांच दिल्ली सरकार से आतीं थीं, एससी/एसटी विभाग के अधिकारियों ने उस स्कॉलरशिप को बन्द कर दिया। उसका कारण आज तक न तो मुख्यमंत्री को बताया, न ही उपमुख्यमंत्री को और न ही मंत्री जी को बताया गया और इतना बड़ा जो बजट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने दिया था, उसका एक किश्त वापस भी जा चुकी है और वो दूसरे किसी यूटी को असाईन्ड कर दी गयी है अब। जब और इसकी तह में गये तो पता चला कि ये पोर्टल जिसका नाम डिजिटल इण्डिया, मेक इन इन्डिया के नाम से रखा गया। वह अभी तैयार नहीं हुआ है और वो पोर्टल न तैयार होने की वजह से दलित बच्चों को अपने हक से वंचित रखा गया और वो भी उस समय जिस समय उन्हें नये बस्तों की जरूरत है, उन्हें नये जूतो की जरूरत है, उन्हें नये वर्दी की जरूरत है। उस समय उनको, उनके अधिकार से वंचित रखा गया। तो मुझे लगता है कि ये मनुवादिता जिसको बाबा साहब ने भी बहुत गहराई से समझा और उस पर कई वर्षों तक काम करने के बाद दलितों को एक अधिकार दिलाया। उनके इस अधिकार का हनन हो रहा है और ये आज कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है, ये एक सोची–समझी साजिश है जिसके तहत यहां पर कुछ मनुवादी लोग भारतवर्ष में सरकार में बैठें हैं। वो कभी कहते हैं कि आप ये मत खाओ, कभी कहते हैं दलित को इस बारे में परेशान किया जाये और आज उनके बच्चों को पढ़ने न दिया जाये। उनके बच्चों को स्कॉलरशिप न मिल जाये। देखिये, मैं भी एक दलित समाज से आता हूं। मुझे पता है की जब स्कॉलरशिप मिलती है। कुछ बच्चे तो इस समाज के इतने ज्यादा गरीब होते हैं कि उनके मां बाप सिर्फ इसलिए बच्चों को भेज रहे हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वो उनको पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ाई

का रेशियो आपने 5–7 साल में बढ़ा देखा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको स्कॉलरशिप मिली। उनको कापी–किताबें, उनको बहुत सारी आर्थिक सहायता मिली और उसकी वजह से दलित समाज के लोग और बच्चे मुख्य धारा में आने लगे लेकिन ये बहुत ही गम्भीर विषय है और उसकी वजह से दलित समाज के लोग और बच्चे एक मुख्यधारा में आने लगे लेकिन यह बहुत ही गम्भीर विषय है।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये।

श्री अजय दत्तः सर, मेरा विषय है, मुझे तो कम से कम रखने दो। पांच मिनट और लूंगा, आज पहली बार। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जब डिपार्टमेंट के पास पैसा था, उसके पास सारी मशीनरी है और उसको अपने विभाग के लोगों को 20 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सैलरी देते हैं और इन लोगों का काम है कि दलितों को उनके अधिकार दिए जाएं तो यह डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? यह क्या कर रहा है डिपार्टमेंट और यह तो एक मुद्दा आपके सामने आया है। अभी तो मैं एक और मुद्दा लाने वाला हूं जहां पर यह लोन नहीं दे रहे हैं। उनका पैसा रोक कर बैठे हैं तो आज मैं सिर्फ इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि दलितों के उत्थान के जो कार्यक्रम हैं, उनको रोका क्यों जा रहा है? मैं अपने मुख्यमंत्री साहब का बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः आप कन्क्लूड करिये।

श्री अजय दत्तः इन्होंने इस डिपार्टमेंट से पूछा कि बताओ क्या हुआ? और उन्होंने इसको टाइम बाउंड किया क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने हजारों बार गरीबों को और दलितों को सहारा दिया, हम जानते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और मंत्री साहब बैठे हैं, मंत्री साहब आपसे भी

कि इस डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा जाए कि इस पूरे कार्यविधि में स्कॉलरशिप क्यूं नहीं बंटी और जो 21 दिन का समय मिला था, उसमें सिर्फ 293 बच्चों के वेरिफिकेशन क्यों हुए, 700 बच्चों के वेरिफिकेशन में से। क्यों साजिश चलाई जा रही है, क्या ये लोग भी मनुवादिता के साथ जी रहे हैं या डिपार्टमेंट के लोगों के अंदर भी कुछ ऐसी छवि आ गई है कि वो दलितों का उद्धार नहीं करना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री अजय दत्तः मैं आपसे लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि एक तो मंत्री साहब, आप एक ऐसा कुछ सुनिश्चित करें जिसमें कि दलित लोग ही उस डिपार्टमेंट को चलायें, नहीं तो यह होता रहेगा, एक बात। दूसरी बात, मैं अपने मुख्यमंत्री जी और सरकार से भी यह अनुग्रह करता हूं कि आपने कहा कि टाइम बाउंड तरीके से 15 जुलाई रात के बारह बजे तक यह काम होना चाहिए, ऐसे ही यह हो और अगली बार अगर कोई भी दलित समाज में या दलित लोगों के या उनके बच्चे का हक मारे तो उसको इमिजिएटली सस्पेंड किया जाये।

अध्यक्ष महोदयः आप कन्क्लूड करिये।

श्री अजय दत्तः यह मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः आप कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री अजय दत्तः कि इसकी रिपोर्ट विधान सभा की जो एक विशेष कमेटी है, उसमें दी जाये और इनको बुला कर वहां पर पूछा जाये। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने इस गम्भीर मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैंने रूल 59 में यही विषय लगाया था और आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, जो इसकी जानकारी दी गई कि यह एससी/एसटी और माइनोरिटी, के जो बच्चे हैं, उन सब के ऊपर लागू होता था और यह पिछले डेढ़ वर्ष से बहुत बार हमने मुद्दा उठाया। अध्यक्ष जी, जो इस विधान सभा में जानकारी दी गई, वो अधूरी जानकारी दी गई और गलत जानकारी दी गई। यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलते हैं, इसलिए उनको इसकी जानकारी मिली। धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलते हैं लेकिन इस बात का अफसोस है कि दो साल बाद मिले और दो साल बाद उनको इस बात का ज्ञान हुआ।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस पत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम छः तारीख को, मैं भी, प्रधान जी भी और विजेन्द्र गुप्ता जी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिले थे। हमने इस विषय के बारे में उनको जानकारी भी दी और इसकी सीसी कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी। अध्यक्ष जी, इसके साथ–साथ यह अखबारों में भी छपा। मैं अखबार की कॉपी साथ में लाया हूं। विषय क्या है अध्यक्ष जी, आज यह हर मुद्दई की तरफ जाता है। हम उसकी गम्भीरता को इस बात पर डाल लेते हैं कि बीजेपी की सरकार काम नहीं करने देती, वहां से पैसा नहीं आने दिया, रोक दिया गया, हर तरह के इल्जाम लगाये गये। अध्यक्ष जी, इसमें पांच स्कीम जो हैं, वो दिल्ली सरकार की है और काम क्या है दिल्ली सरकार का, काम यह था दिल्ली सरकार का मात्र, कि जो बच्चे रिअम्बर्समेंट की फीस वापस लेना चाहते हैं, जो बच्चे गरीब हैं जिनके पास एससी/एसटी सर्टिफिकेट हैं, जिनके पास माइनोरिटी का सर्टिफिकेट है और जो लो इनकम के हैं, दो

लाख से कम इनकम के और 50 हजार के लो इनकम में आते हैं, इन केटेगरी में बांट दिया गया। अब सरकार की जिम्मेवारी क्या थी कि वो उनके सर्टिफिकेट लेकर, जो भरना चाहते हैं, उनके फार्म भरवा कर, उसको अपलोड करे लेकिन सरकार उसमें भी नाकाम रही और 18 महीने तक इस सरकार को यह जानकारी ही नहीं मिली कि इतना गम्भीर मुद्दा, जिसके अंदर एससी और एसटी के बच्चे और माइनोरिटी के बच्चे रो रहे हैं। मुझे हैरानी है, दो साल बाद नींद खुली और सारे लोग आज एक बात कह रहे हैं कि शुक्र है मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलते हैं और अगर मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलते हैं तो दो साल तक उनको जानकारी नहीं। मैं उनके साथ–साथ अपने एमएलए भाइयों से भी पूछना चाहता हूं, मैं तो सदस्य अभी दो महीने पहले बन कर आया हूं, मुझे तो इसकी जानकारी है और मैंने लिखित तौर पर एलजी साहब को बताया कि दिल्ली के बच्चे कैसे पीड़ित हो रहे हैं और सरकार इसमें क्यूं नाकाम है। मैंने उनको भी तथ्यों के साथ जानकारी दी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी तथ्यों के साथ जानकारी देना चाहता हूं।

अध्यक्ष साहब, हम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मेनेजमेंट कमेटी रन करते हैं। हमारे पास स्कूल हैं। पांच साल पहले जब मैं इस कमेटी का जनरल सेक्रेट्री बना था तो मैंने इसको भांपा कि इसके अंदर कमजोरी क्या है, कमी क्या है? अफसर क्यों नहीं इसकी फाइलों को मूव कर पा रहे, क्योंकि स्टाफ नाममात्र है वहां पर, अगर आप जानकारी लेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि सैकड़ों में नहीं, दर्जन में स्टाफ के लोग हैं और दिल्ली के अंदर आपने जैसे पढ़ा कि दो लाख 97 हजार बच्चे हैं, इनमें से 90 हजार बच्चे जो हैं, माइनोरिटीज के हैं और मैंने उन माइनोरिटीज के लिए हर स्कूल के अंदर माइनोरिटी सैल बनाया है और मैंने फीस रिअम्बर्समेंट सैल बनाया।

मैंने गुरुद्वारा कमेटी के अंदर उसका हैड ऑफिस बनाया। आप सुन कर हैरान हो जाएंगे, मेरा स्टाफ आज आपकी मिनिस्ट्री के लोगों को असिस्ट करने के लिए वहीं बैठा हुआ हूं। लगातार मैंने 20 बंदे वहीं बैठा कर इनको असिस्ट करने के लिए दिए हैं, उसके बावजूद माइनोरिटीज के 90 हजार फार्म रिअम्बर्स नहीं हो पाए। अध्यक्ष महोदय, जब हमसे पहले, चार–पांच साल पहले आए थे तो केवल दिल्ली सिख गुरुद्वारा मेनेजमेंट कमेटी के माध्यम से तीन करोड़ रुपया मिल रहा था। 80 करोड़ रुपया लेने में हम कामयाब इसलिए हो गए क्योंकि हम पोजिटिव अप्रोच में चले थे और हमारा मकसद था उन बच्चों को उनका राइट दिलवाना। हमने स्टाफ की असिस्टेंस मांगी।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह कहना है, यह मात्र कह देना, हमें जानकारी नहीं थी, मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी का और उनके मंत्री जी का, मंत्री जी चाहे नए आए हैं, मैं माफी चाहता हूं लेकिन सरकार को इसकी जानकारी न हो, दो–दो साल तक गरीब बच्चों का पैसा न मिले और सरकार के लोग यहां तालियां यह कह कर बजायें कि वाह जी वाह! मुख्यमंत्री जी को पता चल गया, वो काम करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, जो पैसा नहीं आता, मैं उसका भी आपको बताना चाहता हूं। जो केंद्र सरकार से पैसा नहीं आता तो यह जो गैप है, इसके लिए मेक शिफ्ट अरेंजमैंट बनाया जाता है। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी अपने बजट में से पैसा उनके लिए रिलीज करते और वो जो एमाउंट था वो मेक शिफ्ट अरेंजमैंट के लिए इस्तेमाल किया जाता। उन बच्चों को उनका पैसा मिलता और जब केंद्र से वह पैसा आता तो उस एकाउंट में दे दिया जाता। अध्यक्ष जी, हमने यह काम, मैं पंजाब में मुख्यमंत्री

का एडवाइजर रहा हूं, मैंने वहां काम किया था और बच्चों को इस माध्यम से पैसे दिलवाये थे पर मैं हैरान हूं सरकार की सोच नहीं है, उन लोगों की हेल्प करने की! केवल केवल इस सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बात डालने से... अध्यक्ष जी, हम चुने हुए नुमाइंदे दिल्ली के हैं। केन्द्र सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, इससे हम लोगों की आंखों के अंदर मिट्‌टी नहीं डाल पाएंगे। अंत में काम हमें ही करना होगा और मुझे खुशी होगी अगर हमारे बंधु केवल और केवल यह मान कर चलें कि दिल्ली सरकार का काम दिल्ली के भले के लिए है, केवल केंद्र सरकार को बदनाम करना और केंद्र सरकार पर लांछन लगाने से दिल्ली के लोगों के हक नहीं मिल पाएंगे। सो, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री साहब को अपील करता हूं जो एक महीने का टाइम दिया है, एक महीने के टाइम की जरूरत नहीं है, यह केवल तीन दिन का काम है। अपने बजट में से उनको पैसा रिलीज करें और जिन–जिन बच्चों की प्रोफाइल आ चुकी है, अपलोड हो चुकी है, उनके एकाउंट में तुरंत पैसा चला जाएगा। आपने मुझे इस मुद्‌दे पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। मदन लाल जी, बहुत संक्षेप में। माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है।

श्री मदन लालः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदर्श शास्त्री जी का, जिन्होंने आज इस बर्निंग टॉपिक पर, आज इस पूरे सदन को आपके माध्यम से सब को अवगत कराने की कोशिश की है। यह वाकई बहुत संगीन मसला है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में दो तरह के स्कूल हैं; एक तो प्राइवेट हैं, जहां मोटी फीस देकर दिल्ली के सबसे बड़े लोगों के बच्चे वहां पढ़ते हैं और दूसरे वो सरकारी स्कूल हैं, जहां लेबर क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा

पढ़ते हैं। अगर हम खास कर पांचवीं तक के स्कूलों को देखें तो उनमें बच्चों की जो ड्रेस है, चाहे वो जूते हों, चाहे कपड़े हों, चाहे उनका बस्ता हो, चाहे किताबें हों, उनकी दयनीय दशा को दिखाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लेबर क्लास के बच्चे, जो मिनिमम वेजेज एक्ट से भी ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, उससे भी नीचे कमाते हैं और मैक्सिमम दिल्ली की झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में रहते हैं, ऐसे बच्चे जब सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और उनके मां–बाप पर वो एक एक्स्ट्रा बोझ होते हैं। अगर दिल्ली को देखें तो दिल्ली में पर कैपिटा इनकम भले ही तीन लाख हो, पर वो इनकम बेसिकली लोगों की नहीं है बल्कि बड़े–बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की है। तो वहां लोगों का स्तर बहुत नीचे का है और उस निचले स्तर पर रहने वाले खास कर, हमारे एससी/एसटी के लोग, जो बेचारे अपना गुजारा खाने–पीने की चीजों के लिए नहीं कर पाते, उन बच्चों की एजुकेशन तक एक्स्ट्रा बोझ है। सरकार की पॉलिसी बहुत अच्छी थी कि सरकार ऐसे बच्चों को, सरकार की तरफ से मुहैया कराये मदद, जिससे वह अपना बस्ता, अपनी स्कूल की किताबें, एटलीस्ट अपने लिए वह एक ऐसे साधनों का जुगाड़ कर सके जिससे वो स्कूल में एक डिग्निटी के साथ जाते। मैंने बहुत अच्छी तरह देखा, अभी मैं एक स्कूल की विजिट पर था। वहां सरकारी स्कूल में एक बच्चे का जूता आधे से ज्यादा फटा हुआ था। देखकर बहुत अचरज हुआ और ऐसे में भी अगर सोलह महीने से उन बच्चों को उनका हक, जो सरकार देना चाहती है, पर नहीं पहुंच पा रहा, यह हम सब के लिए शर्म की बात है! अध्यक्ष महोदय, इस कारण से अगर बच्चे स्कूल में अपनी फीस न दे पाएंगे, उनके मां–बाप बच्चों के स्कूल में जाने के लिए अगर साधन जुटाने लगेंगे, तो वह अपने बच्चों के लालन–पालन में कोताही बरतेंगे जिससे उनका कुपोषण होगा। बच्चे स्कूल जाने से रुकेंगे, जिससे स्कूल

जाने के रुकने के कारण दिल्ली का जो शिक्षा स्तर है, वो नीचे आएगा जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी...

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मदन लाल जी, कंक्लूड कीजिए।

श्री मदन लालः अध्यक्ष जी, मैं आशा करता हूं कि आज की चर्चा के बाद जो लोग इसके लिए रिस्पोंसिबल है, उन लोगों को यह ज्ञान होगा कि वो इस तरह की हरकत अगर करेंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारे में जल्द ही संज्ञान लेकर उन बच्चों को उनका जो डयू है, वो दिलाया जाएगा, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री, श्री राजेन्द्रपाल गौतम जी चर्चा का उत्तर देंगे ।

श्री राजेन्द्रपाल गौतम (समाज कल्याण मंत्री): धन्यवाद अध्यक्ष जी, इतना गंभीर विषय और वो भी खुद सरकार ने ही आईडैंटिफाई किया। खुद मुख्यमंत्री जी ने पूरी रिपोर्ट मंगाकर दिल्ली डॉयलॉग एण्ड डेवलपमैंट कमिशन को भेजी और उसके बाद वो सारे आंकड़े निकलकर सामने आए। जैसे ही मैंने ओथ ली आप जानकर ताज्जुब करेंगे, ऑन द वेरी सेकेण्ड डे, ओथ के एकदम नेक्स्ट वर्किंग डे पूरी की पूरी रिपोर्ट मैंने खुद ही मंगवाई। मैंने खुद ही पूरी जानकारी, पूरे डेवलप फंड से संबंधित सारी जानकारी इक्ट्ठा की और सारे दस्तावेज सीएम साहब तक पहुंचाए। एक तो मैं सारे सम्मानित साथियों को धन्यवाद करता हूं कि जो गंभीरता उन्होंने इस मुद्दे पर दिखाई है और साथ ही साथ उनको एश्योर करना चाहूंगा। अगला जो सेशन शुरू हो रहा है, उससे हम ये एसर्टेन कर रहे हैं कि कोई भविष्य में एक भी केस पेंडिंग आपको नहीं मिलेगा विदिन टाइम बाउण्ड सारी स्कॉलरशिप्स समय

से पहले क्लियर कर दी जाएंगी, ये मैं सदन के सामने स्टेटमेंट दे रहा हूं। दूसरा लगभग सात लाख सड़सठ हजार के आसपास टोटल स्कॉलरशिप हैं जिसमें मैरिट स्कालरशिप है, गरीबी की रेखा की स्कॉलरशिप है, किताबों को लेकर स्कॉलरशिप है और किताबों के साथ साथ बाकी जो ट्यूशन फी वगैरह होती हैं, वो सभी प्रकार की स्कॉलरशिप इसमें शामिल हैं और मेरे पास अभी मैंने पूरा डाटा इक्ट्ठा किया है जिसमें इस टोटल सात लाख सड़सठ हजार में से पांच लाख स्कॉलरशिप क्लीयर हो चुकी हैं। एक लाख स्कॉलरशिप इसलिए पैंडिंग हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से, एमसीडी के स्कूल से और बाकी जितनी भी एजेंसियां स्कूल चला रही हैं, चाहे एनडीएमसी चला रही हो, चाहे एमसीडी चला रही हो, चाहे केन्टूनमैण्ट बोर्ड चला रहा हो, चाहे दिल्ली सरकार चला रही हो, उन सभी स्कूलों से ये एक लाख स्कॉलरशिप्स का अभी वेरिफिकेशन होकर नहीं आया है। ये दिक्कत क्यों हुई, मैं ये भी पूरे सदन को जानकारी देना चाहता हूं। ये दिक्कत इसलिए हुई कि एक रचना पब्लिक स्कूल, ये तो एक स्कूल है जो नजर में आया। अभी मैं जांच करा रहा हूं। जब पूरी जांच होगी तो शायद और भी बहुत सारे केसेज निकलकर सामने आएंगे कि जितने बच्चे वहां थे जो बच्चे एनटाइटल्ड थे इस तरह की स्कॉलरशिप के, उससे दुगने बच्चों का डाटा बनाकर सरकार से अवैध तरीके से उन्होंने फंड ले लिया। ये एक स्कूल का बता रहा हूं, हो सकता है इस तरह के बहुत बड़ी मात्रा में स्कूल दिल्ली सरकार के अंदर निकलें जिसमें दलितों का, गरीबों का, माइनारिटी का हक फर्जी पेपर बनाकर पब्लिक स्कूल्स बहुत बड़ा हक खा गए हैं। जब ये बात डिपार्टमेंट की नॉलेज में आई, एंटीकरप्शन ब्रांच में इसकी कंप्लेंट दी गई लेकिन मुझे दुख है कि अगर छोटी सी कंप्लेंट भी अगर आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ कोई छोटी सी कंप्लेंट आ जाती है तो यही एंटीकरप्शन ब्रांच जो इतना अधिक एक्टिव है कि तुरंत उस पर

एफआईआर भी दर्ज करता है और जांच भी करता है लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा जिसमें दलितों का, पिछड़ों का, माइनारिटी के हक का पैसा जो खा गए अवैध तरीके से, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कितना टाइम ये इस जांच में लगाएंगे, आप देखिए। इसके बाद से ये वेरिफिकेशन का डाला गया ताकि कोई धोखे से न खा पाए और जो वेरिफिकेशन स्कूलों से, पब्लिक स्कूल हों, एमसीडी के स्कूल हों, दूसरे स्कूल वहां से होकर नहीं आ रहा है, वो आ जाए तो वो भी थोड़ा सा स्पीड से काम हो जाएगा। दूसरा जो ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के 2016–17 में 77 हजार पेंडिंग हैं बाकी क्लियर हो गए। 2014–2015, 2015–2016 के टोटल 35 हजार पेंडिंग हैं। ये 35 हजार प्लस 77 हजार 31 जुलाई तक सारी क्लियर कर दिए जाएंगे। ये डिपार्टमेंट ने एसरर्टेन किया है कि 31 जुलाई तक इनका क्लियर कर दिया जाएगा। रही बात बाकी के 55 हजार, जो 2014–2015 का, इसमें भी कुछ दिक्कतें थी कि इसका एक टाइम था, उस टाइम में वो डाटाज पोर्टल पर नहीं डल पाये। चूंकि एमसीडी का इलेक्शन आ गया और एमसीडी का इलेक्शन आने की वजह से इधर इलेक्शन खत्म हुआ और उधर वो जो डाटा अपलोड करना था, वो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के माइनोरिटी डिपार्टमेंट ने उसको क्लोज कर दिया, दिल्ली को बल्कि पोर्टल से हटा दिया गया तो दिल्ली सरकार के विभाग ने माइनोरिटी मिनिस्ट्री को, केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि उसके लिए हमें 15 दिन का टाइम दे दें ताकि हम पूरा का पूरा डाटा अपलोड कर सकें और ये पेंशन भी उनकी रिलीज हो सके। बाकी मैं सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि फ्यूचर में इस तरह का कोई भी केस आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसके लिए हम एक दिशा में और भी काम कर रहे हैं। हमने एससीएसटी डेवलपमेंट फंड एक्ट जो एक्ट हैदराबाद के अंदर आन्ध्रा के अंदर लागू हो चुका है, कर्नाटका के अंदर लागू हो चुका है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पिछली सरकार में भी एक सदन

में पास हो गया था। उसके बाद सरकार का टाइम पूरा हो गया और वो दूसरे सदन में रह गया। तो वो भी बिल तैयार है और दिल्ली सरकार अभी उसका अध्ययन कर रही है। उस बिल को इंट्रोड्यूज करेंगे ताकि इस तरह के अधिकारी जो इस तरह फंड को मिस्यूज करते हैं, डायवर्ट करते हैं या समय पर उसका जिसको हक मिलना चाहिए, नहीं देते हैं, उनको बाकायदा प्रोसीक्यूट किया जा सके, उनको पनिश किया जा सके। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और एक बिल और तैयार है, अभी हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। सीएम साहब को मैं दे चुका हूं। डिप्टी सीएम साहब को भी उसकी एक कापी मैं देने वाला हूं। इलेक्शन से पहले दिल्ली सरकार के माध्यम से डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर शेडयूल्ड कास्ट कमीशन बनाएंगे क्योंकि नेशनल कमीशन दिल्ली सरकार के पास आया था सचिवालय में, और भी रिकमंड करके गया था कि बाकी स्टेट के अंदर भी शेडयूल्ड कास्ट कमीशन है, आप भी बनाइये। वो भी बिल हमने तैयार करा दिया है और जल्दी ही उसको भी हम सदन के सामने रखेंगे ताकि जल्दी ही इन दोनों क्षेत्रों में हम काम कर सकें, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः जगदीश जी, जब मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, अब उनको....

श्री जगदीश प्रधानः मैं उस मुद्द पर नहीं बोल रहा। सर, मैंने जो 59 में आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर जो लगाया था। आज हजारों वर्कर्स प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। उनको तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। अध्यक्ष जी दो मिनट मेरी बात सुनिए....

अध्यक्ष महोदयः मैं उस पर निर्णय दे चुका हूं और उस पर बहुत लंबा–चौड़ा विषय हो जाएगा। नहीं बैठिए, प्लीज जगदीश जी बैठिए। देखिए मैं अभी ये कह रहा हूं कि आंगनबाड़ी को लेकर सरकार, व्यक्तिगत अपनी

विधानसभा का कह रहा हूं, मेरे यहां लगभग जितनी आंगनबाड़ी हैं, उनकी क्या स्थिति है, हम अगर टटोल लें, मनीष जी स्वयं निर्णय ले चुके हैं, उन पर सर्वे कर रहे हैं टोटल, उसके बाद वो विषय सदन के सामने आएगा। नहीं, मैं 4.30 बजे सभी को चाय के लिए दाईं ओर के लांज में आमंत्रित कर रहा हूं, धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 4.30 बजे तक चायकाल के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 4.40 बजे पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, आपके जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो हम सबको मिल के आपको गिफ्ट देना चाहिए पर आपसे रिटर्न गिफ्ट पहले लेंगे और प्लीज हमारी सबकी तनख्वाहें बढवा दीजिये सर, आपसे विनम्र निवेदन है। आज तो कम से कम आप हमारे निवेदन को सुनेंगे। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं इसमें थोड़ा पर्सनल पेन लेता हूं।

.... (व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, इसकी शादी तय नहीं हो रही क्योंकि तनख्वाह कम है, बताओ! लड़की वाले कह रहे हैं पहले तेरी तनख्वाह बढ़े तो शादी करेंगे हम तेरे साथ।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, प्लीज राखी जी।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिये बैठिए प्लीज। करते हैं इसमें....

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्रवीन जी देखते हैं इसमें।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। अब सदन में दिनांक 30 जून 2017 को श्री सौरभ भारद्वाज जी द्वारा प्रस्तुत याचिका समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर चर्चा होगी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी ये सिर्फ बोर्ड के ऊपर जिसकी आप चर्चा....

अध्यक्ष महोदयः अभी आयेगा न चर्चा मैं। नाम दे दीजिये मुझे प्लीज, नाम दे दीजिये। राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी आपने इस बहुत ही गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जब पैटीशन कमेटी में हमने मीटिंग शुरू की और अधिकारियों को उसमें बुलाया तो बहुत जगह तो कुछ इस तरीके की चीजें थी जो विधायक होने के नाते हम जानते ही थे लेकिन हमने ये फैसला किया कि क्यों न मौके पर पहुंच कर उन चीजों को देखा जाये जो जनता बताती थी। एक विधायक होने के नाते मैं अपनी विधानसभा के बारे में तो जानता था लेकिन हमने कोशिश करी कि जहां जहां पर हमें कुछ विधायकों ने शिकायत दी या फिर हमारे को टीवी चैनल्स में पूछा जाता था, मैं लगातार उस हफ्ते दो तीन बार पीडब्ल्यूडी के नालों को ले के ही, क्योंकि टीवी चैनल्स पर था तो हमने कहा कि उन जगहों को देखा जाये। विधायक तो अक्सर जाते हैं लेकिन

साथ में अधिकारियों को भी ले जाया जाये और इतने ऊंचे लेवल के अधिकारी अक्सर वहां पहुंच नहीं पाते। फील्ड के जो अधिकारी हैं, उनका ही वैसे काम बनता है कि वहां जायें और देखते रहें लेकिन गाईड लाइन्स ऊपर से आती हैं और जिम्मेवारी भी ऊपर से ही तय होती है। इसमें जैसा कि कल चैयरमैन साहब ने चर्चा करी, बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया। जो कमेटी के मैम्बर्स थे, वो तो थे ही थे और विधानसभा के अधिकारी हमारे साथ गये और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी हमारे साथ गये और जगह जगह पर एमसीडी के अधिकारी भी गये। बहुत सारी बातें सफाई को ले के जो आती हैं, सबसे अजीब बात तो ये आती है कि कुछ जगह तो नाले इस पोजीशन में हैं कि उन्हें साफ किया ही नहीं जा सकता। जो होते हैं, वो सिर्फ मेनहोल–टू– मेनहोल कर दिये जाते हैं और थ्रू एंड थ्रू तो कोई क्लीयर है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर पक्के लैण्टर डले हुए हैं। वो साफ ही नहीं हो सकते और जिस तरीके की टैक्नीक्स का इस्तेमाल आज हो रहा है एमसीडी में या पीडब्ल्यूडी में, उसमें तो वो संभव ही नहीं है।

अभी जैसे बाहर आप चर्चा कर रहे थे, चर्चा लंदन को लेकर हो रही थी। मैं भी अमेरिका रहा, आप में से बहुत सारे लोग बाहर रहे हैं, गये हैं, घूमे हैं, आपने कहीं भी, शायद दुनिया में इस तरीके से सफाई होते हुए देखी नहीं होगी और मैं कहता हूं कि दुनिया की बात छोड़ दीजिये, मुंबई में या बैगलौर में या चंडीगढ़ भी मैंने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा कि कुछ कर्मचारी उसके अंदर से सिल्ट निकालें और बाहर रख दें और जब हम में से विधायक काफी सारे फोन करते हैं कि जी, ये सिल्ट पड़ी हुई है, इसे उठा दें तो जवाब ये आता है कि साहब, विधायक जी, जब ये सूख जायेगी, तब इसे उठाएंगे। अक्सर ये होता है कि क्योंकि ये बरसात

के दिन होते हैं, बरसात आ जाती है और वो सिल्ट बह के वापस वहीं चली जाती है, जहां से उसे निकाला गया है। अब पूरी दुनिया के अंदर सीवर सिस्टम है। पूरी दुनिया में बरसात आती है। पूरी दुनिया के अंदर नालों की सफाई होती है और ये तो हर साल होने वाली चीज है। बरसात तो हर साल होगी लेकिन ये पता नहीं कैसा सिस्टम अभी तक हमें समझ में नहीं आया और किस तरीके से चल रहा है! होना शायद ये चाहिए कि इसके अंदर नई टैक्नीकस आयें, सुपर सक्कर लगा दी जायें। उनसे सफाई हो लेकिन नहीं, वही पुराना ढर्रा, वही पुराना सिस्टम! दुनिया कहां से कहां पहुच गई; थ्री, जी फोर जी जैसी चीजों की बात होती है, आ गई है, बल्कि सैवन जी की बात होने लगी है लेकिन नालों की सफाई उसी टैक्नीक से हो रही है, जो शायद आज से तीस–चालीस–पचास साल पहले, जब पहली बार ये सदन बनी थी और आप इसमें थे, तब भी ऐसी होती थी और शायद जब सदन की शुआत हुई थी, तब भी ऐसी होती थी। या तो खपच्ची से उस नाले को चालू कर दो या फिर इस तरीके से निकाल के सिल्ट को बाहर डाल दो। कोई भी नाला ऐसा नहीं मिला जिसमें थ्रू एंड थ्रू उसको क्लीयर कर दिया गया हो। जहां पर हम कहें कि पानी यहां गिर जाये तो बह के किसी कोने तक पहुंच जाये, ये संभव नहीं है। वो उल्टा ये हो जाता है, मच्छरों के लिये ब्रिडिंग ग्राउण्डस बन जाते हैं। उसमें पानी इकटठा रहता है क्योंकि वो बहुत गहरे होते हैं। अक्सर नाले तो इसलिये, थोड़ी बहुत बरसात का तो मालूम पड़ता नहीं, वो ले जाते हैं लेकिन जैसे ही थोड़ी ज्यादा बारिश होती है; जैसे अभी आप टीवी में देखते हैं कि दिल्ली में या मुम्बई में लगभग हर जगह कमोवेश वही स्थिति है तो जब पीडब्ल्यूडी वालों ने हम को उसकी रिपोर्ट पेश करी, एक वो रिपोर्ट ले कर आये थे जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर 777 पंम्पस उन्होंने लगाये हैं। ये भी तब हुआ है, जब दो सालों से लगातार उन पर दबाव बनाया जा

रहा है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने 777 पम्पस लगाये। इसके अलावा उन्होंने उन जगहों को आईडेन्टीफाई किया जहां पब्लिक लगातार कहती थी कि कुछ प्राब्लम है या मीडिया ने उन्हें जानकारी दी, विधायकों ने दी। उन्होंने उन जगहों को आईडेन्टीफाई किया और वहां कुछ जगहों पर उन्होंने परमानेंट पम्पस लगाये। कुछ जगह टैम्परेरी पम्पस लगाये और उस पानी को उन्होंने निकालना शुरू किया। बड़ी मजेदार बात है कि कमेटी में उनसे मैंने सवाल पूछा कि भई, आपने जब अंडरपासेज, मोटे तौर पर वो अंडरपासेज थे, जहां पर पानी भरता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये अंडरपास है; जैसे कि मेरी विधानसभा में दो अंडरपास हैं। मैंने उनसे पूछा कि भई, जब आपने अंडरपास बनाये, पीडब्ल्यूडी ने बनाये ऑविविएसली तो क्या तब पम्प की व्यवस्था नहीं करी कि परमानेंट पम्प लगा दिये जायें कि वो पानी वहां भरे ही नहीं। तो इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मतलब इतनी महंगी चीजें बनती हैं, ऐजेन्सीज लगी हुई हैं। इतने बड़े इंजीनियरस हैं, आईएएस अफसर हैं, लेकिन पानी को ले के ध्यान ही नहीं दिया गया कि निकलेगा किस तरीके से और जैसे मैंने बताया कि दो साल में इतने दबाव की वजह से इस बार ज्यादातर जगहों पर उन्होंने पम्प लगाये और कुछ जगह अभी भी रह गई। तो वहां हम जाते रहे, उन जगहों पर।

अब जो सिल्ट निकालने की बात थी, जब हम उनसे पूछा तो उस रिपोर्ट में ही उन्होंने बयान किया कि साहब जो ईस्ट दिल्ली है, वहां पर तो सिल्ट ले ली जाती है जो डम्पिग साईट है, एमसीडी की और जो साऊथ एमसीडी है, वो ले ही नहीं रही, वो मना करती है। तो दूसरी जगह भेज रही है उसको। शायद भलस्वा में भेज रही हैं और नार्थ एमसीडी ऑन एंड ऑफ लेती है। यानि कि जिसमें मेरी विधानसभा आती है, उसमें जब वो

फोन करते हैं, जब सैक्रेट्री पीडब्ल्यूडी वहां कमिशनर से बात करेंगे तो सिल्ट ले लेगें, नहीं तो छोड़ देगें। अब इस दौरान अगर हफता 10–15 दिन लग जाता है तो सिल्ट वहीं पड़ी रहेगी। अब ये किस किस्म का काम हो रहा है! क्या सिस्टम है कोई सिस्टम नहीं है, इन्फैक्ट, कि यहां से पब्लिक ने प्रेशर किया, फिर विधायक ने फोन किया। एक्सिन ने कहा साहब, चार दिन में उठ जायेगी। फिर विधायक और दो दिन बाद में और बड़े अफसर पर जाता है, ईवन एक्च्युली सैकेट्री, पीडब्ल्यूडी पर जाता है और उसके बाद में वो कमिशनर से बात करेंगे, फिर सिल्ट उठेगी। इस दौरान 12–15 दिन निकल जाएंगे। आप की सिल्ट बहकर वापस उसी नाले के अंदर! अब इस तरीके की अगर चीजें होंगी जैसा मैंने कहा कि इतने पुराने ढर्रे से अगर काम होगा तो ऑविविएस है, पब्लिक को परेशानी होगी। कई जगह ऐसी होती हैं जहां कमर्शियल जगह हैं, दुकान के बाहर सिल्ट पड़ी हुई है, अंदर कोई जा ही नहीं पा रहा। दुकानदार–ग्राहक कोई जा ही नहीं पाता। वैसे ही लोग परेशान हैं नोटबंदी से और जीएसटी से। दोचार ग्राहक फिर भी आ जायें तो घुस ही नहीं पाते क्योंकि बाहर दुनिया भर की गंदगी है। बरसात का मौसम है वैसे ही। ये 2012 से पहले की जो सड़के, जो तीस साठ फुट से ऊपर की जो आज पीडब्ल्यूडी के पास हैं, पहले एमसीडी के पास हुआ करती थीं और ये ऑविविएस है कि जब सड़कें उनके पास थीं, तो नाले भी उनके पास में थे। जो कर्मचारी थे एमसीडी के, वो ही इन्हें साफ किया करते थे। आज बेवजह की सिरदर्दी, कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है साहब, ये डीडीए की है, ये डीएसआईडीसी की है, ये डूसिब की है और ये एमसीडी की है। कोई एक नोडल ऐजेंसी नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गैम खेलते हैं। एमसीडी वाले कहते हैं कि साहब, बड़े नाले साफ नहीं किये, इसलिये हम साफ करके भी क्या करेगें? पीडब्ल्यूडी वाले ये कह देते हैं कि साहब, हमने तो साफ कर दिये, पीछे से गंदगी बार बार आ

रही है, फलोटिंग मैटिरियल बार बार आ रहा है, फलोटिंग मैटिरियल नहीं रूक रहा। बस ब्लेम गैम खेलते हैं। हमारा तो ये मानना था कि कोई एक ऐजेंसी होनी चाहिए, जो एक ऐजेंसीज को देखे ताकि एक ऐजेंसी की जिम्मेदारी फिक्स हो और यही हाईकोर्ट ने करा भी। हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सैक्रेट्री को कहा कि आप नोडल ऐजेंसी हैं। आप देखिये एमसीडी को, डीएसआईडीसी को, जिसको भी देखना है, आप देखिये पीडब्ल्यूडी को और आप इनको साफ करके दीजिये। यही वजह थी कि पैटिशन कमेटी में मैटर आया, सीएम साहब ने लैटर लिखा कि भई दिल्ली के अंदर बरसात आनी तो तय है, महीना भी लगभग तय है, दो चार पांच दिन आगे पीछे होते हैं लेकिन इसको पहले ही दो महीने पहले ढाई महीने पहले इस काम को शुरू करके और कम से कम 15–20 दिन महीने पहले खत्म कर लेना चाहिए लेकिन वो चीज निकल के उस तरीके से आयी नहीं, जैसा हम चाहते थे, जैसा कि दिल्ली की जनता चाहती है। जैसा कि विधायकों का मानना है कि एरिया साफ रहे कोई वहां पर दिक्कत न हो। बहुत बड़ी अजीब सी चीजें! नाले बनाये हुए हैं, नालों के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया हो जो वैल माउथ होता है, कहीं पर भी जालियां नहीं लगीं हुई हैं जिसके वजह से जो सुबह सफाई कर्मचारी हैं, जब झाडू लगाते हैं, मिटटी उसी में डाल देते हैं। वो मिटटी दो चार छह महीने वहां पड़ी रहती, उस पर पानी गिरता रहता है और वो जाम हो जाती है, वो लगभग सीमेंन्टेड हो चुकी है। ऐसे ऐसे नाले हमने देखे वजीरपुर विधानसभा मे जब पैटीशन कमेटी गई....

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिय राजेश जी, प्लीज।

श्री राजेश गुप्ताः बीच मार्किट के पास में देखा तो वो लगभग सीमेंन्टेड हो चुके हैं जो बिल्कुल भी खुल ही नहीं पा रहे। मैं इसमें एक बात और जरूर बताना चाहता हूं कि जो एमसीडी कमिशनर्स आये, उन तीनों से पूछा

गया कि क्या आप संतुष्ट हैं, जो काम हुआ है और उन्होंने बड़ी बेशर्मी से, मैं ये शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, बड़ी बेशर्मी से कहा ''हाँ, साहब, एमसीडी के सारे नाले साफ हैं और हम इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं।'' हालांकि पीडब्ल्यूडी कमिशनर ने कहा कि नहीं थोड़ी सी गुंजाइश है इसमें कुछ करा जा सकता है।

ये जो अध्यक्ष जी, 15 साल के बाद शासन में दिल्ली हमको दी गई है, जो कांग्रेस ने दी तो नहीं, ये कहना चाहिए हमने ले ली उनसे। जनता ने हमें दे दी। विरासत में ऐसी दिल्ली दी है कि जब हम उसे साफ कराने जाते हैं तो मेरा मानना है, शायद आधा किलोमीटर भी ऐसी जगह नहीं मिल रही, नाला नहीं मिल रहा, जहां हम सफाई को ढंग से पूरा ले सकें। कहीं न कहीं कोई एन्क्रोचमेंट, कहीं न कहीं कोई परेशानी, कहीं नाला ही खत्म हो जाता है और उसके बाद में दस साल की जो एमसीडी का राज रहा, इन्होंने जिस किस्म की दिल्ली दी है, इतनी खराब! लेकिन मैं फिर भी बधाई देता हूं सीएम साहब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को कि दो साल से मेरा मानना है कि बहुत फर्क पड़ा है हालांकि जो सपना हम देखते हैं, जो हमने सोचा है, जितनी सफाई हम चाहते थे, उतनी नहीं हुई है और इसीलिए जो सीधे तौर पर इस कमेटी ने जिम्मेवार माना कि नोडल जो ऑफिसर है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। वो इसको और तरीके से साफ करे तो जो कल हमारे भाई सौरभ जी ने प्रस्ताव पास किया था, मैं उसके पक्ष में हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद,धन्यवाद। राजू धिंगान जी।

श्री राजू धिंगानः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं पेटीशन कमेटी ने जो बड़ी लगन और मेहनत के साथ रिपोर्ट बनाई और दिन रात दिल्ली में जाकर सारे जो पीडब्लूडी, एमसीडी के जो नाले हैं, उनको देखा

और एक सच्ची तस्वीर कि दिल्ली में क्या हो रहा है, वो हमारे सामने रखी। उसको लेकर मैं उनको बधाई देता हूं। मैं अपनी विधान सभा का उदाहरण देना चाहता हूं इसमें।

मेरी विधान सभा त्रिलोकपुरी, तकरीबन 24 नाले उसमें हैं। जिसमें से 10 एमसीडी के और 14 के करीब उसमें पीडब्लूडी के हैं। एमसीडी के नालों की तो सफाई मैंने देखी नहीं है कभी होते हुए। कई बार उनको कहा भी, लेकिन उन्होंने कभी सफाई ढंग से की नहीं। वो तस्वीरें जो दिखाई थी पेटीशन कमेटी ने, उसमें भी दिखता था कि कितने बुरे तरीके से वो नाले भरे हुए हैं। लेकिन जो पीडब्लूडी के नाले हैं, वो तो बीच–बीच में मैंने भी खुद भी जाकर, उनके अधिकारियों से कहकर सफाई भी कराई उनकी। लेकिन एक बहुत बड़ा नाला है जिसमें तकरीबन 16–17 नाले उसी में गिरते हैं, बड़ा नाला है और जो कि पीडब्लूडी का है, वो इतनी बुरी कंडीशन में है कि मतलब अगर वो ही नाला ठीक नहीं होगा तो बाकी के नालों का क्या हाल होगा! तो सफाई होने के बाद भी पूरे के पूरे नाले भरे रहते है। आज से पौने दो साल पहले मैंने चीफ इंजीनियर, पीडब्लूडी को लिखा कि भई ये नाला बनाया जाए। बीच में कई बार बात हुई है, एसई से बात हुई, इंजीनियर्स इन चीफ से बात हुई लेकिन वो नाला आज तक बना ही नहीं। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि जब वो नाला ही नहीं बनेगा तो जल भराव की स्थिति तो हमेशा से बनी ही रहेगी। कमोवेश ये स्थिति तो पूरी दिल्ली में ही है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक अक्षमता इसमें ज्यादा है। प्रशासन का काम है कि सरकार को सहयोग करें। समयबद्ध तरीके से काम करे, लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं कर पा रहा। मैं समझता हूं कि इसका कोई न कोई उपाय हमें खोजना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन का ये उत्तरदायित्व है कि वो सरकार को सहयोग करे,

सरकार के नुमाइंदों का सहयोग करे और वो कर नहीं पा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो इतनी बड़ी महामारी फैलेगी, वो आप सब जानते ही हैं, हम भी जानते हैं। इस स्थिति में मैं तो आपसे यहीं आग्रह करूंगा कि इसका कुछ उपाय ऐसा किया जाए कि हम सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर–बैठकर कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है कि वो हमें इतने अच्छे तरीके से जो एसिस्ट करना चाहिए, क्यों नही कर पा रहे हैं। तो इसके लिए कोई उपाय किया जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः बहुत–बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा! शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्रीः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस बात पर बोलने का मुझे मौका दिया।

सबसे पहले मैं पेटीशन कमेटी के सभी मैम्बर को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत मशक्कत, बहुत मेहनत के साथ उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करी। सुबह जैसा कि बताया, पता चला 6–6 बजे, 7–7 बजे जाकर दिल्ली के अलग–अलग, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इंसपेक्शन किया और जमीनी स्तर पर किस तरह के हालात हैं और किस तरह से गुमराह अफसर कर रहे हैं, इसकी जानकारी सदन में इस रिपोर्ट के माध्यम से रखी।

अध्यक्ष जी, जो ये रिपोर्ट है, मैं इसमें सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं क्योंकि ये सब जानते है कि ये कितनी बड़ी समस्या है और नालों की सफाई नहीं होती है और गदंगी–कूड़ा उसमें पड़ा रहता है और इसमें जो रिट पटीशन एक सुना जा रहा था हाई कोर्ट में, सदन का ध्यान मैं उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं कि 26 अप्रैल इसी वर्ष 2017 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एक कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। अगर उस आदेश को पूरी तरह से हम लोग सब देखें तो वो आदेश अपने आप में बहुत

पूरी तरह से पूरा था और उसके हिसाब से अगर काम किया जाता तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई समस्या होती। नालों को लेकर उसमें पीडब्लूडी के प्रधान सचिव को चेयरमैन बनाया गया, तीनों एमसीडी के कमिश्नर को उसमें लिया गया, इंजीनियर इन चीफ को लिया गया, साथ में दिल्ली कंटूनमैण्ट, एनडीएमसी के चीफ को उसमें लिया गया और साथ में जो और विभिन्न ऐसे विभाग हैं जिनका पाला पड़ सकता है नाले से संबंधित मामलों को लेकर, चाहे वो भारतीय रेल हो, चाहे हो डीयूएसआईबी हो, चाहे वो डीएमआरसी हो, डीएसआईडीसी हो, सभी के विभिन्न–विभिन्न डिपार्टमेंट के लोगों को चेयरमैन को कोआर्डिनेशन कमेटी के बोला गया कि उन सबको आप इसमें कमेटी में लीजिए, शामिल करिए। जिससे कि एक तरह से ये 360 डिग्री जैसे कहते है एप्रोच से हर डिपार्टमेंट की जवाबदेही, जिम्मेदारी इन नालों की सफाई की बन जाए। और बहुत दुःख की बात ये है कि ये हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी इसके ऊपर, जो इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है, कोई भी इस पर काम नहीं किया गया। ये हम लोगों के सबके सामने है। जो ये कोआर्डिनेशन कमेटी, ये तो बड़ा, इसको जो काम दिया गया चेयरमैन को, ये काम अपने आप में कोई नया, चांद पर राकेट भेजने जैसा काम नहीं था। इसमें यही बोला गया कि बरसात के समय बाढ़ आ जाती है। बाढ़ को कैसे रोका जाए, कैसे काम किया जाए, उसके बारे में चर्चा की गई। पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके बारे में चर्चा की गई, बात की गई। जो आम जनता को, दिल्ली वालों को दिक्कत समस्या उससे उठती है, उत्पन्न होती है, उसके बारे में चर्चा की गई और जो अलग–अलग विभिन्न डिपार्टमेंट के अधिकारी, रोड को तोड़ने का और खोदने का काम करना शुरू कर देते हैं, किसी भी विभाग के चाहे बिजली के हों, टेलीकॉम के हों, उनको कोआर्डिनेट करने को बोला गया कि इस तरह का कोई काम सड़क तोड़ने का इस समय नहीं किया जाए। तो ये सारे काम

को देखते हुए, कोई इसमें बहुत कठिन कोआर्डिनेशन नहीं था कि ये सारी कमेटी को एक ही छत के नीचे लाया गया चेयरमैन के तहत और ये बोला गया कि आप लोग अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से कोआर्डिनेट करके काम करें।

अब ये सारी बातें कागज पर तो हो गई। सवाल ये उठता है कि निरंतर हर वर्ष की तरह इस साल भी ये काम सारा कागज पर ही हुआ, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। ये रिपोर्ट इतनी डिटेल तक में जाती है कि ये बताती है कि दिल्ली सरकार में ही पीडब्लूडी विभाग ने 163 ऐसी जगह भी चुन रखी हैं, जहां पर ये जो वल्नरेबल प्वाइंट जिसे कहते है, सेन्सिटिव प्वाइंटस जिसे कहते है, जहां पे ये पानी इकट्ठा हो सकता है या बाढ़ आने का डर है, ये तक दिल्ली सरकार के पास उपलब्ध है और इस सबके होने के बाद भी दिल्ली सरकार में ये पीडब्लूडी डिपार्टमेंट, एमसीडी डिपार्टमेंट, ये जितने भी विभागों को ये जिम्मेदारी इस कमेटी के माध्यम से दी गई है, उन्होंने किसी ने भी अपना काम जमीनी स्तर पर नहीं किया। जब ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के माध्यम से ये भी उस दिन रिपोर्ट के माध्यम से साफ आया कि अधिकारी इच्छुक नहीं थे, जमीनी हालात, जमीनी स्तर पे जाकर देखने को। जो कमेटी के मैम्बर हैं, विधायक वो गए और उस पर शायद कुछ ही अवसरों पर सरकारी अधिकारी भी गए तो हमारे लोकतंत्र पे बहुत एक बड़ा सवाल आज ये है कि उत्तरदायित्व, जवाबदेही किसकी है? जनता विधायक को चुनकर भेजती है, जनता विधायक से सवाल पूछती है। जनता पूछती है कि हम आपको चुनकर भेजे हैं, दसों साल से नालों की सफाई नहीं हुई। महामारी फैल सकती है, इसका जवाब कौन देगा और जनता ये उम्मीद करती है कि जब विधायक से या जिसको चुनकर वो भेजते हैं, वो उसका जवाब देंगे। वो इस बात

पर नजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो सही मायने में उन चुने हुए लोगों को जिन पर वो निर्भर करते हैं, वो सरकार के तंत्र पर करते है। सरकार के तंत्र में वो सारे अधिकारी आते हैं और अगर वो सरकार के अधिकारी और वो तंत्र गुमराह करने लगे, सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों को तो मैं समझता हूं इससे बड़ा अपराध देश की, दिल्ली की जनता के साथ नहीं हो सकता और यही ठीक यहां पर दिल्ली की जनता के साथ हुआ। यहां पे मैं तो ये कहूंगा कि एक तरह से ये कड़ी बनती जा रही है दिल्ली में, एक षडयन्त्र बनता जा रहा है, पहले भी मैंने एससी/एसटी में ये स्कॉलरशिप की बात करी, हर जगह मुझे ऐसा लग रहा है एक कड़ी बनती जा रही है, जहां पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी जवाबदेही जो कि जनता से है, जनता उनसे सवाल पूछे। सरकारी तंत्र अपना काम न करें और जनता को जो नाराजगी है या जो दुःख है, वो जनता के प्रतिनिधि के सामने न आए। इस तरह का एक षडयन्त्र होता, एक कड़ी बनती मुझे दिखाई दे रही है और इसकी जवाबदेही इन अफसरों को सबको जो है, वो लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए, शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्रीः क्योंकि आप ये जानते है। अगर आपके इस कदम से किसी की जिन्दगी को खतरा हो सकता है। बड़े आसान शब्दों में इसका मतलब कल्पेबल होमोसाइड का ही है। मेरी मांग है सदन के माध्यम से कि कल्पेबल होमोसाइड कानून में ऐसे अफसरों पे सरकार के लगाए जाएं क्योंकि कल अगर पानी रूकता है, उससे महामारी होती है, वैक्टर बौर्न डिजीजेज होती है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और जान का खतरा होता है। तो ये इन अफसरों की जानकारी में है कि इनके सफाई न करने से लोगों की जान जा सकती है और कल्पेबल होमोसाइड जैसे कठोर प्रावधान कानून में है, उनका इसपे लगाया जाए जिससे कि अफसरों को ये अहसास

हो कि जान की वैल्यू कितनी है, लाइफ की वैल्यू कितनी है और साथ में इस पूरे पेटिशन कमेटी की रिपोर्ट का मैं समर्थन करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागीः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया और सबसे पहले इस मौके पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पेटिशन कमेटी का और कॉग्रेच्युलेट भी करना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ ये बहुत इम्पोंटेन्ट रिपोर्ट प्रेजेंट की, जो हम लोग फ्राइडे को सैशन के दौरान देख रहे थे, सौरभ भाई रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे थे, एक स्लाइड शो पूरा का पूरा चला कि किस तरीके से नालों की स्थिति को इन लोगों ने जाके देखा, पेटिशन कमेटी ने जा के देखा और ला के उसको प्रस्तुत किया यहां पे। सुबह 6 बजे, 7 बजे ये लोग कई जगह पर गए, लक्ष्मी नगर में भी, विकास मार्ग पे आए थे और आके फोटोग्राफ वगैरह लेके गए, पूरा का पूरा पैदल बारिश में घूमे। तो आप सबको जो–जो पेटिशन कमेटी में है, उन सबको, जो असेम्बली के अधिकारी है, उन सबको बहुत–बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की।

सेकेण्डली, मैं बोलना चाहूंगा, ये एक बहुत इम्पोर्टैण्ट पार्ट होता है। हर साल सरकार का और एमसीडीज का, सारी एमसीडीज का, जब हम लोगों को पता होता है कि अब बरसात आएगी उससे पहले वॉटर लॉगिंग, कई सारे इशूज है वॉटर लोगिग के साथ में, चाहे आपका ट्रैफिक का इशू है, आपके डिजीज का इशू है, क्लीनलीनेस का इशू है, वैक्टरबोर्न डिसीजेज अलग और उसके अलावा कन्टैमिनेशन पानी का इशू हो जाता है, उसका अलग। बहुत सारे इस तरीके के इशूज आ जाते हैं। तो हम लोग पहले

से हर बार बातें करते हैं, टीवी पे डिबेट चलती है, विधान सभा में डिसक्शन चलता है, कई लोग बहुत जगह पर इन्टरव्यूज देते हैं कि हाँ, सरकार को ये करना चाहिए और एमसीडी को ऐसे करना चाहिए। इस बार भी हुआ था और पीडब्ल्यूडी की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, सब की तरफ से आया था कि सारे के सारे नालों की 100 परसैंट सफाई हो चुकी है, 15 जून तक। लेकिन जिस वक्त इस कमेटी की रिपोर्ट देखी, देखिए, मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही बदकिस्मत हूं कि लक्ष्मी नगर के नाले पता नहीं क्यों साफ नहीं हुए, न वो एमसीडी के नाले साफ हुए हैं। एक नाला है एमसीडी का, बहुत बड़ा मंडावली में मेरे क्षेत्र में जो मंडावली पड़ती है, वहां से होते हुए मनीष जी के क्षेत्र में जो मंडावली का पोर्शन पड़ता है, वहां तक जाता है। वो पूरा का पूरा जाम है। उसमें आज तक सफाई नहीं हुई। पिछले साल मैंने खड़े होके करवाई थी पर इस साल अभी तक सफाई उसकी एमसीडी ने नहीं करी। मैं सोच रहा था कि मैं ही बदकिस्मत हूं, लक्ष्मी नगर वाले ही बदकिस्मत हैं पर उस दिन देख के लगा कि हम तो छोटा सा पार्ट हैं, ये तो पूरी की पूरी दिल्ली ऐसे ही है। नालों की स्थिति ऐसी है। मैं लक्ष्मी नगर में रहते हुए एक चीज ओर सोचता हूं, लक्ष्मी नगर में विकास मार्ग पड़ता है जो कि लाइफ लाइन है ईस्ट दिल्ली की, सैंट्रल दिल्ली से। कोई भी ईस्ट दिल्ली जाता है तो मैक्सिमम लोग विकास मार्ग को यूज करते हैं। विकास मार्ग में बहुत विकास हुआ जी, पहले कॉग्रेस की सरकार में, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाईम पे, वहां पर लक्ष्मी नगर मैट्रो स्टेशन है, उसके पास से नीचे से नाला जाता है सर, 200 मीटर तक। मनीष जी आए थे, दौरे पर दिखाया था, 200 मीटर तक नाला ही नहीं है, पीडब्ल्यूडी का नाला ही नहीं है! ऊपर मेनहोल है पर नीचे नाला नहीं है! मतलब ये धोखा सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस साल ही दिया जा रहा है, कोई नया कर रहे है। ये धोखा पहले से ही देते आ रहे है। वहां नाला

चोरी हो गया। उसके बाद अभी 2–3 दिन पहले चीफ इंजिनियर साहब आए थे। उनके साथ भी विकास मार्ग पर घूमा, कह रहे हैं नालों की सफाई हो गई, वो सारा का सारा सिल्ट जो है, सड़क पे और फुटपाथ पर आ गया और एक हफ्ता पहले हुई थी। एक हफ्ते से भगवान की कृपा से रोज बारिश हो रही है, रोज वो ढ़ेर थोड़ा–थोड़ा छोटा होता चला जा रहा है और ऐसा नहीं है कि कोई उठा के ले जा रहा है, वो पास उसी नाले में जा रहा है। कुछ क्षेत्र में ऐसा है कि जहां पर एक गणेश चौक से लेकर मधुबन चौक तक नई सड़क बनी है, नया सड़क के साथ में नाला भी बनाया है। तो वहां पर फुटपाथ ऐसा बना दिया है कि मैनहोल गायब हो गए हैं, कोई वैन्ट नहीं दिया है कि सड़क का पानी किस तरीके से नाले में जाएगा। ये भी नेगलीजेंसी है। जहां–जहां पर सफाई हुई, उस दिन हम लोगों ने स्लाइड में देखा और क्लेम किया गया कि सफाई हुई, पर साफ जाहिर है कि वहां पर सफाई नहीं हुई। तो सर किसी ने तो किसी को धोखा दिया जरूर है। हम लोग जनता को रिप्रजेन्ट करते हैं और ये धोखा सिर्फ और सिर्फ उन अधिकारियों ने जनता को दिया है, हम लोग तो कितने 70 लोग हैं, पर करोड़ों लोग इस दिल्ली में रहते है, ढेड़ पोने दो करोड़ तो वोटर ही हैं, उसके अलावा भी देखें तो बहुत सारे लोग हैं, उन करोड़ों लोगों को दिया है। जैसा आदर्श भाई ने कहा कि क्रिमिनल नेगलीजेंस है ये, कल्पेबल होमेसाइड है। सर, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हाई कोर्ट के कहने पर बनी, जिसमें बहुत सीनियर अधिकारी हैं सर, चाहे वो एमसीडीज के हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे वो डीएसआईडीसी के बहुत सीनियर और एस्पेक्ट उनसे ये किया जाता है कि वो लोग जिम्मेदारी से काम को करेंगे वो शायद हाईएस्ट पेड, अभी सैलरी की बात हम लोग कर रहे थे, हमारी तो खैर बहुत कम है, पर शायद वो लोग हाईएस्ट पेड अधिकारी होंगे हमारी इस दिल्ली सरकार में और इसी जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे से उनको

तनख्वाह मिलती है उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। उनकी जवाबदेही जनता की इस चुनी हुई सरकार की तरफ होनी चाहिए। पर क्योंकि ये जवाबदेही नहीं है, सिर्फ इस जवाबदेही की कमी की वजह से वो अपने काम में नेगलीजैण्ट हैं। वो काम नहीं करना चाहते, हम बार–बार कहते है कि सरकारें ए.सी. दफ्तर में बैठ के नहीं चलती हैं, काम ए.सी. दफ्तर में बैठ के नहीं होते हैं, सड़क पर उतरना पड़ता है, देखना पड़ता है। बड़े बुजुर्ग सब कह गए हैं कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। सर, जब तक वो लोग भी नहीं उतरते, बार–बार कहा है कि आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए कि जो काम आपने ऑर्डर किया है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि रिपोर्ट अल्टीमेटली आप प्रजेन्ट करोगे। रिपोर्ट प्रजेंट करते हुए आप ये नहीं कह सकते कि नीचे जेई ने मुझे गलत रिपोर्ट दे दी। जब आपने रिपोर्ट सरकार को दी और आपने कहा कि ये सारे नाले साफ हो चुके हैं तो वो हो गए, होने चाहिए थे। ऐसा कैसे हुआ कि सारे नाले भरे पड़े हैं, सिल्ट जमा है, फ्लोट वहां पड़ा है। कहीं से कहीं तक पानी की निकासी नहीं है और ये इसी साल नहीं, हर साल होता है। अब कुछ दिनों बाद पहले नालों का आ जाएगा। कुछ दिन बाद मीडिया को यही चांस मिलेगा देखिए, पानी न बहने की वजह से इतने जाम दिल्ली में लगते हैं, उसके बाद आ जाएगा पानी भरा होने की वजह से मच्छर हो गए हैं। तो चिकनगुनिया होगा, डेंगू होगा, मलेरिया होगा, अस्पताल भरे हुए हैं। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। एमसीडी वाले को बोलो, ये पीडब्ल्यूडी का नाला जाम होने की वजह से हमारा नाला उसमें जाके नहीं गिरता है। पीछे इतने, सर, रूकिएगा थोड़ा सा।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लुड करिए नितिन जी प्लीज।

श्री नितिन त्यागीः नाले थोड़े लम्बे हैं सर। पीडब्ल्यूडी का नाला भरा

होने की वजह से एमसीडी का नहीं गिरता नाला उसमें पर एमसीडी के नाले जो भरे हैं जो थड़े बने हुए हैं अनॉथराइज तरीके से एन्क्रोचमेंट करके फुटपाथ बना दिए हैं। उनके ऊपर अपनी सीढ़ियां बना ली हैं लोगों ने, इन सबकी सफाई कौन करेगा? इसका बहाना किसका है? जो लोग यहां पे जिम्मेदार, सर अभी कुछ दिन पहले क्रीमिनल एक्टिविटी की वजह से हम लोगों ने, दो बहुत ही नालायक लोगों को जेल भेजा है। एक महीने के लिए यहां पे किया। मुझे लगता है आपको अपनी पॉवर्स को यूज करते हुए इन जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार कहूं अधिकारियों को यहां पे बुलाना चाहिए। उनकी नेगलिजेंस की वजह से जो परेशानियां दिल्ली वासियों को हो रही हैं, सर, एक भी मौत इनकी नेगलिजेंस से होती है तो यही जिम्मेदार हैं। सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी, थोपनी पड़ेगी कि तुम जिम्मेदार हो और सर, क्रिमिनल नेगलिजेंस के लिए आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आगे से ऐसा न हो। सर, एक आध अधिकारियों को यहां की पावर्स को यूज करते हुए जेल जरूर भिजवाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, धन्यवाद। मनोज कुमार जी।

श्री मनोज कुमारः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो इस ज्वलंतशील मुद्दे पे मुझे बोलने का अवसर दिया। कई सारी चीजे अभी नितिन भाई ने बताई, राजू भाई ने बताई और इन्हीं के साथ मेरी भी विधान सभा लगती है। अभी नितिन भाई ने कहा कि अगर एक भी मौत होती है तो उसके जिम्मेवार वो अधिकारी होने चाहिए जिनकी वजह से वो मौत हुई और ऐसा मेरी विधान सभा में कई बार हो चुका है।

मैं दो साल पहले की घटना बताता हूं आपको 2014 के आसपास की घर के सामने एक कम से कम 6 फिट का नाला जो बहता है, मुल्ला

कालोनी से लेकर के दल्लुपुरा तक, उसमें घर के बाहर जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए गिरे, एक बच्चा थोड़ा समझदार था या क्या था, उसका हाथ बाहर आ गया और वो किसी तरह नाले से बाहर निकल गया। परन्तु जब दूसरा बच्चा नहीं दिखा कई घण्टों तक ढूंढने के बाद, तब उस बच्चे से पूछा गया तो उसने ईशारा करके बताया। जब उसको खोज निकाला गया, तब उसकी डेड बॉडी इस नाले से बाहर निकली। सर, ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं। वो नाले की जिम्मेवारी कहते हैं कि ये छः फिट से ज्यादा बड़ा है, ये एमसीडी नहीं करेगी। पीडब्ल्यूडी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सड़क इतनी बड़ी नहीं है, यूपी इरिगेशन की सड़क है। जो स्लाइडों में यहां पे पेटिशन कमेटी ने दिखाया, वो सिर्फ मेरी विधान सभा का एक क्षेत्र था सर! वो गाजीपुर का जिसके ऊपर पेटिशन कमेटी जब वहां पहुंची। मैं अखिलेशपति भाई का धन्यवाद करूंगा जो इतनी गर्मी में कमेटी को लेकर के घूम रहे थे। इनकी कमेटी के कई अधिकारी जा करके सिल्ट पे खड़े हो गए इतनी भारी सिल्ट जमी हुई है। जिसको इन्होंने पेपर में दिखा दिया कि हमने सारे नाले दिल्ली के, सारी विधान सभाओं के नाले साफ कर दिए। सर, अगर ऐसी सफाई होती है तो मुझे लगता है कि घरों में, पार्कों में मिट्टी डालने की जरूरत नहीं है। पता नहीं चल रहा कि नाला कौन सा है और पार्क कौन सा है! अधिकारियों से पूछा, ''हां जी, अभी हुआ था सर, 15 दिन पहले। वहां देख के लग रहा था कि सालों से वहां पे कोई कर्मचारी नाला साफ करने नहीं पहुंचा। सर, ये मल्टिप्ल एजेंसियों के बीच में जो दिल्ली की जनता पिस रही है, इसका भी कोई न कोई समाधान निकालना पड़ेगा आपको। मेरे यहां से एक नाली निकलती है, घर के बाहर से 10 कदम जाने के बाद पीडब्ल्यूडी के नाले में गिरती है, 50 कदम जाने के बाद मयूर विहार फेज–3 में वो डीडीए में जा के गिरती है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये जी, इसकी वजह से नाला साफ नहीं हुआ कि जी,

ये नाली इसकी वजह से भरी पड़ी है। अभी पेटिशन कमेटी में उस दिन पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स थे, एमसीडी के थे। लेकिन अगर मुझे जानकारी होती कि कोई कमेटी हमारे यहां पहुंचने वाली है तो मैं उसमें कहता कि डीडीए के अधिकारियों को भी बुलाएं क्योंकि मेरे यहां पे 6 सड़के बड़ी बड़ी सड़के जो 80 फिट से भी बड़ी हैं, वो आज भी डीडीए के पास हैं। उन सड़कों पे नाला नहीं है, फुटपाथ नहीं है, लाइटें नहीं है जिसमें रोज रात को चोरियां होती हैं, लोगों से लूटपाट होती है, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है। बार बार, कई बार मैंने एलजी महोदय को लिखा कि उस सड़क को पीडब्ल्यूडी को दे दो। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इनसे आग्रह किया कि आप टेकओवर करें तो ये भी लाचार कि जी वो जो हमें हैंडओवर करेंगे, तभी तो उसको टेकओवर करे सकते हैं। सारी की सारे सड़के लबालब हैं पानी से। थोड़ी सी बरसात होते ही फिर आपको कई किलोमीटर घूम के अपने घर जाना पड़ेगा। ये हालात हैं उन सड़कों के! उसके बावजूद भी किसी अधिकारी के कानों पे जूं नहीं रेंगती। कितनी कहते रहें, उनसे, स्कूल के सामने पीडब्ल्यूडी का नाला भर करके ओवर फ्लो हुए महीनों हो गए, कई बार अधिकारियों को लेकर घूम गए। जो आज पीडब्ल्यूडी ओएसडी हैं, उनको लेके कई बार घूमा कि जी, ये केरला पब्लिक स्कूल है, इसके बाहर देखें, कितनी गंदगी है। सर, एक दूसरे के ऊपर बात टाली जाती है कि जी फलाने एई ने काम कराया था, उसने नीचे बांस बल्लियां छोड़ दी तो पानी फ्लो नहीं कर पा रहा है, हम उसको साफ कर रहे हैं कि भई अगर उन्होंने गलती करी तो आप तोड़कर के इसको साफ तो कर सकते हैं। उसको करते हैं तो दूसरी तरफ से भरता है कि जी, ये खोड़ा का पानी आ रहा है। अरे भई, आ तो मेरी विधान सभा में रहा है! सफर तो मेरी विधान सभा के लोग कर रहे हैं। फ्लेट्स से निकलना मुहाल हो रखा है। फ्लेट्स से निकलने के लिए एक दूसरे की गाड़ी का इस्तेमाल

करना पड़ रहा है, ये हालात हो रखे हैं सर, कोंडली विधान सभा के अन्दर! तो जो पेटीशन कमेटी ने इनिशिएटिव उठाया है, जो रिपोर्ट दी है, पहले तो मैं पेटिशन कमेटी का धन्यवाद करता हूं कि उसने इतनी भयंकर गर्मी में सुबह 6 बजे से निकलके रात के 6 बजे 8 बजे तक जाकर काम करा। विधान सभा के कई अधिकारी जो पूरे पसीने में तर थे, लग रहा था नहाकर के आ रहे हैं। उन्होंने इतनी मेहनत के साथ ये रिपोर्ट तैयार की है। तो मुझे उम्मीद है, यहां से आप से आशा है कि इस कमेटी के ऊपर जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की, उसके बावजूद दिल्ली की सरकार के साथ जो पीडब्ल्यूडी और एमसीडी और डीडीए है, ये सारे मिलकर के हमारी दिल्ली की जनता को साफ सफाई में दिलाएंगे जिससे वहां पे जो चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू की बीमारियों से छुटकारा मिल सके, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः प्रमिला टोकस।

श्रीमती प्रमिला टोकसः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं अपनी विधान सभा के बारे में आपको बताना चाहती हूं। हमारे पीडब्ल्यूडी के फुटपाथ हैं उनपे सिल्ट निकालकर फुटपाथ में डाली हुई है रिंग रोड पे, सैक्टर–5 की साइड में और ऐसे ही मुनिरका एन्कलेव में फुटपाथ पे ही सिल्ट डाली हुई है। उसपे लोग चल रहे हैं। हमने वीडियो भी बना के अधिकारियों के पास डाली। लेकिन उस सिल्ट को नहीं निकालते और मैं बताना चाहती हूं कि हम श्रीलंका गए थे तो श्रीलंका में जब वो सिल्ट निकाल रहे थे तो उन्होंने बाल्टी में सिल्ट निकाली और साथ में ही उनकी टैंपों जैसा कुछ था और उसमें टंकियां रखी हुई थी, उन्होंने सिल्ट निकाली और वो यूं का यूं उन्होंने टंकियों में डाली। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे यहां पे भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि लोग वहीं से चलते हैं और इतनी

उसमें से बदबू आती है और जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे चला भी नहीं जाता क्योंकि फुटपाथ है, वहीं पे सिल्ट डाली हुई है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये सिस्टम भी हमारे यहां दिल्ली में अपनाना चाहिए। बल्टियों में सिल्ट निकाली और वो टंकी में डाल दी। वो फिर वो वहां पे से ले गए वापिस और अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्लस्टर बहुत ज्यादा हैं और क्लस्टर में जो भी नाले हैं, वो सारे एमसीडी के नाले हैं। पिछली बार भी ये इतनी समस्या थी। हमारा सीवर कैम्प है, उसमें जो झुग्गियां बनी हुई हैं, वो सारा नाले का पानी उन झुग्गियों के अन्दर गया और वो भी उनका शुक्र मना रही है कि बरसात रात में नहीं हुई, दिन में हुई ताकि उनका समाधान हो पाया और इतनी बुरी तरह सारे बच्चे, बड़े बूढ़े इतनी बुरी तरह रोने लग रहे थे कि हम कहां जाए, रात में अगर ऐसी बारिश हो जाती! वो नरेश भाई की विधान सभा से भी उस नाले में पानी आता है और वहां पे बहुत सारी डेरियां हैं और वहां से वो गोबर कुछ कुछ आता है तो वो वहां पे इतनी बुरी हालत है उस नाले की और एमसीडी का नाला है और ऐसे ही हमारा सैक्टर–4 में पर्वतीय नाला है, वो भी एमसीडी का है। न उसको साफ करते हैं, वहां पे भी झुग्गियां बनी हुई है नाले के पास और ऐसे ही हमारा हलवाया मजदूर कैंप है, वो भी एमसीडी का नाला है जो बिल्कुल साफ नहीं किया जाता और इतनी बुरी दशा है वहां पे भी। और एक नाला हमारा सरस्वती कैंप में है, उसमें भी ऐसा ही है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से चाहती हूं कि ये नालों की जल्दी से जल्दी सफाई हो सके और जो वहां पे लोग हैं, उनको इस गंदगी से राहत मिले। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदयः सही राम जी।

श्री सही रामः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मैं भी इस कमेटी का मेम्बर हूं और तीन चार जो हमारी मीटिंग इस कमेटी की हुई, उसमें अपने चीफ सैक्रेटरी साहब भी थे, कुछ टाइम के लिए आए लेकिन पता नहीं कोई मीटिंग थी या क्या था, वे जल्दी ही चले गए, सैक्रेटरी महोदय थे, एमसीडी के तीनों के चीफ इंजीनियर थे और जब हमारी कमेटी के मेम्बरों ने उनसे पूछा कि आप संतुष्ट हो या कुछ और काम भी बाकी है। तो इनकी बातों से ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल काम से फ्री हो के बैठे हों। कोई भी इतना सीरियस नहीं था और इनके उसकी वजह से कल का मैं आपको बताऊं, अपने क्षेत्र में ही रेलवे ट्रैक है, उसके नीचे से अण्डर पास बना हुआ है, बदरपुर से जाता है प्रहलादपुर गांव के लिए। कल 2–3 घण्टे मैं खुद रहा और सुबह की जो बारिश हुई, उसके बाद उस अण्डरपास का पानी शाम को करीब साढ़े पांच बजे निकल पाया और वहां पिछले दो महीने से मैं जैसे निकलता रहता था, देखता रहता था, पिछले दो महीने से कभी जेसीबी, कभी सुपर सक्कर मशीन वहां लगी रही तो अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि कही न कहीं तो गड़बड़ है क्योंकि जो सुपर सक्कर मशीन हम कान्ट्रेक्ट पर मंगाते हैं प्राईवेट, उसका जहां तक मेरे को जानकारी है, पर डे का खर्चा करीब 70–80 हजार रूपए है पर डे का है। एक दिन का 70–80 हजार रूपये है और दो महीने से वहां लगातार मशीन चली। उसके बावजूद भी ये हाल कि वहां कल की बारिश में एक बस, एक टेम्पो बिल्कुल डूब गये। वो तो सवारी उतर गयी थी बाइचान्स अगर उस बस में कोई आदमी फंसा रह जाता, न उतर पाता और वहां किसी की मौत हो जाती तो अध्यक्ष महोदय, उसका जिम्मेवार कौन होता? आज ये बड़ा सोचने का विषय है और मैं सीधे–सीधे कहूं कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जो नोडल ऑफिसर इसका तय किया गया है, तीनों कारपोरेशन का और दिल्ली सरकार के बीच की मध्यस्थता करने के लिए। जो नोडल ऑफिसर

तय किया गया है, वो भी हमारे ख्याल से हमारे सेक्रेटरी महोदय ही हैं, पीडब्लूडी सेक्रेटरी हैं।

अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा घपला! दो महीने का मतलब लगा लो, करीब–करीब 45–50 लाख रूपये वहां खर्च किया गया और उसके बावजूद भी पानी न निकले। मैं जब कल वहां गया दोपहर को ही पहुंच गया था तो जो कूड़े का ढेर मैंने एक महीने पहले उस पुल के नीचे देखा था, जिसको उन्होंने निकाला था, वही कूड़े का ढेर दुबारा आके उस मेन होल में फंस रहा था। उसी को लोग निकाल रहे थे, वहीं डाल रहे थे और वो ही बारिश के बाद में पानी कम हुआ तो बड़ी गाड़ी और बड़े जो ट्रक थे, निकलने शुरू हुए। उसके पानी के जोर से वो ही कूड़ा दुबारा स्मैल मचा रहा है। वही वो निकाल रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो जो दो महीने सुपर सक्कर वहां चली, जेसीबी चली। कान्ट्रेक्ट के लेबर ने वहां काम किया, एक तो उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा बाईचान्स वहां दुर्घटना हो जाती, कोई आदमी मर जाता, उसकी जिम्मेवारी किसकी होती? तीसरा इन सबकी जांच करके जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था कि अब जल भराव नहीं होगा। पूरे नाले साफ हो गये हैं। पूरी डिसिलटिंग हो गयी है।

तो आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय मेरा कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी मिलें, एक तो इसकी जांच जल्दी हो और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिससे आने वाले समय में हमें इस समस्या का सामना न करना पड़े, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया और जो मैं सुन रहा था। बहुत सारे जगह पर

जाने का पेटिशन कमेटी के माध्यम से मौका भी मिला। जैसा नितिन कह रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि मैं ही अपने आप को कोस रहा था कि मेरे यहां ही नालों की हालत है, मैं भी ऐसा सोचता था लेकिन जब जाने का मौका मिला, सबसे पहला जो प्वाईन्ट गये, हम लोग जो देखे चिल्ला गांव मे, वहां पर बुलाया राजू भाई को। मैंने कहा, ''भाई, कमेटी आयी हुई है और कुछ प्वाईन्टस जो पीडब्लूडी ने और एमसीडी ने दिया है कि सौ परसेन्ट साफ हो गये हैं, हम उसको देखना चाहते हैं।'' राजू भाई आये और वे जगह–जगह लेके गये। फोटो के माध्यम से सब जगह देखा तो हालत ये थी कि सफाई के नाम पर अगर कहा जाये कि साफ हो गया नाला तो उसका फ्लोटिंग निकाल दिया गया। इसको कहते हैं आज के ट्रेन्ड में सरकारी ऑफिसर कहते हैं कि नाला सफाई हो गया। फ्लोटिंग मतलब साफ दिख रहा उपर से बस! किसी नाले में पांच फुट गाद, किसी में छः फुट गाद। कोई पानी नहीं जा रहा है कही पर, गाद ही गाद देखने को मिला।

उससे आगे बढ़े। धर्मशिला गये, वहां पता चला पीडब्लूडी का नाला साफ नहीं था तो उनसे पूछा गया तो कह रहे है, हमने तो जी, इसको डिफंक्ट करके इधर से बना दिया है। मैंने कहा इसमें पानी भरा है, इसमें तो मच्छर हो जायेंगे। कह रहे हैं कि इसको बन्द कर देंगे। आगे बढ़े एमसीडी का नाला। वो कहते थे अभी हफ्ते भर पहले साफ किया और पूरा साफ है। हालत ये था कि खचाखच भरी पड़ी थी। न्यू अशोक नगर में ही देखने को मिला और उससे भी बुरा हाल जब कोण्डली गये। गाजीपुर वहां की हालत देखके रोंगटे खड़े हो गये। काउ डंग इतना ज्यादा, पूरा सारा आके, पूरा पटा पड़ा था कि पार्क कौन सा है और नाला कौन सा है, पता नही है! सारा का सारा पानी रोड पर बह रहा है। फिर पूछा गया कि आप रिपोर्ट में इसको सौ परसेन्ट दिखा रखे हैं। कहे सर, कल तक हो जायेगा।

तीन दिन, चार दिन में कर देंगे। फिर मैने कहा आपने हाईकोर्ट में दिया है इसको कि आपने सौ परसेन्ट साफ कर दिया। आपने यही रिपोर्ट दिल्ली सरकार को दी है कि सौ परसेन्ट साफ कर दिया है। यह आई वॉश क्यों कर रहे हैं आप! वहां से आगे बढ़े आपके विधान सभा के पास पहुंचे दिलशाद गार्डन। वहां पर पीडब्लूडी का नाला भरा पड़ा था। जब पूछा गया भई क्यों नहीं साफ हुआ तो कह रहे हैं कि हम लोग निकाल रहे हैं। ये इसलिए नहीं चल रहा है यहां पर पानी क्योंकि पीछे डीयर पार्क है और उससे डेढ़ किलोमीटर का ट्रेंच है, वो एमसीडी का है। उन्होंनें नहीं निकाला, इसीलिए उधर का पानी नहीं आ रहा है इधर और इसलिए ये नाला जाम है क्योंकि अभी पानी है नहीं नाले में। उन्होंने बताया कि पानी इसलिए नहीं है क्योंकि उधर से साफ नहीं है। तो जैसा बता रहे थे नितिन भाई कि कहीं कोई कहता है कि डीडीए का है, कहीं कोई कहता है एमसीडी का है, कोई पीडब्लूडी का है। वो कहता है कि मैंने साफ कर दी, उसने नहीं करी। उसने कर दी, उसने नहीं साफ करी।

सरिता के विधान सभा क्षेत्र में पहुंचे। सरिता जी के यहां उनके प्रतिनिधि को बताया गया। वो आये 52 फुटा नाला है भगवानपुर खेड़ा। हालत ये थी कि देखकर के रोंगटे खड़े हो गये। रिपोर्ट में सब कुछ देखा आपने। और हालत क्या थी अब जहां–जहां कलवर्ट है, जहां–जहां कवरिंग नाले हैं, वहां पर केवल–केवल मेन होल साफ कर दिया गया और एक मेन होल से दूसरे मेन होल तक जस की तस वैसे सिल्ट भरी पड़ी है। जब खोल के देखा गया की भई पानी तो जा नहीं रहा है इधर। तो सवाल उठता है कि ये क्या खेल खेला जा रहा है। ये किससे खेल, खेल रहे हैं अधिकारी! जब कोऑर्डिनेशन कमेटी हाईकोर्ट के आदेश पर बनायी गयी। विकास मार्ग पर भी गया आपके यहां। विकास मार्ग पर भी यही हालत। इन्होंने कहा

जी, सौ परसेन्ट साफ कर दिया। जब ढक्कन उठवा के देखा गया तो हालत जस की तस! वालिया नर्सिंग होम, लक्ष्मी नगर वहां जस की तस! यही हालत जब जहांगीरपुरी गये। इन्होंने सौ परसेन्ट बता रखा था और वो नाला, आज भी मैं डी0एम0 आफिस जा रहा था। हालत ये है देश का सबसे बड़ा रोड का नाला आज भी सारे रोड पर पानी भरा है आज भी। तो सवाल उठता है कि सौ परसेन्ट साफ है तो आज भी कैसे भरा हुआ है। आज 9–10 बजे सुबह की बात बता रहा हूं, 10 बजे की। आज भी पवन शर्मा जी बैठे थे। बतायेंगे कि पूरा का पूरा जहांगीर पुरी मेट्रो स्टेशन से लेकर के आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन चले आइये, हालत ये है कि रोड पर आप चल नहीं सकते। आज भी पानी भरा पड़ा है। ये नाले क्यों नहीं साफ हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब उसकी गुप्त तफ्शीस की गयी तो पता चला कि उसका कहीं आउटलेट ही नहीं दिया गया है। जैसे कह रहे थे न कि वो नाले की चोरी हो गयी बीच से। यहां से यहां बन गयी। पानी उसमें तो चला जायेगा, लेकिन वो जायेगा कहां? आगे कहीं निकासी नहीं बनायी गयी; पीडब्लूडी या एमसीडी द्वारा। इस तरीके के हाल, विकास के नाम पर खेल खेला गया! यही हालत हमारे यहां कल्याण विहार में, चले जाइये, एक नाला बनाया गया, नाला चोरी हो गया।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये, प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः उसकी कहीं पर निकासी नहीं है। अम्बारी रोड पर नाला बनाया गया, उसकी कहीं निकासी नहीं है। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया। पता चला, क्यों नहीं किया, चोरी हो गया पीछे से।

अध्यक्ष महोदयः त्रिपाठी जी, कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः तो सफाई के नाम पर इस तरीके का

ढकोसला चल रहा है और एक चीज और, एमसीडी से जब पूछा गया कि नाले क्यों नहीं साफ हो रहे? आपके पास 62900 कर्मचारी हैं सफाई के लिए पूरी दिल्ली में, 62900! और ये तब थे जब आपके पास, दिल्ली के सारे नालों की सफाई करनी होती थी, तब भी साफ होता था। अब क्या हो गया? जब इसमें से लगभग–लगभग 30 परसेंट नाले पीडब्ल्यूडी के पास चले गए तो ये कर्मचारी तो सरप्लस हो गए। अब भी नाले की सफाई क्यों नहीं हो रही एमसीडी के। हालत है कि किसी तरीके से घेरो, दिल्ली सरकार की बदनामी करो।

अध्यक्ष महोदयः चलिये, त्रिपाठी जी, अब कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः अध्यक्ष जी, बस एक मिनट और। फोटोग्राफी, जब–जब देखा गया कि आपने कहां साफ किया, बताओ तो ये मोटी–मोटी फोटोग्राफी की डायरियां लेकर अधिकारी नजर आए। देखिये जी, यह मैंने साफ किया है। विशेष भाई सही बता रहे हैं एल्बम, यह मैंने साफ कर दिए थे और जहां–जहां देखा गया कि एल्बम में क्या था कि फ्लोटिंग निकाल कर रख दिए, नीचे जस का तस सिल्ट पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, भरने दो, चलता रहेगा और जो उसको फेंकने का रिपोर्ट दिया गया कि हमने इतना टन मलबा, इतना टन उसका कूड़ा, इतना टन सिल्ट, हमने फेंक दी, हमारे पास तो पर्चियां भी हैं। इस सिल्ट और मलबा और इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है, अध्यक्ष जी। यह साजिश के तहत मिलकर के, जो डम्प यार्ड है वहां से पर्ची कटा लेते हैं और कुछ नहीं करते। कोई सिल्ट नहीं जाता, कोई मलबा नहीं निकलता और उसकी पर्ची कटवाकर के उसका पेमेंट करा लिया जाता है, यह सच्चाई है नाले की सफाई की! अध्यक्ष जी, जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे इस तरह

की लापरवाही करने वाले अधिकारी यह सोचें कि उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो सकती है ताकि दिल्ली में जलभराव न हो और दिल्ली को तमाम बीमारियों से बचाया जा सके। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हमने कितनी जल्दी इतना प्यार बना लिया है कि देखो हमारे आने की कितने मैम्बरों को खुशी होती है। हम चाहे लेट आये इस विधान सभा में, लेकिन प्यार हमने जल्दी पा लिया सब के साथ।

धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज जो यह कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, मैं फिर से, अध्यक्ष जी, एक बात पहले कहना चाहूंगा कि देखिये, दिल्ली के अंदर हम चुने हुए नुमाइंदे हैं और हम केवल एक ही बात से अपना समय नहीं निकाल सकते, हम दूसरी एजेंसियों के ऊपर दोष पर दोष करके। अध्यक्ष जी, चाहे केंद्र की भी सरकार हो, मैंने, आपको अगर याद हो, तो इसी हाउस में पिछली बार भी कहा था, उनकी भी जिम्मेवारी है। देश की राजधानी है यह। जितनी एमएलए की जिम्मेवारी है, उतनी एमपी की भी जिम्मेवारी है। आज इसके अंदर जब देश की सरकार, कोई भी सरकार, किसी पार्टी की हो, जब यह खबर बनती है तो हिंदुस्तान की राजधानी की बनती है। हमें यह सोचकर, इस विषय को उठाना चाहिए था कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या यह हमारी अपनी नाकामी नहीं? हाई कोर्ट को हर साल इसमें इंटरविन करना पड़ता है। यह ऑन गोइंग प्रोसेस है। आज पेटिशन कमेटी भी बन गई, पेटिशन कमेटी के पास कागजात भी पहुंच गए तो क्या इस पेटिशन कमेटी का एक ही मकसद है कि जो कंसर्न्ड मंत्री है, उसको बचाया जा सके। उसकी जो अपनी जिम्मेवारी थी, वो अपनी

जिम्मेवारी से क्यों नहीं काम कर पाये। यह तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस था, हर साल का प्रोसेस है और 365 दिन में वही एम्प्लाई काम करते हैं। सरकार की जब नाकामी हो जाती है तो सरकार, मैंने देखा है, या तो केंद्र सरकार पर अपनी बॉल फेंकना चाहती है, अधिकारियों को कटघरे में लाना चाहती है और यहां तक अगर हम भी बोलते हैं तो हमें भी कह दिया गया कि तुम पेटिशन कमेटी के खिलाफ बोले, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या सच बोलना भी गुनाह बन गया है?

अध्यक्ष जी, मैं आपको दो जानकारी देना चाहता हूं: ट्रैफिक पुलिस ने बार–बार कहा, पिछले साल भी रिपोर्ट दी और इस साल भी रिपोर्ट दी, 370 लोकेशंस ऐसी हैं, जो ज्वाइंट सीपी (ट्रेफिक) ने जानकारी दी, ये सारी की सारी ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा पानी का भराव होता है और जिनके कारण दिल्ली के नाले और दिल्ली के अंदर पानी का भराव होता है। अध्यक्ष जी, आप सुनकर हैरान होंगे, इसमें से साढ़े तीन सौ से ज्यादा दिल्ली सरकार के अधीन है, साढ़े तीन सौ से ज्यादा! तो फिर दिल्ली सरकार 365 दिन क्या करती है? अगर बात आई फीस रिअम्बर्समेंट की तो कह दिया जी, ओ हो! मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं मिली, पता ही नहीं था मुख्यमंत्री जी को।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, यह बात तो हो चुकी है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मैं यही कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः आप इस विषय पर आइये अब। यही दिक्कत है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, जब बाकी बोलते हैं तो आप उनको कभी टोकते नहीं।

अध्यक्ष महोदयः मैं हरेक को टोकता हूं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम अपनी बात कहते हैं।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह आप गलत कहते हैं। सिरसा जी, मैं यहां सहमत नहीं हूं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या हम अपनी जिम्मेवारी से भागेंगे? क्या सरकार अपनी जिम्मेवारी से....

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हर विधायक को टोकता हूं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्या मंत्री अपनी जिम्मेवारी से भागेंगे। इस पेटिशन कमेटी का मकसद क्या अधिकारियों के ऊपर गाज गिराना है, मंत्री को बचाना है? अगर मुख्यमंत्री इतने सीरियस हैं, 365 दिन फाइलें साइन हुई, यह डिसिल्टिंग का काम ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक दिन का तो नहीं है। तो उन सभी फाइलों के ऊपर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साइन हैं। अभी आपके सामने कितने एमएलएज ने क्वेश्चन उठाया कि देखिये सुपर सक्कर मशीनें लगी हैं। एक दिन का 70–80 हजार रुपया ले रही हैं और उसके अंदर करप्शन हो रहा है तो वो भी मंत्री जी को जानकारी नहीं है! अभी त्रिपाठी जी ने बात उठाई कि नकली पर्चियां बनाकर, जो सिल्ट यहां से भेजी जाती है वो डम्पिंग यार्ड के ऊपर नकली पर्चियों से पैसे दिए जाते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, क्या मंत्री इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? और अगर यह कमेटी बनी तो इस कमेटी ने मंत्री के ऊपर, क्या सरकार ने कोई नोटिस दिया? लिया ही नहीं! क्योंकि मकसद क्या है? घुमा–फिराकर काम हो या न हो, लेकिन

अखबारों में संदेश यह जाए कि देखिये, सरकार काम करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, तो फिर सरकार कैसी है? अगर सरकार काम करना चाहती है और कर नहीं पाती, वो सरकार कैसी है? वो कैसी सरकार है, हम यह जिम्मेमवारी, मुख्यमंत्री जी अपने पास महकमा नहीं रखते।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मुख्यमंत्री हाउस में नहीं आते। इतने संगीन विषय के ऊपर मुख्यमंत्री कोई बात कर नहीं पाते, कोई जवाब दे नहीं पाते और मैंने पहला मुख्यमंत्री देखा, जो कहते हैं मैंने चिट्ठी लिख दी। हर बात पर एक बात कहेंगे कि मैंने चीफ सेक्रेट्री को चिट्ठी लिख दी।

अध्यक्ष जी, क्या सरकार इस तरह से चल सकती है? क्या सरकार चिट्ठियों के माध्यम से चलती है? क्या सरकार के मुख्यमंत्री और कैबिनेट अपनी जिम्मेवारी कहीं नहीं समझता? आज तक कौन सी सरकार के मंत्री की ऐसी जिम्मेवारी बनी, जिसके ऊपर मंत्री ने यह कहा हो कि मैं अपनी जिम्मेवारी का....

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इसलिए मैं अपनी कुर्सी छोड़ता हूं। कौन सा मंत्री ऐसा है, जिसने यह कहा!

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जब मंत्री अधिकारियों के ऊपर प्रताड़ना करेंगे....

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी, आप सुन नहीं रहे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जब मंत्री अधिकारियों के ऊपर प्रताड़ना का काम करेंगे, मंत्री अधिकारियों को प्रताड़ित करेंगे तो ऐसे तो कोई अधिकारी काम नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी, मैं क्या कह रहा हूं। जगदीप जी, आप अपनी चेअर पर चलिये प्लीज। आप चीफ व्हिप हैं, आप अपनी चेअर पर आइये प्लीज।

श्री जगदीप सिंहः मुख्यमंत्री ने पहले अपने मंत्री हटा दिए।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिये, वहां बैठिये प्लीज। अभी आपके विधायक बोलेंगे, उत्तर देंगे उन चीजों का।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मुझे उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी इस मंत्री को भी हटायें। अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूं आपको, हटायें इस मंत्री को भी। जो मंत्री काम नहीं कर पा रहे, जो मिनिस्टर काम नहीं कर पा रहे, अपनी जिम्मेवारी से....

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता! प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : बच नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अध्यक्ष जी, अधिकारियों के ऊपर गाज गिराने के लिए यह पेटिशन कमेटी तो चलेगी लेकिनकृ

.... (व्यवधान)

श्री जगदीप सिंहः हम लोग खड़े होंगे...

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः खड़े होइये।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपके विधायक बोलेंगे ना।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः करप्ट को करप्ट बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे, बोलेंगे भई। हमारा काम है भई।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, कन्क्लूड करिये इसको, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम विपक्ष में रहकर क्या इनकी आंखें न खोलें? ये तो दो–दो साल नींद से नहीं उठते, तो क्या हम भी नींद में सो जाये इनके साथ? इनको तो दो साल बाद लोग मिलते हैं, दो साल बाद काम बताते हैं, क्या हम भी सो जाये इनके साथ?

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है, हम इस पेटिशन कमेटी का तब तक विरोध करेंगे जब तक इस पेटिशन कमेटी के अंदर मंत्री की जिम्मेवारी फिक्स करके उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता। हम इस पेटिशन कमेटी का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह पेटिशन

कमेटी केवल और केवल मंत्री को, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज लगे, जिनके ऊपर दस करोड़ रुपये के नकली बिल लगाने के चार्जेज लगे, अफसरों को पीड़ित करने का काम कर रही है यह पेटिशन कमेटी। किसी भी किस्म में दिल्ली के लोगों के भले के लिए नहीं, बल्कि अफसरों को दबा कर उस करप्शन के केसेज को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम इस पेटिशन कमेटी का विरोध करते हैं। इस रिपोर्ट का विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। भावना गौड़ जी।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद भावना गौड जी।

सुश्री भावना गौडः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। शुक्रवार को याचिका समिति के अध्यक्ष भाई सौरभ भारद्वाज जी द्वारा इस सदन में पीडब्लुडी और एमसीडी के नालों की एक रिपोर्ट इस सदन के मध्य प्रस्तुत की गई और क्योंकि जलभराव अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए जिन अधिकारियों की वजह से और उनकी लापरवाही की वजह से ये काम तरीके से नहीं हो पाया उनको इस सदन के द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आज इसी विषय को लेते हुए इस चर्चा को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। 15 जून मानसून से पूर्व दिल्ली के सभी नालों की सफाई पूरी तरह से कर दी जाएगी, ऐसा सुनिश्चित किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। हाइकोर्ट ने भी निर्देश दिया एलजी साहब की मध्यस्थता में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकनिर्माण के मंत्री और आदरणीय मनीष जी की, सभी की देखरेख में एक हाईलेवल कमेटी बनाई गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक गठन किया गया और देखिए मजे की बात! पीडब्लूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया। नालों की सफाई कैसे होगी, आप

योजना तैयार कीजिए। नालों की सफाई में कितने लोग काम करेंगे, इसके लिए आप योजना बनाइये। किस अधिकारी की जिम्मेदारी कहां लगाई जाएगी, इसके लिए योजना बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यानी सारी जिम्मेदारी, सारा प्रभार पीडब्लूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सौंपा गया। डबल डबल पावर उनके पास हुई और इस कमेटी का चेयरमैन भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बनाया गया, ऐसा हमारी कमेटी ने हमें शुक्रवार को बताया लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज और देखने को मिली। न्यूज पेपर के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने भी तमाम सिविक एजेंसियों को ये निर्देश दिया कि आप सभी समन्वय रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र दिल्ली के नालों की सफाई करें। मानसून सिर के ऊपर है, जलभराव दिल्ली के अंदर न हो, सड़कों के ऊपर ट्रेफिक जाम न हो, इन सब चीजों के लिए समन्वय करके अगर हमारी सारी सिविक एजेंसियां काम करेंगी, तो ये काम बहुत जल्दी और बहुत सुंदर तरीके से होगा।

अध्यक्ष महोदय, पिटिशन कमेटी के अध्यक्ष महोदय ने कुछ क्लिपिंग्स दिखाई। बहुत सारी विधानसभाओं में समिति के मेम्बर्स को लेकर के विधानसभाओं के हमारे मेम्बर्स को लेकर के वो साइट के ऊपर गए। मैं तो सौरभ भाई, आपको बताना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि जितनी विधान सभाएं बची हैं, उसमें भी अगर आपका जाना होता तो स्थिति जस की तस ही मिलती। वहां कोई कमी नहीं थी। आप पालम नहीं आए, पालम में भी यही हाल है। आप नरेश भाई के यहां नहीं गए छतरपुर में, वहां भी यही हाल है। फतहसिंह जी कह रहे हैं कि उनके यहां भी यही हाल है। अभी थोड़े समय पर मेरी नारायण भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो क्लिपिंग दिखाई हैं, उससे बदतर हाल उनकी अपनी विधानसभा में है। तो इसका मतलब पूरी दिल्ली के अंदर नालों की सफाई नहीं हुई,

जिम्मेवारी देने के बावजूद नहीं हुई, बजट मिलने के बावजूद नहीं हुई! कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया गया, उसके बावजूद नहीं हुई। अधिकारी उसी तरह से सेलरी ले रहे हैं और सेलरी लेने के बावजूद उनकी जिम्मेवारी बनती है लेकिन वो काम नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पिटिशन कमेटी के अध्यक्ष को एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सौरभ भाई, विश्वास नहीं होता कि बदलेगा कहीं कुछ यहां, अब विश्वास नहीं होता! आपकी कमेटी ने जो रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की है, उसको देखकर तो यही लगता है। 'विश्वास नहीं होता, बदलेगा कहीं कुछ भी, अखबार तो महज केवल तारीखें बदलता है'।

1997 के अंदर में मैं पार्षद बनकर आई, अध्यक्ष महोदय। तब भी सबसे बड़ा घोटाला कहीं होता था तो नालों की सफाइयों को लेकर होता था। आज भी एमसीडी लिप्त है और देखिए मुझे लगता है कि सरकार बदली है। सरकार में बैठे हुए हम सब चेहरे बदले हैं लेकिन जिस व्यवस्था को हम बदलने के लिए आए थे, वो दो साल ढ़ाई साल बाद में भी हम अगर उसको पाते हैं, तो वहीं की वहीं पाते हैं और जवाबदेही किसको? आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले जब बीजेपी और कांग्रेस की सरकार होती थी तो अफसर डरता था, उस एमएलए के पास में जाते हुए। अधिकारी को एक भय रहता था कि अगर जवाबदेही अगर मेरी एमएलए के सामने है तो मैं अपना होमवर्क पूरा करके जाऊं। सत्ता में हम सबसे ज्यादा संख्या में चुनकर के आए हुए लोग, अधिकारियों की वो ही जवाबदेही इस विधानसभा की इतनी बड़ी इतनी महत्वपूर्ण पिटिशन कमेटी! पिटिशन कमेटी के अंदर पीडब्लूडी के प्रिंसीपल सेक्रेटरी जिस तरीके से आपने बताया सौरभ भाई कि उन्होंने जवाब दिया, ''शर्म आती है!'' वो कैसे जवाब दे सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी। मेरे यहां पीडब्लूडी के एक आधा किलोमीटर का एरिया है। आदर्श भाई के एरिये से वो नाला होते हुए मेरे एरिये में आता है। सारा नाला आदर्श भाई के एरिये में है। लगभग आधा किलोमीटर का नाला मेरे एरिये के अंदर आता है। वहां के कुछ आरडब्लुए के सदस्य मेरे पास में आए और उन्होंने बताया कि मार्किट बिल्कुल लो–लेइंग एरिये के अंदर आ गई है। सफाई नाले की कभी होती नहीं है। मेन्टेनेन्स कभी आज तक 20 साल के अंदर हुई नहीं। जब बारिश आएगी तो क्योंकि पानी का निकास प्रॉपर तरीके से नहीं है। पानी सड़कों के ऊपर खड़ा होता है और जब ट्रैफिक वहां से गुजरता है तो वो पानी की छीटें दुकानों के अंदर तक आती हैं, ऐसा आरडब्लूए ने मुझे जानकारी दी। मेरे यहां जो पीडब्लूडी का काम देख रहे हैं, वो जेई उनका नाम मिस्टर शोभित है, नाम से तो शोभित हैं, सर, शोभा पा रहे हैं लेकिन कर्मों से तो शोभित नहीं हैं। मैंने उनसे बात की। मैंने अपने सीवर डिपार्टमेंट के जेई को उनके साथ में भेजा। आरडब्लुए के मेम्बरान को वहां पर खड़ा किया और उन्होंने ये कहा कि मैडम, ये काम क्योंकि लंबा–चौड़ा है, बरसात के बाद ही शुरू हो पाएगा, उसके बाद ही खत्म होगा लेकिन बरसात तक कोई टेम्परेरी व्यवस्था आप हमें कर दें ताकि ये पानी तरीके से निकल जाए। बरसात के बाद में आप विधिवत तरीके से इस काम को करवाएं।

अध्यक्ष महोदय, जेई साहब वो उस काम को देखकर के आए। दस पन्द्रह दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फोन किया मिस्टर शोभित आप गए थे साइट पर? हां, मैडम गया था, बारिश आने वाली है, पानी वहीं पर वैसे ही लोगों की दुकान तक पहुंचेगा, अंदर तक पहुंचेगा, कोई टेम्परेरी समाधान आपसे हुआ? तो उस जेई ने मुझे जवाब दिया, ''मैं आउट आफ वे जाकर के काम नहीं कर सकता।'' मैंने कहा, ''मैंने तो आपको आउट

आफ वे जाकर के काम करने के लिए तो कहा ही नहीं।'' मैंने कहा, ''कोई एक टेम्परेरी व्यवस्था आप दे दें 10 दिन 15 दिन के लिए, उसके बाद में अपना एस्टीमेट बनाकर प्रॉपर तरीके से काम करें।'' मैंने उस जेई को थोड़ा सा टाइट होकर के ये पूछा कि क्या आपने मुझे बताया इस काम को देखके आने के बारे में कि उस काम की क्या रिपोर्ट है कि आप काम करेंगे नहीं करेंगे, कितने समय में वो काम होगा तो उस जेई महोदय ने मुझे बताया कि ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है कि मैं सबको ऐसे ही बताता फिरूं। मैंने कहा, ''तो क्या मैं ऐसे में ही आ गई? आपको पता है, मैं कौन हूं? मैं एरिये की एमएलए हूं। लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रति हमारी जवाबदेही तय है और आप मुझे किसी में ही आंकते हैं।'' उन्होंने कहा कि चार–चार, पाँच–पाँच विधायक हैं, मैं हर किसी को जवाब नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय, उसके एक्सईएन को मैंने कंप्लेंट की। एक्सईएन ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत हुई! मैं उसको लेकर आपके पास आउंगा लेकिन आज पूरे 20 दिन हो गए, न एक्सईएन का पता ठिकाना है, न जेई का पता ठिकाना है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार के नालों की सफाई के लिए एक जांच समिति बनाई गई और जब ये जांच समिति ने विधानसभाओं के अंदर जाकर के नालों का दौरा किया तो ये पता चला कि सच्चाई कुछ और है, असलियत कुछ और है। काम अगर हुआ है तो वो कागजों के ऊपर हुआ है, असलियत में कोई काम नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्ल्यूड करिए, भावना जी।

सुश्री भावना गौडः जी, अध्यक्ष महोदय। देखिए स्वाभाविक तौर पर मेरे

से पहले जितने भी प्रतिनिधि बोले हैं, उन्होंने ये सारी बातें रख दी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आरटीआई के माध्यम से एक आरटीआई कार्यकर्ता ने एमसीडी के अंदर एक आरटीआई लगाई। उनसे जवाब मांगा तो पता चला कि एमसीडी के अंदर 75 परसेंट कर्मचारी, 75 परसेंट अधिकारी, वो लोग काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तीन हजार चार सौ के करीब भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के केस अभी भी पेंडिंग है। ये लोग, इनमें से वो लोग भी हैं, जो नालों की सफाई करवाते हैं, इनमें से वो लोग भी हैं, जो फर्जी बिल को बनाते हैं और स्वभाविक तौर पे सौरभ भाई ने जितनी भी बातें सदन के अंदर रखी, वो सब बातें, उनसे हम अनभिज्ञ नहीं हैं, उनको हम भी झेल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब हम विधायक नहीं थे तब एक शेर बड़े जोर–शोर से गाते थेः 'सारे शहर छोड़ करके मेरे घर में बरसात हुई या मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई।' लेकिन आज जब से हम विधायक बने हैं, परमात्मा से निवेदन करते हैं कि मेरे घर और मेरा शहर को छोड़ के तू कहीं भी बरसियो, लेकिन हमारे यहां मत बरसियो क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई। काम विधिवत् तरीके से कोई नहीं हो पा रहे हैं। जल भराव ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। कल बारिश हुई दिल्ली के अंदर, मूसलाधार बारिश, पांच सालों का रिकार्ड तोड़ा कल बारिश ने, लेकिन अध्यक्ष महोदय, दिल्ली थम सी गयी क्योंकि सफाई, नालों की, गाद निकालना, जो एमसीडी का प्रॉपर काम है, पीडब्ल्युडी का काम है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सवाल इस कमेटी ने भी उठाये हैं। क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या लापरवाही जिन अधिकारियों ने की है, उनको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सारे सवाल इस कमेटी ने यहां पर छोड़े हैं।

मेरा अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी दिल्ली क्योंकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से मैं आती हूं।

अध्यक्ष महोदयः भावना जी, कंक्लूड कीजिए।

श्रीमती भावना गौड़ः मैं खत्म कर रही हूं सर। 93 परसेंट दक्षिणी दिल्ली के अंदर नालों की सफाई का काम पूरा हो गया, ऐसी जानकारी मुझे मिली। मुझे लगता है सौरभ भाई जिन विधान सभाओं में गये, वो सात परसेंट बची हुई विधान सभाओं में चले गये। 93 परसेंट विधान सभाओं में, जहां काम हो गया। शायद आप वहां नहीं जा पाये। मैं एक बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगी अध्यक्ष महोदय, कि दिल्ली की जनता जब जब परेशान होगी, तब तब सत्ता पक्ष में बैठे हुए हम सभी विधायक चुप तो नहीं रहेंगे कम से कम! बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः जगदीश प्रधान जी। जगदीश जी, संक्षेप में रखियेगा प्लीज।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिल्ली की सफाई को लेकर चिंता व्यक्त की। इसमें कहीं न कहीं मुझे एक बू आ रही है।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ऐसे नहीं, थोड़ा सा प्लीज। उनको अपनी बात रखने दो भई। चलिये

श्री जगदीश प्रधानः 30 तारीख को विधान सभा परिसर में विडियोग्राफी दिखाई गयी, उसमें पीडब्ल्युडी को टारगेट किया गया, एमसीडी को टारगेट किया गया। उसमें कहीं भी दिल्ली फ्लड के नालों को नहीं दिखाया गया।

अब जितने भी पीडब्ल्युडी के नाले, एमसीडी के नाले जाकर गिरते है, फ्लड के नालों में। दिल्ली यूपी सीमा, जहां तक करावल नगर विधान सभा, उसके बाद मुस्तफाबाद विधान सभा शुरू होती है और लास्ट में पटपड़गंज विधान सभा तक ये ड्रेन आपकी जाती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपने कमेटी बनाई, क्या आपको किसी विपक्ष के सदस्य को भी उसमें रखना चाहिए था? चलो वह नहीं बनाई न सही। कम से कम जब आपके पेटिशन कमेटी के सदस्य, चैयरमेन ने क्षेत्रों का दौरा किया या नालों को जाकर देखा, तो कम से कम विपक्ष के भी किसी विधायक को लाना चाहिए था, लेकिन ले नहीं गये। मैं दु:ख के साथ कह रहा हूं कि जहां पर फ्लड के नालों की बात कर रहा हूं कि आप उस जगह पर कभी भी जाकर या किसी को भेजकर दिखा दीजिए। वहां दिखवा लें कि छः छः साल से छः छः सात सात फीट जो ड्रेन के दोनों तरफ के बैंच है, उन पर सिल्ट जमा है। हजारों पुल सेट की बात कर रहा हूं मैं। एक दो टन या दो चार ट्रक की बात नहीं कर रहा। हजारों टन सिल्ट फ्लड के नालों के दोनों तरफ जमी पड़ी है।

दूसरा सबसे बड़ा, यदि आपको दिल्ली की सफाई की चिंता है और सच्चाई में आप सफाई कराना चाहते हो, तो दिल्ली में जो पॉलीथीन बैग हैं, जब तक आप उन पर बैन नहीं लगाओगे, तब तक दिल्ली की सफाई आप किसी भी कॉस्ट पर नहीं करा सकते। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूॅं। जितने पीडब्ल्यूडी के नाले हैं आपके मैंने देखा है वजीराबाद ड्रेन पर हमारे पीडब्ल्यूडी नाले रोड के ऊपर पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, जिनमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उनकी सफाई की एक महीने पहले, डेढ़ महीने पहले और उसके एक हफ्ते बाद क्योंकि मैं वहां पर रोज निकलता हूं, मेरा कारोबार है। उसके बाद फिर उसमें पोलीथीन भरे पड़े हैं, आज। आज क्या हो रहा

है दिल्ली में? घर में जो चावल व सब्जी बचती है, रोटी बचती है, जो छिलके बचते हैं, उनको एक पोलीथीन में पैक किया जाता है और नाले में फैंक दिया जाता है। वो एमसीडी के नाले के थ्रु होकर बड़े नाले में जाती है और वो सारा वहां कूड़ा–करकट जमा हो जाता है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री यहां बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं यदि आपको दिल्ली को बीमारी से बचाना है, दिल्ली की सुरक्षा करनी है, दिल्ली को साफ सफाई समुचित करनी है आपको, तो पोलोथीन पर तुरंत बैन लगाया जाये और जो पोलीथीन बैग का इस्तेमाल करें, उस पर कम से कम 50 हजार रू0 जुर्माना होना चाहिए। फिर आपको बताऊंगा सफाई होती है या नहीं होती है।

अध्यक्ष जी, और बहुत सारी बातें हैं। मेरे यहां बिहारी पुर ड्रेन है। वो करावल नगर विधान सभा से होकर निकलती है और साथ साथ हमारी मुस्तफाबाद विधान सभा दोनो पहले एक थी, उसी ड्रेन से हमारा सारा पानी जाता है। मैं आपको इस बात से साफ कहना चाहता हूं कि 20 साल के अंदर उस नाले में से एक भी टोकरी सिल्ट उठता हुआ मैंने कभी नहीं देखा है क्योंकि इस नाले के दोनों तरफ इतना भारी इंक्रोचमेंट कर लिया लोगों ने कि एक टोकरी भी कोई सफाई कर्मचारी वहां निकाल नहीं सकता। अभी राखी बिड़ला जी कह रही थी थोड़ी देर पहले, इंक्रोचमेंट की बात कर रही थी तो इंक्रोचमेंट के बारे में मैडम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज जो दिल्ली की दुर्दशा है, चाहे वो सफाई में आड़े होती हो, ट्रेफिक में आड़े होती हो, हमें इंक्रोचमेंट के बारे में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जहां भी इंक्रोचमेंट हो, उसको तुरंत वहां से हटवाना चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा न कहते हुए इतना जरूर कहूंगा, जो आपकी पेटिशन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें कहीं न कहीं दूसरी बू आ रही,

उसको ज्यादा खोलकर आप दिखाओ, मैं नहीं कह रहा हूं। इस पूरी सच्चाई के साथ दोबारा से इसकी इंक्वारी की जाये, धन्यवाद, जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदयः अल्का लाम्बा जी।

श्रीमती अलका लाम्बाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, बहुत हैरानी होती है एक तरफ तो हमारा देश अंतरिक्ष पर पहुंच चुका है, दूसरी तरफ नालों की सफाई हमारे लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। यह बहुत ही हैरान कर देने वाले वाकया है कि ऐसा क्या है और सबसे पहले मुझे हैरानी होती है कि याचिकाकर्ता कौन था, जो पेटिशन कमेटी याचिका समिति के पास आये ये शख्स के बारे में जानेंगे और हैरानी और दुःख भी होता है कि इस शख्स की उम्र जो है, वह 90 साल के करीब है और वो आज से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो 2005 से इस लड़ाई को हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। वो सेना की सरहद पे खड़ा हुआ जवान, वहां तो लड़ आये दुश्मनों से पर देश के भीतर हमारी जो लड़ाई है, चाहे मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का शिकार है ये और पूरा सिस्टम है क्योंकि सरकारें तो बदली लेकिन जिस व्यवस्था को हम असल में बदलने यहां पर पहुंचे, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे सामने कितनी चुनौतियां आ रही हैं, इसका उदाहरण हमारे सामने आपने अभी देखा है कि टारगेट भ्रष्टाचार नहीं है, टारगेट दिल्ली सरकार का एक मंत्री है। मैं यहां पर देख रही थी कि बीजेपी के एक विधायक साथी ने जो है, मुद्दा उठाया और अखबारों में भी इनके जो बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार ने किसी अधिकारी पर आंच न आये अगर कोई निपटे तो वो दिल्ली सरकार का मंत्री निपटना चाहिए। बस उससे ज्यादा इनकी कोई मंशा नहीं है। ये तो सब मानते हैं और मैं खास तौर से हमारे जो सोल्जर हैं, लेफ्टिनेंण्ट कर्नल, वीवी शरण, जो 2005 से इस

लड़ाई को हाई कोर्ट में लड़ रहे है। सर 12 साल हो गये नालों की सफाई... हमें आये हुए 2 साल हुए हैं। करोड़ों रूपए नालों की सफाई के लिए पीडब्ल्युडी और एमसीडी दावे करती रहती है। मैं सौरभ भारद्वाज की अध्यक्षता में जो 9 सदस्यीय ये कमेटी है, जिन्होंने इस याचिकाकर्ता को एक उम्मीद की किरण दिखाई। जो 12 सालों से हाई कोर्ट के चक्कर काट रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है और यह लड़ाई उस सेना के जवान की अपनी नहीं है, पूरी दिल्ली के लोगों की है, जो हर बारिश में हम देखते हैं अपने आपको डूबा हुआ पाती हूं। इसमें जब डूबते हैं, तो मेरा नबावगंज का इलाका भी आता है। जहां पर आम आदमी गरीब कहता है, जिसका घर पूरा पानी से डूब जाता है और कितना उसका नुकसान होता है। सबसे ज्यादा उसी गरीब आम आदमी की लड़ाई, एक संत जो सेना का जवान 90 साल की उम्र में पिछले 12 सालों से लड़ रहा है। आज मैं चीफ सेक्रेटरी साहब अभी अभी यहां से चले गये। बैठें तो मैं उनका धन्यवाद करती क्योंकि वो यहां पर बैठे हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि सर ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। हम सब ईमानदारी से इस व्यवस्था को, भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने आये हैं। लेकिन अगर अधिकारी साथ नहीं देंगे तो यह व्यवस्था बदलना आसान नहीं होगा हमारे लिए। हमें मालूम है कि आपकी नियुक्तियां, आपकी ट्रांसफर, आपकी पोस्टिंग, आपकी प्रमोशन केन्द्र की सरकार करती है। इसलिये आपकी दिल्ली सरकार या दिल्ली सरकार के मंत्रियों को सुनना आपके लिये कत्तई भी जरूरी नहीं है। ये कमेटी का जो गठन हुआ, 11 सदस्यीय कमेटी, ये हाई कोर्ट में बारह सालों का नतीजा है 90 साल के लेफ्टिनेण्ट कर्नल शरण जी हैं, उनको मैं सलाम करती हूं उनको कि बारह साल की लड़ाई को भी वे लड़ते रहे उन्होंने यही कहा कि जब तक यहां जीत नहीं मिलेगी, तब तक मैंने न सरहद को छोड़ा है, न यहां छोडूंगा और वो लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगी 11 सदस्यीय कमेटी जो बिठाई

गई, उस कमेटी ने हाईकोर्ट को गुमराह किया है। सिर्फ इस सदन को ही नहीं, इस हाईकोर्ट को भी गुमराह किया। ये कहा कि नालों की सफाई हो चुकी है। मैं याचिकाकर्ता के साथ साथ एक एक सदस्य की तारीफ करती हूं जो सुबह सात बजे उठकर एक एक सदस्य दिल्ली के एक नही, ये तस्वीरें जो दिखाई गई, सौरभ भारद्वाज जी ने सत्तर तस्वीरें पेश की हैं। ये 70 तस्वीरें ए.सी. कमरे में एक मीटिंग करके नहीं आती हैं। अध्यक्ष जी पूरी दिल्ली की खाक छानी इन्होंने, अभी भी बहुत से विधायक हैं, मैं भी उनमें हूं जिनके यहां के नालों का अभी भी जिक्र आया ही नहीं है। आप हालत देख सकते हैं। आज मैं, हमारे नेता जो अभी बोल रहे थे, विपक्ष तो है ही नही, दूसरे जो हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगी आप एलजी साहब के पास गये इन नालों की बात को लेकर, लेकिन आपका मकसद यही था जो अखबारों ने साबित कर दिया है। एलजी साहब ने भी कहा है कि नालों से गाद निकालने की निरंतर निगरानी होगी। आप सोचिये, अभी हमारे साथी ने बताया करोड़ों रूपया एक नाले की सफाई के लिये एक मशीन का एक दिन का किराया 70 से 80, ये एक नाले की एक मशीन का एक दिन का किराया है दिल्ली में कितने नाले जो बताए, जिनकी सफाई होनी थी, 350 से उपर, 350 नाले एक दिन की एक मशीन का करोड़ों रूपये का ये खेल है अध्यक्ष जी, करोड़ों रूपये का नालों की सफाई से कमाई! लोग कहते हैं कि नालों की सफाई से कमाई तो समझ आती है लेकिन कमाई तो सही, सफाई भी तो हो, लेकिन सफाई नहीं, खाली कमाई है। जब इस कमाई की, काली कमाई मैं कहूंगी, जब जांच की बात आती है तो हमें चुनौती देते हैं बीजेपी के नेता, वो कहते हैं कि हम इस जांच कमेटी की जो है याचिका कमेटी की जो सदन में रिपोर्ट है, उसे मानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं मानेगें आप? ये कोई कमेटी बाहर बैठकर नहीं बनाई गई, चंद लोगों द्वारा। ये कमेटी चुने हुए यहां पर जो सदन में दिल्ली से

आए हुए हैं, उनकी कमेटी ने बनाई है और इस कमेटी की ताकत एक दो लोगों को तीस दिन की जेल भेजकर हुआ है, इस कमेटी की ताकत बीजेपी के एक विधायक को इस सदन से बाहर होकर कोर्ट के धक्के खाने पड़े, कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला, ये ताकत है, इसको ललकारें नहीं, तो बेहतर होगा। विपक्ष इसको ललकारें नहीं, इस कमेटी की ताकत को इसकी हैसियत को अगर ये कमेटी आ गई....

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपको नहीं कह रहे हैं भई वो। जगदीश जी, नहीं जो वास्तविकता है, वो है, बैठिये प्लीज।

.... (व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मैं बीजेपी के विधायकों को सिर्फ यही कह रही हूं इन कमेटियों का महत्व है और इन्हें कम करके मत आंकिये। जब जब समय आया है, इन कमेटियों ने अपनी हैसियत, अपनी ताकत का एहसास करवाया है और जनता सलाम कर रही है। हमें उम्मीद थी कि लोकायुक्त अपना काम करेगा, हमें उम्मीद थी दिल्ली विधानसभा ने जो जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ पारित किया, केन्द्र की सरकार ने डेढ़ साल से ठंडे बस्ते में डाला है, वो हमें मिलेगा, लेकिन अध्यक्ष जी, अब सारी उम्मीदें इस सदन और इन याचिका समितियों पर आकर टिक गई है जिसका निर्माण इस चुनी हुई विधानसभा और उसके सदस्यों ने किया है। मुझे पूरी उम्मीद है इस भ्रष्टाचार की अध्यक्ष जी, जांच हो और बिल्कुल आज बहुत बड़ा खुलासा किया, मैं सलाम करती हूं याचिका समिति के एक एक सदस्य को ,कितनी डिटेल में गहराई में जाकर एक एक तथ्य और सबसे बडी बात अध्यक्ष जी, एक 11 सदस्यीय कमेटी जो हाईकोर्ट ने गठित की, एक वो

रिपोर्ट पेश करती है, दूसरी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाई गई याचिका समिति, नौ सदस्यीय समिति पेश करती है। दोनों की रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। हाईकोर्ट ने जो पीडब्ल्यूडी के सैक्रेट्री, जो विजिलेंस के भी अधिकारी हैं, डायरेक्टर डी. ओ., उनकी खुद की कमेटी कहती है, सारे नाले साफ हो गये। क्योंकि आपने बंद कमरों में बैठ कर रिपोर्ट बना दी। क्योंकि आप अगर जमीन पर उतरते अध्यक्ष जी, तो इनकी 11 सदस्यीय कमेटी के सामने हकीकत कुछ और आती जिस पर ये खुद पर्दा डालना चाहते थे। क्योंकि उन्हें मालूम था सच्चाई कुछ और है। अध्यक्ष जी, इससे पहले 2005 से अगर एक सेना का जवान 90 साल की उम्र में इस लडाई को लड़ रहा है, 12 सालों से, तो 10 सालों से सरकार किसकी थी नगर निगम और दिल्ली के अंदर क्यों इन अधिकारियों को आप बचाते रहे? क्यों दिल्ली की हालत आज तक इतनी बदतर है? आज मुझे खुशी है सदन के सामने इस रिपोर्ट को जो है, रखा गया है जिससे एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होता है और नितिन त्यागी जी ने जैसा इस बात को कहा है, बिल्कुल इसकी जांच हो, उस जांच की तुरंत रिपोर्ट को इस सदन में वापस पेश किया जाये और जो अधिकारी दोषी पाये जायें अध्यक्ष जी, इस सदन को उन्हें जेल भेजना चाहिये। हम सब उसका समर्थन करते हैं क्योंकि अब जैसे मैंने कहा सब उम्मीदें इस सदन पर आकर टिक जाती हैं, जब दिल्ली के पास जनलोकपाल नहीं होता, जब दिल्ली के लोगों के पास लोकायुक्त में सुनवाई नहीं होती, तब दिल्ली के लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो इस सदन पर आकर टिक जाती हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि इस कमेटी को बहुत गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इसकी जांच की रिपोर्ट आते और जैसे इस कमेटी में भी कहा गया है कि जो पीडब्ल्यूडी के सैक्रेट्री, जो पीडब्ल्यूडी के प्रिंसीपल सैक्रेट्री हैं और विजिलेंस के भी वही हैं तो जांच भी विजिलैंस को करनी है तो बिल्कुल इसमें तर्क है कि जब

तक विजिलेंस इस पूरी नालों की सफाई में हुई धांधली और इसके भ्रष्टाचार की जांच करके रिपोर्ट सदन के सामने पेश नहीं कर देता, अध्यक्ष जी, सदन के तरफ से हम कहना चाहते हैं कि उन्हें विजिलेंस की जांच कमेटी से दूर रखा जाये और जल्द से जल्द ये जांच इसके सामने आये और मैं अब हमारे चीफ सैक्रेट्री साहब सामने बैठे हैं, मैं आप सबको कहना चाहूंगी सदन की तरफ से हम पूरा ब्यूरोक्रेसी का साथ देना चाहते हैं। मैं फिर दोहरा रही हूं सर, कि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। हम सबको मिलकर दिल्ली वालों के लिये इस काम को करना है। हमें हमारे जो लैफिटनेंल कर्नल 90 साल के शरण जी हैं, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखना है। हम आपके खिलाफ नहीं हैं। क्योंकि अध्यक्ष जी, कल भी जब हम अपनी बात को यहां रख रहे थे या आज रख रहे हैं बाहर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे बीजेपी के नेता ने भी कहा कि ये सदन ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटस के खिलाफ है, हम बिल्कुल इनके खिलाफ नहीं हैं। हमे बिल्कुल इनकी मदद चाहिये। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी लेकिन फिर दोहरा रही हूँ, हमें मालूम है आपकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, नियुक्ति दिल्ली की सरकार के हाथ में मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है, हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। दिल्ली सरकार कुछ कर सके, न कर सके लेकिन ये सदन बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, उन लोगों का जो भ्रष्ट हैं, जिनकी जवाबदेही है लेकिन वो निकम्मे हैं, जवाबदेही नहीं दे रहे हैं। इन्हें अपने काम को पारदर्शिता के साथ तय समय सीामा पर करना होगा। नहीं तो ये सदन जो है, किसी को भी बख्शेगा नहीं, जय हिंद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः मदन जी अब हो गया प्लीज। एक सैकिण्ड मैं सदन का समय 6.30 तक बढाने का अनुरोध कर रहा हूं। (सदन की सामुहिक सहमति उपरांत) चलिये।

श्री मदनलालः थैंक्यू, अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे इस मसले पर जो पैटीशन कमेटी की रिपोर्ट है, उस पर चर्चा में भाग लेने के लिये मौका दिया, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उसके साथ ही धन्यवाद करता हूं आपका इस बात के लिये कि आपने समय रहते हुए पैटीशन कमेटी की न केवल स्थापना कराई बल्कि उसके अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी को बनाकर उनके साथ उन मैम्बर्स को लिया जो बहुत सैन्सेटिव हैं जो इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित लगते हैं उन लोगों ने जो इस पूरे अपने कार्यकाल के दौरान पूरी दिल्ली के उन क्षेत्रों का भले ही वो थोड़े से हों, दौरा किया, जहां की स्थिति बहुत भयावाह ही नहीं थी बल्कि वो झूठ को उजागर करती थी, जो पीडब्ल्यूडी के सैक्रेट्री ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट झूठी पेश की और साथ के साथ गुमराह करने की कोशिश की के दिल्ली में उनके द्वारा उनके डिपार्टमेंट के द्वारा दिल्ली में जो नालों की सफाई का काम था, जिसके लिये सरकार ने बजट भी दिया, उसको उन्होंने किस तरीके से किया, ये बात भी हमने बहुत अच्छे तरीके से इस सदन में देखा। अध्यक्ष महोदय, एक शेर है :

बादलों के दरम्यान न जाने क्या साजिश हुई
मेरा घर मिटटी का था, मेरे घर बारिश हुई।

पिछले कुछ सालों को देखें तो दिल्ली में मानसून हमेशा कम होता चला गया है। शायद यही एक वजह थी कि पीडब्ल्यूडी को कभी डर नहीं रहा। न एमसीडी को डर रहा कि उनकी पोल खुल जायेगी क्योंकि मानसून का लेवल हमेशा नीचे रहा और नालों में उतना ज्यादा पानी का बहाव नहीं हुआ जिससे लोगों को बहुत भयावह स्थिति का पता चलता हो पर इस बार मौसम बहुत अच्छा है, इस बार मानसून मेहरबान है और अगर ये मानसून मेहरबान रहा, जो प्रीडिक्शनस हैं, जो होगा तो अवश्य ही दिल्ली के लिये बहुत भयावह

स्थिति होने की नौबत आने वाली है। क्योंकि ये नाले भरेंगे, जहां जहां गंदगीं है, वहां वहां बहुत ज्यादा पानी इकटठा होगा, वाटर बोर्न डिसीजेज बढेंगी और जिन लोगों ने या जिन आफिसर्स ने इसकी जिम्मेवारी ली, जिन्होंने इसके साथ कोताही बरती, ये समय है, जब उनके खिलाफ कोई लाइबिल्टी फिक्स करने की जरूरत है। वो जुर्रत कौन करेगा ? जो सैक्रेट्री महोदय उस डिपार्टमेंट के, वो ही विजिलेंस के डायरेक्टर हैं, जैसे हमारे सभी साथियों ने बताया। तो अपने ही खिलाफ कोई विजिलेंस में क्यों अपने आप को दोषी करार देगें? तो ये जरूरत है आज के दिन कि उनको उस आफिस से मुक्त करने की न केवल पीडब्ल्यूडी से मुक्त करने की बल्कि उस विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी मुक्त करने की क्योंकि डिपार्टमेंट में ये जरूरी है कि उस मामले की तहकीकात की जाये।

अध्यक्ष महोदयः मदन जी कन्कलूड करिये प्लीज।

श्री मदन लालः अध्यक्ष महोदय, परमुझे सबसे ज्यादा जो आज के दिन अचरज है, वो है हमारे माननीय विपक्ष के...

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब उस विषय को छोड़िए। आप करिए प्लीज।

श्री मदन लालः आप पिछली किसी भी मीटिंग में मौजूद नहीं हैं। सर एक शेर है बहुत पुराना और वो शेर बिल्कुल सही है इस मौके पर, वो कहता हैः

" इंतेहाए नागरी में जब नजर आया न मैं,
हंसकर वो कहने लगे, बिस्तर को झाड़ा चाहिए।"

इंतेहाए नागरी में, इसका हिंदी में मतलब समझाऊं कि जब उनके गम में, जब मैं लेटा हुआ बिस्तर पर उनको नजर नहीं आया तो उन्होंने बड़े

अचरज से कहा कि इस बिस्तर को झाड़कर देख लो, जहां कहीं होंगे, जमीन पर गिर पड़ेंगे, मगर वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। इतना बड़ा मुद्दा! दिल्ली के लोगों के जीवन से खिलवाड़ करता हुआ मुद्दा! अगर उसमें विपक्ष इंसेंसेटिव हो और उनकी तरफ से बजाय इस बात को कि उन लोगों, उन ऑफीसर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी, जिनकी जिम्मेवारी थी नालों की सफाई की, बजाय उनके खिलाफ एक्शन के, वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे है और मंत्री मंहोदय को कह रहे है, इनकी पोस्ट छीनो। ये सबसे ज्यादा अचरज की बात है! मैं विपक्ष से उम्मीद रखता हूं और मैं आशा रखता हूं इस सदन से कि वो एक प्रस्ताव पारित जरूर करेंगे कि उन ऑफीसर्स के खिलाफ जो इसमें इंसेंसेटिव रहे हैं या भ्रष्ट रहें हैं, जिन्होंने बेईमानी की है, उनके खिलाफ ये सदन मैक्सिमम और सबसे एग्जैम्प्लरी पनिशमैण्ट दे और उनके खिलाफ सबसे ज्यादा बड़ा कानूनी एक्शन लिया जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब नहीं अजय प्लीज। नहीं, अब बैठिए प्लीज। कम से कम 17 वक्ता मैंने बुलवा दिए।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी उत्तर दे, उससे पूर्व माननीय सदस्यों ने सुपर सक्कर का बहुत जिक्र किया, मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं मंत्री महोदय से इन सुपर सक्कर के मालिक कौन–कौन है, किस कंपनी ने ये सुपर सक्कर ठेके पर दिए हुए हैं, जरा इसकी जांच करेंगे, तो पोल खुलेगी।

माननीय मंत्री सत्येन्द्र जैन जी .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब हो गया। अब माननीय मंत्री जी खड़े हो गए है, आप बोल लेते जगदीप जी। देखिए, आज मैंने एक सैकेंड माननीय मंत्री

जी, आज मैंने उन विधायकों को बुलवाने का प्रयास किया है, समय जगदीप जी की कॉस्ट पर और उनको अच्छा भी लगना चाहिए। हमारे चीफ व्हिप हैं, कि आज वो सदस्य बोले हैं जो बहुत कम, कभी–कभी बोलते हैं। उनका समय लेकर के मैंने उनको दिया है। चलिए जगदीप जी बोलिए प्लीज। आपका नाम था सूची में। मैंने उस पर क्रास लगाकर के आज ये चार नाम लिखे थे। जगदीप जी से माफी मांग लेंगे पर इन चार नए वक्ताओं को बोलने दो। बैठिए प्लीज। अगर बहुत जरूरी है कोई नया विषय है तो बोल लीजिए, नहीं तो सारे विषय आ गए हैं।

श्री जगदीप सिंह (मुख्य सचेतक): सर, दो साल से इस सदन में इस मुद्दे को कभी 280 में, कभी शॉर्ट डयूरेशन में, कभी कालिंग एटन्शन में मैंने इस मुद्दे को बार–बार रखा है। क्योंकि इसकी संजीदगी को मैंने बहुत ध्यान से समझा है तभी आपसे मैंने मजबूरन ये समय मांगा है। अगर ये इतना गंभीर विषय न होता तो शायद मैं न बोलता।

सर, मैं सबसे पहले अपने दोस्त सौरभ भारद्वाज को धन्यवाद बोलूंगा कि जिसने इसको कमेटी में लाकर इसको बिल्कुल एक अमली जामा पहनाया कि जिस पर अब एक एक्शन होगा। सर, एक कसाब जैसा जब एक टेरेरिस्ट किलिंग करने के लिए आता है और लोगों को मारता है तो पूरे हिंदुस्तान का डिफेंस उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए या उसको जेल तक पहुंचाने के लिए लगा देते है, अरबों रूपए का पैसा लग जाता है क्योंकि वो एक टररिजम क्रिएट कर रहा है। सर ये नालों की सफाई जो है ये अपने आप में एक स्लीपिंग टैररिज्म है, हेल टैररिज्म है। आज हमारी सरकार ने हैल्थ का इतना बजट बढ़ाने के बावजूद भी जब ये नालों की सफाई नहीं होती, जब इसके बाद बारिश का मौसम खत्म होता है तो इसमें जब बारिश गिरती है और जो फ्यूम्स उड़ते हैं, ये इतनी देर से ये गदंगी पड़ी

रहती है, इस पर जब बारिश का पानी गिरता है उस फ्यूम्स से जो बैक्टिरियाज घर में जाते हैं, उससे तरह–तरह के बुखार पैदा होते हैं। वो जो गू निकालकर बाहर रख दिया जाता है एक सिल्ट के रूप में, वो जो गदंगी पैदा करता है सर, उससे कई लाखों बच्चे बीमार होते हैं, कई जवान बीमार होते हैं। उनको खून चढ़ाया जाता है, अस्पतालों में लाईने लगी होती हैं और दिल्ली के कई अस्पतालों में बहुत सारी जो मौते होती हैं, इसके बाद उसका प्रोक्सीमेट रीजन जो है, वो ये नालों की सफाई है। सर, हमारे चीफ सैक्रेटरी साहब यहां पर बैठे है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसको पॉलिटिकली न लेकर हमारे जगदीश प्रधान जी ने भी इस पे बात की, हमारे विपक्ष ने भी बोला। हमारे सारे विधायकों ने इस पर बात रखी कि ये एक क्रिमिनल नेग्निजैन्सी है और जो ऑफीसर इसमें इन्वॉल्वड हैं, जो कि बिल्कुल इसमें कोई रोस्टर प्लान नहीं बना रहे है, कोई इसके अंदर उनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्टेटस नहीं प्रवाइड करते, कोई टाइम टेबल नहीं है। मैंने अपने यहां पर ए. ई. से रोस्टर प्लान मांगा, बार–बार मेल पर मांगा कि कहां–कहां पर आप नालों की सफाई कर रहे हैं मुझे बताएं ताकि मैं फिजिकली उनको जाकर चैक कर सकूं लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनका मेल आज तक नहीं आया। उसमें मैंने डिसओबेडिएन्स लैटर भी लिखा है अपने माननीय मंत्री जी को कि उनके ट्रक कहां पर चल रहे हैं जो वो उस गू को निकाल रहे हैं। उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। बस, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आज एक ऐतिहासिक फैसला दें आप कि अगर श्रीलंका जैसी कण्ट्री अपने यहां से डेंगू–मलेरिया जैसी चीज को खत्म कर सकती है तो ये इन्फैक्चुअस जो गू है, इसको भी हम हटाकर यहां से जो है, बीमारी का आलम खत्म कर सकें, धन्यवाद जी, शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। जैन साहब।

शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने अपने काफी सारे सदस्यों के विचार सुने और मुझे जानकर काफी दुःख है। दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि अगर आज भी कुछ विधान सभाओं में सिल्ट पड़ा हुआ है। मैंने खुद 25 मई को सभी डिपार्टमेंटस की मीटिंग की थी जिसमें पीडब्लूडी भी था, तीनों एमसीडीज भी थी, एनडीएमसी सारे डिपार्टमेंट थे और सभी डिपार्टमेंट से डेट ली गई थी कि भई, आप कब तक पूरी दिल्ली के नाले साफ कर देंगे। पीडब्लूडी ने मुझे सात तारीख की डेट दी थी कि सात जून को सारे नाले साफ कर दिए जाएंगे। ईस्ट एमसीडी ने सात जून की डेट दी थी, नोर्थ एमसीडी ने 31 मई की डेट दी थी, साउथ एमसीडी ने दस जून की डेट दी थी और डीडीए ने छः जून की डेट दी थी। जब पीडब्लूडी के कामों को मैंने खुद अलग–अलग विधान सभाओं में जाकर देखना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं गया था गोकुलपुरी विधान सभा के अंदर 30 मई, 31 मई को करोल बाग विधान सभा, 31 मई को मोती नगर विधान सभा उसके बाद 14 जून को नरेला विधान सभा, देवली, संगम विहार, अंबेडकर नगर 21 जून को, तो जो ये सात जून की डेट थी, जब रेव्यू पूछा गया तो एक बार इसको बढ़ाकर 14 जून किया गया और दूसरी बारी कहा गया कि जी, 25 जून तक दिल्ली के सभी पीडब्लूडी के नाले अच्छी तरह साफ कर दिए जाएंगे और एमसीडी ने कोई डेट बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी और एमसीडी का ये कहना था हम सफाई कर चुके हैं।

मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एलजी साहब के पास मीटिंग थी तो मैंने मजाक में बोला कि जी, एमसीडी से आप कभी भी पूछ लीजिएगा, उनके नाले हमेशा सौ परसैंट साफ होते है। उन्होंने उसी टाइम पूछा, तीनों एमसीडी

ने कहा कि जी हमारे 95 परसेंट से ज्यादा नाले साफ हैं। तीनों ने कह दिया उसी टाइम। एक ने कहा 95 परसेंट, एक ने 97, एक ने 98, सौ इसलिए नहीं बोला कि भई मैंने सौ बोल दिया था तो उनके नाले तो हमेशा साफ रहते हैं। उनके साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और जो हमारे साथी सदस्य यहां पर कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे इतेफाक रखने की जरूरत है कि शायद ये एमसीडी के अंदर जो सालों से चल रहा है कि सफाई नहीं की जाती। परन्तु अगर एमसीडी के कर–कमलों पर पीडब्ल्यूडी ने भी अगर ये अपना लिया है और सफाई नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं, डिपार्टमेन्ट की ओर से भी और कमेटी ने जो काम किया, उनकी जो रिपोर्ट मैंने देखी, कुछ जगह मैं खुद भी जाके देखकर आया था; ईस्ट दिल्ली में भी गया था, पर गोकलपुरी के अंदर शायद वो नाले नहीं थे जो नाले कमेटी ने दिखाए। वो देखके तो ऐसा डर लग रहा था के अगर ये हालात है, इतनी गन्दगी उन नालों के अंदर है तो मुझे तो लगता है, हमें इस कमेटी को बधाई देनी होगी जो उन्होंने इतना रिसर्च वर्क किया और इतनी अच्छे तरीके से इसको बनाया। एक–दो चीजें ओर बताना चाहूंगा मैं, मैंने अपने पूरे डिपार्टमेन्ट को आदेश दिया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव इंजिनियर्स अपने इलाके के माननीय विधायक से कांस्टैण्ट टच में रहेंगे अगर कोई भी एग्जीग्यूटिव इंजिनियर रैगूरली टच में नहीं है, तो आप उनकी शिकायत मुझसे जरूर कीजिएगा इसको बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा कि अगर जेई भी, जैसे भावना जी कह रही थी, उनको कहते हैं, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं किस–किस को रिपोर्ट करूं, उनका काम है जनप्रतिनिधियों को रिपोर्ट करना और जनप्रतिनिधियों को बताना कि आपके इलाके में क्या काम किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। कुछ ऑफिसर्स के, कुछ के नहीं ज्यादातर ऑफिसर्स के जो कि मैन्टेनेन्स के

काम में लगे हुए है इन्क्लूडिंग चीफ इंजिनियर्स हमने तीन चीफ इंजिनियर्स बनाए हुए हैं, पीडब्ल्यूडी के अंदर; ईस्ट, नोर्थ एंड साउथ, सभी के ट्रांस्फर पिछले 3–4 महीने में कर दिए गए, बिना मेरी जानकारी के। कई जगह पर दो चीफ इंजिनियर का काम एक चीफ इजिनियर को दिया गया है और ये सारी चीजें जिस अधिकारी ने की हैं यूनीलैटरली की हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मानसून से पहले इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे। जब अगर आपको पता है बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला है और मैन्टेनैंस की पूरी टीम को आपने छिन–भिन्न कर दिया। या तो उन्होंने सोच–समझ के किया होगा या उन्होंने जो भी किया होगा मैं इसके बारे में कुछ भी कमेंट करने के लायक नहीं हूं। जो सिस्टम बनाया गया है कि आप ट्रांस्फर नहीं कर सकते है, किसी अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते है, इन लोगों ने जानबूझ के एसीबी को अपने अंडर कर लिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जा सके। ओर तो ओर जन लोकपाल बिल जो सदन ने पास करके एक–डेढ़ साल हो गया है, उसको दबा के बैठ गए हैं। ये चाहते ही नहीं हैं कि कोई आदमी गलत काम करे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और मुझे इस बात पर शर्म आती है कि हमारा विपक्ष जब कहता है कि किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए! क्यों नहीं होनी चाहिए! अगर कोई गलत काम करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः श्री सौरभ भारद्वाज जी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 30 जून, 2017 को प्रस्तुत याचिका समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है, श्री सौरभ भारद्वाज जी प्रस्ताव करें।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 30 जून, 2017 को प्रस्तुत याचिका समिति के प्रथम प्रतिवेदन से

सहमत है।

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता;

प्रस्ताव पास हुआ।

अब श्री आदर्श शास्त्री, माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेंगे।

श्री आदर्श शास्त्रीः hon'ble speaker sir I seek permission to move a resolution.

अध्यक्ष महोदयः अलाउड।

श्री आदर्श शास्त्रीः The Legislative Assembly of …

अध्यक्ष महोदयः आदर्श शास्त्री जी, मैं एक बार दुबारा फिर पढ़ देता हूं, संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेंगे।

श्री आदर्श शास्त्रीः Hon'ble speaker sir, I seek permission to move a resolution.

अध्यक्ष महोदयः आदर्श शास्त्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। अब आदर्श शास्त्री जी माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री आदर्श शास्त्रीः Thank you, hon'ble speaker sir I move the following resolutions.

"The Legislative Assembly of NCT of Delhi in its sitting held on 03 July, 2017:

Taking into consideration the first report of the Committee on Petitions presented to this House on 30 June 2017,

Agreeing in toto with the said report wherein the Committee concluded that the officials incharge of de-silting of drains and prevention of waterlogging in the NCT of Delhi have miserably failed in discharging their duties,

Alarmed with the pathetic condition of the drains and the blatant misrepresentation of the facts by the authorities before the Committee,

Directs the Government of the NCT of Delhi that all the recommendations made in the first report of the Committee on Petitions tabled in this House on Friday, the 30th of June, 2017 be immediately given effect to,

Further directs that an Action Taken Report on the implementation of recommendations in the above mentioned report be tabled in the House within a period of 30 days beginning today; and

Recommends that the matter of misleading of the Committee by the officials be examined and reported upon by the Committee on Privileges.'

अध्यक्ष महोदयः अब श्री आदर्श शास्त्री माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें';

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहे;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता;

संकल्प स्वीकार हुआ।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करूं, स्वस्थ्य संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, सभी माननीय मंत्री गण, अब विजेन्द्र गुप्ता जी उपस्थित नहीं है सदन में, फिर भी श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा विधान सभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एवं उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीआरपीएफ बटालियन 55 तथा लोक

निर्माण विभाग के सिविल, इलैक्ट्रीकल व होर्टीकल्चर डिवीजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं, विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन–जन तक पहुचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।

राष्ट्र गान (जन–गण–मन)

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई)

विषय सूची

सत्र–5 (भाग–04) सोमवार, 03 जुलाई, 2017 / 12 आषाढ़, 1939 (शक) अंक–54

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	3–44
3.	ध्यानाकर्षण (नियम–54)	44–68
4.	याचिका समिति के प्रतिवेदन पर विचार एवं सहमति	68–125
5.	याचिका समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर संकल्प	125–128